राजस्थान विधान सभा

३२ वीं बैठक, मंगलवार, दिनांक–१ जून, सन् १९५४ ई.

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में ५ बजकर १३ मिनट (मध्यान्होत्तर) पर प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न श्री मुक्तिलाल मोदी।

प्रश्न संख्या ९९५

जीनिंग व प्रेसिंग फेक्ट्रीज पर रॉयल्टी तथा रायला, कोटड़ा व बड़ी सादड़ी में जीनिंग प्रेस

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;

(क) जीनिंग प्रेस पर कोई रायल्टी सरकार वसूल करती है ? यदि हां, तो किस रेट से ?

(ख) क्या रायला, कोटड़ा व बड़ी सादड़ी में कोई जीनिंग प्रेस है और उन पर सरकार के कर की क्या रकम बनती है ?

(ग) क्या सरकार ने इन प्रेसों पर आमद हुए कर को माफ कर दिया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(घ) यदि कोई माफी दी गई है तो उस माफ की हुई रायल्टी की क्या रकम बनती है ?

Page No.2

श्री जयनारायण व्यास—(क) जिनिग व प्रेसिंग फेक्ट्रीज़ से जो कि मुख्यतया उदयपुर डिवीजन में हैं, रॉयल्टी वसूल की जाती है। ये फेक्ट्रियाँ अपने-अपने एग्रीमेंट अथवा अन्य आज्ञाओं के अनुसार १ आना प्रति मन से लगाकर ४ आना प्रति मन कपास तक रॉयल्टी देती है। सिर्फ एक फेक्ट्री से आधा आना प्रति मन कपास पर लिया जाता है।

(ख) रायला में जिनिंग प्रेसिंग फेक्ट्री हैं, कोटड़ी में जिनिंग फेक्ट्री है, बड़ी सादड़ी में जिनिंग फेक्ट्री चालू है और प्रेसिंग की स्वीकृत हो चुकी है पर चालू नहीं हुई है।

सन् १९५२-५३ की निम्नलिखित रायल्टी इन फेक्ट्रीयों की बाकी है :

नाम फेक्ट्री	रकम बकाया		
	रु०	आ०	पा०
रायला	४३५५८.	५	६
कोटड़ी	५३७६.	६	३
बड़ी सादड़ी	११७६४.	१५	३
योग	६०७०२.	१४	०

(ग) सरकार ने उपरोक्त रायल्टी अभी माफ नहीं की है।

(घ) रॉयल्टी की माफी नहीं दी गई है। सिर्फ उसकी वसूली उस समय तक स्थगित की गई है जब तक कि इस विषय में सरकार का अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता।

श्री मुक्तिलाल मोदी—जीनिग की जिन-जिन फेक्टरियों को अब तक लोग चला रहे हैं उनमें रायल्टी कुल कितनी वसूल हुई, और हुई भी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—सवाल क्या है आपका ।-क्लियर नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—जो रॉयल्टी के बारे में बताया वह रायल्टी कब तक वसूल हो जावेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—रॉयल्टी के बारे में सरकार नीति निर्धारित कर रही है। रायल्टी कहीं दो पैसा, कहीं एक आना और दो आना और कहीं चार आना तक है। इसलिए एक नीति अख्तयार करने के लिए सरकार अपने फाइनेन्स और दूसरे विभागों से बातचीत कर रही है और इसके बाद में जब निर्णय देगी तो जितना भी बकाया है वह वसूल कर लिया जावेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कितने पीरियड का बकाया है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूँ कि पीरियड का तो सवाल अलग से करें तो अच्छा होगा। मैंने अब तक का बकाया बताया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब तक जब से लीज़ दी गई कितना रुपया दिया गया और कितना नहीं दिया, इनका प्रोपोर्शन क्या होगा?

श्री जयनारायण व्यास—यह अलग सवाल है। अगर अलग से सवाल किया जावेगा तो उत्तर दिया जावेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने वसूली स्थगित करने का आदेश दिया है?

श्री जयनारायण व्यास—जी हाँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह वसूली स्थगित करने का आदेश कब दिया गया?

श्री जयनारायण व्यास—मैं ठीक तारीख तो नहीं बता सकता लेकिन करीब तीन चार महीने हुए होंगे। रॉयल्टी जो बकाया है वह ५२-५३ की है। इससे पहले की वसूली हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६६६

किशनगढ़ तहसील में दिसम्बर माह में नियुक्त अध्यापकों को वेतन मिलने सम्बन्धी

श्री चाँदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

१. क्या यह सही है कि किशनगढ़ तहसील में दिसम्बर महीने में जिन अध्यापकों की नियुक्तियाँ की गई है उन्हें अभी तक तनख्वाह नहीं दी जा रही है।

२. यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—१. इन अध्यापकों को जनवरी सन् १९५४ की तथा इससे आगे की तनख्वाहें मिलने में अवश्य विलम्ब हुआ है। अब इन लोगों को तत्काल वेतन दिलाने का प्रबन्ध कर दिया गया है व कुछ को तो वेतन मिल भी चुका है।

२. विलम्ब का कारण इनके लास्ट पे सार्टिफिकेट आदि कागजात समय पर ट्रेनिंग स्कूल से न आना है। इस विषय में गल्ती और लापरवाही करने वाले व्यक्तियों के विषय में अनुशासन की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न संख्या ६६७

राजस्थान में भादवा सुदी ५ का सार्वजनिक राजकीय अवकाश

श्री चाँदमल मेहता—क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

राजस्थान राज्य में भादवा सुदी ५ को आम तातील (राजकीय छुट्टी) कब से बन्द और किस कारण से बन्द की गई ?

श्री नरसिंह कछवाहा—राजस्थान में भादवा सुदी ५ की आम तातील (राजकीय छुट्टी) १९५१ से बन्द की गई है। इसका कारण यह था कि राजस्थान में भारत सरकार के मुकाबले बहुत ज्यादा छुट्टियां मनाई जाती थीं।

श्री चाँदमल मेहता—भादवा सुदी ५ को जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व सम्वत्सरी पड़ता है। क्या इसको सरकार आवश्यक नहीं मानती इस दिन छुट्टी करना ?

श्री अध्यक्ष—Any other supplementary.

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस दिन ऋषि पंचमी पड़ती है और सम्वत्सरी भी; तो इन दोनों के महत्व को दृष्टि में रखते हुए फिर से इस छुट्टी को स्वीकार करने के बारे में सरकार सोचेगी ?

श्री नरसिंह कछवाहा—तीन साल हो गये हैं, हमारे पास ऐसी आपत्ति आज तक तो नहीं आई है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सरकार ने कमिश्नर्स को पावर्स दे रखे हैं कि वे तीन दिन की छुट्टियाँ साल में स्वयं भी दे सकते हैं ?

श्री नरसिंह कछवाहा—यह प्रश्न अलग है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६६८

भूतपूर्व राजस्थान राज्यों द्वारा कुछ कारखानों को कस्टम ड्यूटी से मुक्त करना

श्री चाँदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में कितने कारखानों को कस्टम ड्यूटी से राजस्थान की भूतपूर्व रियासतों ने मुक्त रक्खा था ?

[श्री चाँदमल मेहता]

(ख) उन कारखानों में से वर्तमान सरकार द्वारा किन-किन कारखानों से यह रियायतें छीन ली गई है और उसके क्या कारण हैं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)--(क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चाँदमल मेहता--क्या यह सही है कि नरेना की केमिकल (१) फार्म को कस्टम से छूट थी और अब वह छूट बन्द कर दी गई है ?

श्री भोलानाथ--इससे कहाँ ताल्लुक है इसका ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)--यहाँ थोड़ी-सी गलती हो गई है। प्रश्न संख्या ६९८ का उत्तर इस प्रकार है :

(क) राजस्थान की भूतपूर्व रियासतों ने निम्नलिखित संख्या में कारखानों को कस्टम्स ड्यूटी से मुक्त कर रक्खा था—

डिवीजन उद्योग विभाग के	संख्या
जयपुर	१४७
जोधपुर	१०
उदयपुर	१६
भरतपुर	८
कानेर	१४
योग	१९५

(ख) साबुन बनाने व तेल निकालने के कारखानों से ये रियायतें रोक ली गई हैं या कम कर दी गई हैं। कुछ साबुन बनाने वाले कारखानों ने रियायतों का दुरुपयोग किया था। इसके अतिरिक्त कई साबुन बनाने वाले कारखानों को रियायतें नहीं थीं। इन सबमें समानता लाने के लिये इनकी रियायतें रोक ली गई हैं। तेल निकालने वाले कारखानों में भी समानता लाने के लिये निर्यात कर आधे कर दिये गये हैं और जिन-जिन कारखानों को रियायतें थीं वे कम कर दी गई हैं।

श्री चाँदमल मेहता--क्या यह सही है कि माननीय मन्त्री साहब कई मरतबा यह कह चुके हैं कि पुरानी रियासतों ने जो रियायतें दी थीं वे कायम रक्खी गई हैं ?

Page No.6

श्री जयनारायण व्यास—जरूर कायम रक्खी गई हैं और रक्खी जा रही हैं, पर उन रियासतों में जारी वे रियायतें अगर सब जगह की समानता को नष्ट करती हैं तो कायम नहीं रह सकती; न्याय किया जावेगा सबके साथ, जो पुरानी रियासतों की रियायतें दी हुई हैं, वे अगर समानता को नष्ट करती है तो वे कायम नहीं रह सकती है। न्याय किया जायगा सबके साथ।

श्री चाँदमल मेहता—जितने भी उद्योगों को रियायतें दी गई हैं उन सब में समानता लाने के बारे में क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—बराबर प्रयत्न किये जा रहे हैं। बहुत से मसलों में जो असमानता ज्यादा है वह धीरे धीरे खत्म हो जायगी।

श्री चान्दमल मेहता—क्या रॉयल्टी के बारे में भी समानता का प्रयास किया गया है ?

श्री जयनारायण व्यास—बराबर । इस तरह के रॉयल्टी के प्रश्न में भी समानता लाई जायगी।

श्री चाँदमल मेहता—महाराजा किशनगढ़ मिल्स को भूतपूर्व रियासत ने कस्टम से मुक्त रखा था, लेकिन अभी उस मिल से कस्टम में कुछ रुपये डिपोजिट करवाये हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—जहाँ तक किशनगढ़ मिल का ताल्लुक है वह राजस्थान के अन्य हिस्सों से अलग है। राजस्थान के नये हिस्सों में जकात लगी हुई है लेकिन वह किशनगढ़ में नहीं लगी है।

श्री चाँदमल मेहता—मेरे पूछने का मतलब यह है कि महाराजा किनशगढ़ मिल्स को भूतपूर्व किशनगढ़ रियासत ने कुछ रियायतें दी थीं जो राजस्थान सरकार ने बन्द कर दी हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—यह प्रश्न अलग-सा है। इसके बारे में अलग से प्रश्न करना चाहिए।

श्री चाँदमल मेहता—जो संख्या कारखानों की मन्त्री महोदय ने बताई है, क्या उसमें यह कारखाना शामिल नहीं है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह कारखाना उसमें शामिल है, लेकिन उसमें एक सौ और कई कारखानें हैं और हर एक कारखाने की डिटेल इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री चान्दमल मेहता—जो आपके पास लिस्ट है उसमें वह होना चाहिए था।

श्री जयनारायण व्यास—१६५ कारखाने हैं तो एक-एक के बारे में डिटेलवार जवाब देना संभव नहीं है।

श्री खेतसिंह—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किशनगढ़ का जो प्रश्न है वह अलग है सारे राजस्थान से, तो इसकी क्या कोई खास वजह है ?

श्री जयनारायण व्यास—जी हाँ, कस्टम के सम्बन्ध में किशनगढ़ को माफ किया गया है और दूसरी जगह कस्टम लिया जाता है।

एक माननीय सदस्य—क्या किशनगढ़ माननीय मुख्य मन्त्रीजी की कॉन्स्टीटुएन्सी होने के नाते उसमें विशेष अन्तर रखा गया है ?

श्री जयनारायण व्यास—जी नहीं, गलत बात है !

प्रश्न संख्या ६६६

परबतसर तहसील में धान के आवागमन के लिए खुली चिट्ठी बनवाना

श्री चाँदमल मेहता—क्या पृथक राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१. क्या यह सही है कि परबतसर तहसील में कोई ग्रेन के आवागमन के लिये कस्टम अधिकारी पास बनाते हैं ?

२. यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चान्दमल मेहता—क्या यह सही है कि इस प्रश्न के पूछने के बाद इस तरह के परवाने बन्द किये गये हैं ?

श्री भोलानाथ—नहीं। प्रतिबन्ध के अनुसार इस प्रकार का कोर्स ग्रेन खुला किया गया है।

श्री चान्दमल मेहता—क्या यह सही है कि इस प्रश्न के मन्त्री महोदय के पास पहुँचने के पहले इस तरह के पास बनाने का सिलसिला जारी रहा और जारी रहा तो किस कारण से जारी रहा ?

श्री भोलानाथ—ऐसा जाहिर होता है कि कोई डरपोक आदमी ने चिट्ठी बनाने के लिए मजबूर किया था। अब आज्ञा दे दी गई है कि किसी को भी खाली चिट्टी नहीं बनाई जाय।

Page No.8

श्री चान्दमल मेहता—आवाज बराबर नहीं है।

श्री भोलानाथ—किसी व्यक्ति ने जबर्दस्ती चिट्ठी बनवाई तो उसके लिए बना दी; अब आज्ञा जारी कर दी गई है कि कोई जबर्दस्ती माँगें तो भी नहीं बनाई जाय।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय को मालूम हुआ है कि खुली चिट्ठी रिश्वत खाने के लिए बनाना चाहते हैं इसलिए वह बिना चिट्ठी को किसी को पास नहीं होने देते हैं?

श्री भोलानाथ—यह आप सूचना दे रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है। आपके कहने से मालूम हुआ है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय इसकी जांच करायेंगे कि परबतसर तहसील में ऐसे कितने परवाने इश्यू हुए हैं कोर्स ग्रेन को कन्ट्रोल से मुक्त करने के बाद में?

श्री भोलानाथ—इसकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। उनको हिदायत कर दी गई है कि कोई खाली चिट्ठी नहीं बनायें।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सरकार इस तरह की गैरवाजिब कार्यवाही के लिए जांच कराना पसन्द नहीं करेगी?

श्री भोलानाथ—किसी व्यक्ति ने खुली चिट्ठी बनाने की नाजायज कार्यवाही की हो तो जांच की जा सकती है।

श्री चाँदमल मेहता—सैकड़ों की तादाद में ऐसे पास बन रहे हैं, क्या मन्त्री महोदय इनकी जांच करने को तैयार हैं?

श्री भोलानाथ—आप सूचना दे रहे हैं कि इसमें कोई गैर कानूनी कार्यवाही हुई है। अगर वह गैर कानूनी हुई तो जाँच की जा सकती है।

श्री भरोंसिंह—क्या खुली चिट्ठी बनाना गैर कानूनी नहीं है?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०००

किशनगढ़ सब डिवीजन में चेजे व खन्डे के पत्थर की रॉयल्टी का ठेका

श्री चाँदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री चाँदमल मेहता]

(क) किशनगढ़ सब डिवीजन में चेजे के पत्थर व खन्डे के पत्थर की रॉयल्टी का ठेका किन-किन को, कितने-कितने रूपये में दिया गया है ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदारों के ठेके में गट्टी न होते हुए भी वे उसकी रॉयल्टी वसूल कर रहे हैं ?

(ग) ऐसी और कौन सी चीजे हैं जिनका ठेका न होते हुए भी इन ठेकेदारों को उसकी रॉयल्ट वसूल करने की इजाजत दे दी गई है ?

श्री जयनारायण व्यास--(मुख्य मन्त्री)—(क) किशनगढ़ डिवीजन में चेजे के पत्थर व खंडे के पत्थर की रॉयल्टी के ठेके मुजब दिये गये हैं।

नाम ठेकेदार	एरिया	तादाद रू०
श्री छोटेलाल कुपावत	त० मदनगंज	१५० रु०
,,	त० किशनगढ़	४५ रु०
,,	त० रूपनगर	१५ रु०
,,	त० सरवाड़	२१ रु०
,,	त० अराई	१५ रु०

(ख) गट्टी का ठेका पत्थर चेजा व पत्थर खंडा के शामिल ही होता आया है।

श्री चांदमल मेहता—आवाज नहीं आ रही है, या तो पंखे की आवाज की वजह से माइक की खराबी की वजह से आवाज नहीं आ रही है।

श्री मुख्य मन्त्री ने उपर्युक्त उत्तर को पुनः पढ़ा।

(ग) ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो ठेका न होते हुए ठेकेदार को उसकी रायल्टी वसूल करने की इजाजत दे दी गई हो।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि ठेके की बोली बोलते वक्त यह साफ कर दिया गया था कि चेजे के पत्थर और खंडे के पत्थर में गिट्टी शामिल है ?

श्री जयनारायण व्यास—सही नहीं है। गिट्टी के लिए अलग ठेका दिया गया है ?

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि कंकड़ की रॉयल्टी का ठेका अलग दिया गया है ?

श्री जयनारायण व्यास—जहां कंकड़ की रायल्टी का ठेका अलग दिया गया है तो पत्थर की रॉयल्टी का ठेका अलग होगा और कंकड़ की रॉयल्टी का ठेका अलग होगा।

श्री चाँदमल मेहता—क्या कंकड़ की रायल्टी के ठेका में गिट्टी भी शामिल है या खन्डे के पत्थर और चेजे के पत्थर के ठेके में ?

श्री जयनारायण व्यास—ऐसी कोई चीज हो और माननीय सदस्य उस पर ध्यान दिलायेंगे तो उसकी जाँच की जायगी।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय को ५ प्रार्थनापत्र जो प्रेषित किये जा चुके हैं उस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री जयनारायण व्यास—मन्त्रियों के पास रोजाना १००,५० प्रार्थनापत्र आ जाते हैं। अगर कोई खास प्रार्थना-पत्र मालूम हो तो उसको देखकर जवाब दे सकता हूँ।

श्री चाँदमल मेहता—तो क्या मन्त्री महोदय को प्रार्थना-पत्र भेजना बेकार समझा जाय ?

श्री जयनारायण व्यास—प्रार्थना-पत्र भेजना बेकार है, यह आपकी राय है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या जो प्रार्थना-पत्र भेजे गये हैं उनके आधार पर जाँच करवाने की आज्ञा देंगे ?

श्री जयनारायण व्यास—जो भी प्रार्थना-पत्र भेजे हैं उनकी जाँच होती है।

श्री चांदमल मेहता—वह जांच कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री जयनारायण व्यास—अलग-अलग केसेज़ हैं, उनके मेरिट्स पर मुनस्सर है।

श्री चांदमल मेहता—इन मामलों में से कौनसे मामले की रिपोर्ट होकर उनके सामने आयी है ?

श्री जयनारायण व्यास—कौनसा मामला है। समझ में नहीं आया है।

श्री चांदमल मेहता—माननीय मन्त्री महोदय को जो प्रार्थनापत्र दिये है उनकी जाँच करने के लिए कितनी अवधि की जरूरत होगी ?

श्री जयनारायण व्यास--कोई खास मामला हो तो मैं समझ सकता हूँ। आपने दरख्वास्तें दी हैं ५-४ मामलों के लिए तो उनकी जाँच हो रही होगी।

श्री चाँदमल मेहता--किशनगढ़ में जिसके बारे में यह प्रश्न है उसके बारे में मैं निवेदन कर रहा हूँ और जिसके बारे में ५ प्रार्थनापत्र पेश किए जा चुके है?

श्री जयनारायण व्यास--जो भी प्रार्थना-पत्र पेश किए जा चुके हैं उनकी जाँच हो रही होगी, कोई खास प्रार्थनापत्र बतायेंगे तो उसका जवाब दे सकता हूँ और चेम्बर में अच्छी तरह से दे सकता हूँ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि सारे के सारे प्रार्थनापत्र दबा दिये गये हैं महक्मे में। महक्मे की ढिलाई की वजह से सारे प्रार्थनापत्र माइन्स विभाग में दबा दिए गये हैं।

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूँ कि उनकी सूचना गलत है।

श्री अध्यक्ष—यह महक्मे की कड़ाई हुई या ढिलाई।

श्री चाँदमल मेहता—अगर वह नहीं दबा रखे हैं तो माननीय मन्त्री महोदय के पास किस रिपोर्ट के साथ आये हैं?

श्री जयनारायण व्यास--सैकड़ों रिपोर्ट्स जो आती हैं उन पर कार्यवाही होती है।

श्री अध्यक्ष--श्री मुक्तिलाल मोदी।

प्रश्न संख्या १००१

भूतपूर्व जयपुर राज्य में भोडल निकालने के लिए खालसा एरिया का ठेका

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे--

(क) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जयपुर स्टेट के तमाम खालसा एरिया में भोडल (माइका) निकालने का एकाधिकार जो राजपूताना मिनरल कॉर्पोरेशन को दिया हुआ था, आज से करीब ३ साल पूर्व खत्म हो गया है? इस एकाधिकार की समाप्ति के बाद भी आज तक इस एरिया

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

में क्या दूसरी पार्टियों को मोडल की खानें चलाने की इजाजत नहीं दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ख) क्या इतने लम्बे चौड़े इलाके में जो मोडल उत्पत्ति की दृष्टि से बहुत मशहूर रहा है, लीज न देने से सरकार की आय में कमी नहीं हुई है ?

(ग) क्या उद्योग मन्त्री यह बतायेंगे कि राजस्थान में मोडल के कितने एरिया आज भी एकाधिकार प्रणाली पर दिए हुए हैं ?

(घ) क्या राजस्थान के खनिज विकास को दृष्टि में रखते हुए ये मोनोपोलीज़ जालू रखी जायेंगी ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)--(क) हां, सरकार ने इन खानों पर ठेका समाप्ति पर कब्जा लेने कोशिश की, किन्तु इसी बीच में कम्पनी ने हाईकोर्ट में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके निषेधाज्ञा प्राप्त करली। अभी तक यह मामला वरिष्ठ न्यायालय के विचाराधीन है, अतः दूसरों को यह क्षेत्र ठेके पर वितरण नहीं किया जा सकता।

(ख) बहुत मशहूर तो नहीं रहा है किन्तु क्षेत्र अवरुद्ध होने से आय में अवश्य कमी हुई है।

(ग) करीब ६,००० मील का क्षेत्र मेवाड़ मिनरल कम्पनी २००० वर्गमील पुसालाल मानसिंहका व जयपुर में जागीरी क्षेत्र मेसर्स मानसिंहका मिनरल व श्री छुट्टनलाल फोफलिया के नाम पर है। मेसर्स पुसालाल का ठेका समाप्त हो चुका है और उसके यथोचित वितरण की कार्यवाही चालू है। जयपुर जागीरी क्षेत्र के ठेकों को समाप्त करने की कार्यवाही भी विचाराधीन है।

(घ) जब तक माइन्स एन्ड मिनरल रेग्यूलेशन एन्ड डेवलपमेंट एक्ट, १६४८ की धारा ७ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम नहीं बनाये जाते, तब तक इस दिशा में कुछ भी करना सम्भव नहीं है सिवाय इसके कि जैसे जैसे इनकी अवधि समाप्त हो पुनः एकाधिकार पर नहीं दिए जावें।

श्री मुक्तिलाल मोदी—किस साल मानसिंहका का ठेका खत्म हो गया और उसे खत्म हुए कितने दिन हो गये ?

श्री अध्यक्ष—अभी बतलाया था कि खत्म होने वाला है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—नहीं साहब, करीब दो वर्ष हो गये हैं खत्म हुए।

Page No.13

श्री जयनारायण व्यास--मैं पहले कह चुका हूँ कि ठेका खत्म हो गया है, केस हाईकोर्ट में चला गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या फूसालाल मानसिंहका को ४० ब्लोक और देने का आदेश आपके विभाग द्वारा जारी हुआ है ?

श्री जयनारायण व्यास--आप किस बारे में बात कर रहे हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास--माइका के ४० ब्लोक क्या फूसालाल मानसिंहका को देने का आदेश क्या जारी हुआ है ?

श्री जयनारायण व्यास--हां !

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि ठेका खत्म होने के बाद एक व्यक्ति को ४० ब्लोक देकर इन्डाइरेक्ट मोनोपोली दे दी है ?

श्री जयनारायण व्यास--यह सही नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--४० ब्लोक दिये गये हैं, क्या इस बारे में निश्चित सूचना आपके पास नहीं है ?

श्री जयनारायण व्यास--दरअसल कई पुरानी शर्तों द्वारा पुराने ठेके दिये गये थे जिनके अनुसार ठेकेदारों के ठेके रिवाइज़ किये जा सकने में कुछ कानूनी अड़चनें ऐसी थीं कि जिनकी वजह से उनका ठेका समाप्त होने के बाद भी वापिस दिया जा सकता था लेकिन अब यह कोशिश की जा रही है कि उनसे ज्यादा क्षेत्र लिया जाय और उनको कम से कम क्षेत्र दिया जाय और यह जो ४० ब्लोक का जिक्र किया जाता है वह माइनिंग कन्सेशन रूल्स के माफिक १० माइल के अन्दर है, उससे ज्यादा नहीं है और निश्चित मर्यादा के अन्दर है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि यह एरिया देने के पहले उन्हें फ्री डिक्लेअर नहीं किया गया था ?

श्री जयनारायण व्यास--जब किसी का ठेका खत्म होता है तो उसके बाद में उसको पहला प्रिफरेन्स दिया जाता है और उस प्रिफरेन्स के कारण १० माइल के अन्दर-अन्दर दिया जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या माइनिंग कन्सेशन रूल्स के जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं उसके मुताबिक फ्री डिक्लेअर करने के प्रोसिजर को इस केस में लागू नहीं किया गया ?

श्री जयनारायण व्यास--मैं इस बात की सूचना चाहूँगा कि कौन से लेटेस्ट रूल्स निकले हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—It is illegal.

श्री अध्यक्ष—It is not illegal

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am only asking whether the procedure in regard to declaring areas free has been followed in this particular case or not ?

श्री जयनारायण व्यास—जब तक इस प्रोसिजर की बात मुझे तफसील से मालूम नहीं हो सकती मैं जवाब नहीं दे सकता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस एरिया को फ्री डिक्लेअर किया गया तो क्या उसको रजिस्टर में दर्ज करके गजट में नोटिफिकेशन निकाला गया था ?

श्री जयनारायण व्यास—यह अलग प्रश्न है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि फूसालाल मानसिंहका ने ५० ब्लोक्स के प्रोस्पेक्टिव लाइसेन्स इसके अलावा और लेने की अर्जी दी है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं नहीं कह सकता। इतना कह सकता हूँ कि उनको १० माइल से ज्यादा नहीं दिया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ठेके के अलावा ५० ब्लोक के प्रोस्पेक्टिव लाइसेन्स की अर्जी दी या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—यह अलग प्रश्न है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने उनकी अर्जी जो प्रोस्पेक्टिव लाइसेन्स के लिये है वह रिजेक्ट करदी है ?

श्री जयनारायण व्यास—जब प्रोस्पेक्टिव लाइसेन्स के बारे में अलग प्रश्न पूछा जायगा, उस समय में इसका जवाब दूँगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि जिन लोगों को एरिया मोनोपोली के रूप में दिया जाता है तो उनको प्रोस्पेक्टिव लाइसेन्स नहीं दिया जाता ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं पहले ही कह चुका हूँ कि प्रोस्पेक्टिव लाइसेन्स के बारे में अलग प्रश्न पूछा जाय तभी जवाब दे सकता हूँ।

प्रश्न संख्या १००२

गुजरात से वर्षा ऋतु में हजारों मवेशी राजस्थान में (विशेषतया सिरोही में) तीन माह के लिए चराने हेतु लाना

श्री जवानसिंह—क्या पृथक् राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

[श्री जवानसिंह]

(क) क्या सरकार को विदित है कि गुजरात से वर्षा ऋतु में हजारों गायें, भेड़ें, बकरियां वगैरह राजस्थान में और खासकर सिरोही जिले में तीन माह के लिये घास चराने लाई जाती हैं और इस राज्य में इस कदर घास की कमी की समस्या को गम्भीर बनाते हैं ?

(ख) क्या सरकार को उपरोक्त गायों व भेड़, बकरियों की रोक-थाम के लिये जनता की ओर से निवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ? अगर हां, तो सरकार ने इस बाबत क्या निश्चय किया है ?

(ग) क्या सरकार को यह विदित है कि गुजरात की सरकार राजस्थान से पशुओं को आने नहीं देती और इस तरह यहां के पशुओं को दुहरी मुसीबत का सामना करना पड़ता है ?

श्री भोलानाथ—इस प्रश्न का उत्तर वन मंत्रीजी देंगे क्योंकि यह पृथक् राजस्व से नहीं बल्कि वन विभाग से ताल्लुक रखता है। कल-परसों में उनकी टर्न आयगी तब वे इसका जवाब देंगे।

प्रश्न संख्या १००३

पुलिस स्टेशनों में राज-पत्र तथा आवश्यक विधि पुस्तकों की कमी

श्री चाँदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि पुलिस स्टेशनस् पर राजस्थान राजपत्र नहीं भेजे जाते हैं ?

(ख) क्या यह भी सही है कि अधिकांश पुलिस स्टेशनों पर आवश्यक कानून की पुस्तकें नहीं हैं ?

श्री नरसिंह कछवाहा—(क) राजस्थान राजपत्र थानों पर नहीं भेजा जाता है परन्तु पुलिस गजट जरूर थानों पर भेजा जाता है जिसमें कि महकमों के हुक्म पुलिस से सम्बन्धित गवर्नमेंट ऑर्डर छापे जाते हैं।

(ख) निम्नलिखित कानूनी किताबें तमाम थानों पर भेजी जाती हैं :

१. आई. पी. सी.
२. जाब्ता फौजदारी
३. कानून शहादत
४. पुलिस एक्ट

और कानूनी किताबों का सवाल ध्यान में है और वे बजट में रुपया होने पर दी जावेंगी।

श्री चांदमल मेहता--क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि थानों में राजपत्र नहीं भेजने की वजह से पुलिस स्टेशनों के इन्चार्जों को सरकार के हुक्म-अहकामों की जानकारी नहीं रहती, इसलिये कानून के बाहर की बातें भी वे कर देते हैं ?

श्री नरसिंह कछवाहा--पुलिस आॅर्डर्स उनके पास जो जाते हैं वे काफी होते हैं।

श्री चाँदमल मेहता--क्या मंत्रीजी वहां राजपत्र भेजना आवश्यक नहीं मानते ?

श्री नरसिंह कछवाहा--नहीं मानते।

(हियर, हियर)

श्री चाँदमल मेहता--क्या मंत्रीजी यह बतायेंगे कि (ख) का जो जवाब दिया है वह किस हद तक सही है ?

श्री नरसिंह कछवाहा--वह सही है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--पुलिस के आॅर्डर पहले पहुँचते हैं या राजपत्र पहले पहुँचता है ?

श्री नरसिंह कछवाहा--पुलिस के आॅर्डर पहले पहुँचते हैं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--ये कब से पहले पहुँचने लगे ?

श्री नरसिंह कछवाहा--ये बराबर पहले पहुँचते हैं।

श्री भैरूँसिंह--क्या राजपत्र में प्रकाशित होने से पूर्व ही पुलिस के आॅर्डर्स प्रकाशित किये जाते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास--पुलिस से सम्बन्धित आॅर्डर्स पुलिस के महकमे से जाते हैं और राजपत्र में फिर निकलते हैं। पुलिस महकमे से जो आॅर्डर्स निकलते हैं वे पुलिस के अधिकारियों के पास राजपत्र से पहले पहुँचते हैं।

श्री चाँदमल मेहता--जो एक्ट आदि राजपत्र में प्रकाशित होते हैं क्या उनको भी पुलिस अधिकारियों के पास राजपत्र से पहले भेज दिया जाता है ?

श्री जयनारायण व्यास--आपने क्या पूछा, सुनाई नहीं दिया ?

श्री अध्यक्ष--एक्टस् वगैरह जो गजट में निकलते हैं क्या उनको भी राजपत्र से पहले अलग भेज दिया जाता है ?

श्री जयनारायण व्यास—वे पब्लिक प्रोसीक्युटर्स के पास भेजे जाते हैं, सबइन्सपेक्टर्स के पास उन्हें भेजने की जरूरत नहीं होती। उनके पास जितनी सूचना जानी चाहिये उतनी ही जाती है।

श्री श्रीदास गोयल—जो कोग्नीज़ेबल ऑफेन्सेज़ हैं उनकी क्या व्यवस्था है ?

श्री जयनारायण व्यास—उनकी आवश्यक व्यवस्था है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हमें आप जितना समझाने का प्रयत्न करते हैं क्या उससे आधा प्रयत्न भी आप अपने डिप्टी मिनिस्टर को समझाने में करते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—मुझे अफसोस है कि आपको समझाने पर भी आप समझ नहीं पाते हैं।

प्रश्न संख्या १००४

सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री तथा उसके शेयर और वार्षिक आय

श्री श्रीदास गोयल—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सवाई माधोपुर सीमेंन्ट फैक्ट्री में प्रतिदिन कितनी सीमेंट तैयार होती है ?

(ख) यह सीमेंट कब से तैयार हो रही है ?

(ग) सरकार के शेयरों का मुनाफा कितना काबिले वसूल है और उसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(घ) इस फैक्ट्री की प्रति मास वास्तविक (नेट) आय क्या है ?

श्री जयनारायण व्यास—(क) इस फैक्ट्री में प्रतिदिन ७५० टन सीमेन्ट तैयार हो रही है।

(ख) १६ मई, सन् १९५३ से यह सीमेन्ट बनने का कार्य आरम्भ हुआ है।

(ग) कम्पनी ने अभी तक डिवीडेन्ट नहीं बांटा है, अतः वसूली का कोई प्रश्न नहीं है; ज्यों ही डिविडेन्ट बंटेगा हिसाब आ जावेगा।

(घ) यह प्राइवेट लि० कम्पनी है और बैलेन्स शीट कम्पनी के लॉ के अनुसार मर्जी चाहे प्रस्तुत करे या नहीं; अतः आमदनी प्रतिमास क्या होती है यह दर्याफ्त करके बताया जा सकेगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—इस फैक्टरी में गवर्नमेंट के डाइरेक्टर्स हैं या नहीं?

श्री जयनारायण व्यास—नहीं।

श्री रामदयाल—इस पर सरकार ने कितनी कैपिटल लगा रखी है।

श्री जयनारायण व्यास—७५ लाख रुपये सरकार ने लगा रखे हैं।

श्री रामदयाल—७५ लाख रुपये लगाने पर भी क्या सरकार अपने डाइरेक्टर्स रखना उचित नहीं समझती?

श्री जयनारायण व्यास—जिस समय ७५ लाख रुपये दिये गये थे उस समय यह शर्त नहीं की गई थी, इसलिये अब डाइरेक्टर नहीं रखे जा सकते।

श्री कँवरलाल जेलिया—यदि हमारे यहां अब इस प्रकार की आवाज उठाई जावे तो सरकार क्या करेगी?

श्री जयनारायण व्यास—मुझे आवाज कमजोर दिखाई पड़ती है।

श्री चाँदमल मेहता—पुरानी रियासतों ने जो कस्टम्स की छूट दे रखी थी उसको छीनने के बारे में सरकार ने कदम उठाया, वैसे ही क्या फैक्टरी में डाइरेक्टर्स रखने के लिये सरकार कदम उठाना पसन्द नहीं करती?

श्री जयनारायण व्यास—यह कानून का सवाल है। जोर की आवाज से हल नहीं हो सकता।

श्री चाँदमल मेहता—क्या वहां कानून का सवाल नहीं था जब कि भूतपूर्व रियासतों ने जो सुविधा दे रखी थी उसको आपने समाप्त किया?

श्री जयनारायण व्यास—आपको इस बात का दुःख है।

श्री रामदयाल—क्या मुख्य मंत्रीजी डेफिनिट हैं कि वहां सरकार का एक भी अधिकारी नहीं है?

श्री जयनारायण व्यास—I am cent-percent definite.

श्री रामदयाल—क्या यह सही नहीं है कि इस सदन में पहले आपने कहा था कि उस जिले का कलेक्टर सरकार की ओर से डाइरेक्टर है?

श्री जयनारायण व्यास—आप शायद भूल रहे हैं।

Page No.19

श्री श्रीदास गोयल—क्या इस सदन में कुछ दिन पहले सीमेंट का रोजाना प्रोडक्शन ३०० टन आपने बतलाया था और आज ७५० टन रोजाना बतलाते हैं; तो क्या आप बतलायेंगे कि सही स्थिति क्या है ?

श्री जयनारायण व्यास—हो सकता है कि अब बढ़ गई हो।

श्री श्रीदास गोयल—क्या १५ ही दिनों में ३०० से ७५० हो गई है ?

श्री जयनारायण व्यास—बढ़ने की सूचना शायद उस प्रश्न का उत्तर देने के बाद में आई हो।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या यह समझें कि पहले की सूचना निराधार थी या गलत थी ?

श्री जयनारायण व्यास—वह भी निराधार या गलत नहीं थी, पुरानी सूचना के आधार पर थी।

श्री श्रीदास गोयल—जो प्रश्न दर्याफ्त किये जाते हैं उनकी सूचना अपटूडेट (uptodate) दी जाती है या पुरानी रिपोर्टें पड़ी हुई होती हैं उन्हीं के आधार पर दे दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष--Order ! Order !!

(घंटी)

श्री श्रीदास गोयल—One more supplementary Question,Sir, क्या बेलेंस शीट के बारे में सरकार ने सोचने की कोशिश की है कि डिविडेंड कब तक मिल जायगा ?

श्री जयनारायण व्यास—यह नहीं कहा जा सकता, यह व्यापार के प्रश्न पर मुनस्सर है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अपने महकमें के अनुमान के माफिक यह ७५ लाख रुपया राइट ऑफ होने की नौबत आ जायगी ?

श्री जयनारायण व्यास—राइट ऑफ करने की नौबत तो नहीं आयेगी, परन्तु जिन शर्तों पर ७५ लाख रुपया दिया गया है उनको देखते हुए बहुत लाभ नहीं होगा।

श्री श्रीदास गोयल—क्या साढ़े तीन पर्सेंट प्रिफरेंस शेयर्स (preference shares) खरीदे गये ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं जनरल पिक्चर दे सकता हूँ, डिटेल्स में नहीं जा सकता।

Page No.20

श्री श्रीदास गोयल--अब डिविडेन्ट समय पर मिल सकें, बैलेंस शीट तैयार होकर सरकार को पैसे मिल सकें, इसकी वसूली करने के लिये क्या सरकार लिखा पढ़ी करेगी ?

श्री जयनारायण व्यास--वसूली तो लिखा-पढ़ी से नहीं होती, वसूल करने पर ही होती है। कुछ शर्तें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से अभी तक उलझनें हैं, जिनकी वजह से कम्पनी रुपये मांग रही है; जैसे रेल्वे लाइन्स। यह मामला कुछ पंचों के सुपुर्द किया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--ऐसी उलझन भरी शर्तें तय करने के लिये कौन जिम्मेदार था ?

श्री जयनारायण व्यास--सरकार, उस समय की सरकार।

श्री कंवरलाल जेलिया--राजस्थान सरकार ने इतनी बड़ी रकम लगाई और फिर भी उलझनें भरी शर्तें तय कीं, यह क्या बात है ?

श्री जयनारायण व्यास--राजस्थान सरकार ने नहीं, जयपुर सरकार ने लगाई थी।

श्री कंवरलाल जेलिया--क्या जयपुर सरकार की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार पर नहीं आ जाती है ?

श्री जयनारायण व्यास--ठीक है, तभी तो जिम्मेदारी भुगत रहे हैं।

श्री श्रीदास गोयल--अपने प्रतिनिधित्व के बारे में राजस्थान सरकार क्या सोच रही है ?

श्री जयनारायण व्यास--क्योंकि शर्तें ही ऐसी हैं कि असहाय अवस्था में कुर्सी पर चुप बैठने की सोच रही है।

कु० श्री जसवन्तसिंह--क्या राजस्थान सरकार इस कम्पनी को और भी देने के विषय में सोच रही है ?

श्री जयनारायण व्यास--मैं माननीय लीडर ऑफ ओपोजिशन की राय मानने में असमर्थ हूँ; ७५ लाख रुपये जो दे दिये गये हैं वही काफी हैं।

(हंसी)

श्री श्रीदास गोयल--क्या राजस्थान सरकार उन पर मुकद्दमा चलाने की भी कोशिश कर रही है ?

श्री जयनारायण व्यास--इतनी गुंजायश नहीं है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—क्या किसी अनुभवी वकील की सलाह लिये और ही ऐसा कह रहे हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—आपकी आवाज साफ नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १००५

शासन को तहसील शेरगढ़ से अफीम विक्रय से आय इत्यादि

श्री खेतसिंह—क्या पृथक् राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार को तहसील शेरगढ़ से अफीम बिक्री से कितनी आमदनी होती है और सालाना कितने रुपये की अफीम की तहसील शेरगढ़ की जनता में खपत होती है ?

(ख) क्या सरकार अफीम की दरों में परिवर्तन कर उस पर ज्यादा टैक्स लगाने बाबत कोई योजना रख रही है ? यदि हां, तो कब तक वह कार्यान्वित होगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोलानाथ (पृथक् राजस्व मन्त्री)—(क) सवा तीन लाख रुपये की अफीम की तहसील शेरगढ़ में खपत होती है।

(ख) अफीम की वर्तमान दरों में सरकार इस समय कोई परिवर्तन नहीं कर रही है क्योंकि वर्तमान दरें काफी ऊँची हैं।

श्री जयानसिंह—क्या इसमें आमदनी बढ़ाने की योजना सरकार सोच रही है ?

श्री भोलानाथ—आमदनी बढ़ाने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री खेतसिंह—जो अफीम अभी बिक रही है, क्या सरकार के ध्यान में है कि वह अच्छी अफीम नहीं है ?

श्री भोलानाथ—ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।

कु० श्री जसवन्तसिंह—जिन माननीय सदस्य ने यह सवाल पूछा था, क्या वे शेरगढ़ के प्रतिनिधिजी अफीम खाते हैं, जिससे वे अच्छी-बुरी अफीम को पहचानते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—मेरा ख्याल है कि वे अफीम खाने वालों को पहचानते हैं।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान से अफीम स्मगल होती है या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—स्मगल होने के बहुत सारे समाचार आते हैं और लोगों को सजाएं मिलती हैं; खासतौर से कोटा की तरफ।

सदन से को अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिये, जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है :

१. श्री प्रतापसिंह (११५) २४ मई, १६५४ से पूर्ण सत्र के लिये।

२. श्री लालबहादुर १८-५-५४ से ४ जून, १६५४ तक।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

राजस्थान उत्पाद कर (संशोधन) विधेयक, १६५४. (अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

अब लेजिस्लेटिव बिजनेस को हम लेते हैं। आज का कार्य लेने से पहले कल राजस्थान एक्साइज़ अमेंडमेंट बिल, १६५४ के जो खण्ड रह गये थे उन्हें विचारार्थ लेते हैं।

खण्ड २, राजस्थान एक्साइज़ (अमेंडमेंट) बिल, १६५४ को विचारार्थ लेते हैं।

श्री भोलानाथ—इसको पारित किया जाय।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, यहां जिस तरह कल बहस हो रही थी तो माननीय मंत्रीजी को आपोजिशन की तरफ से निवेदन किया गया था कि असली एक्ट हमारे पास नहीं होने से हम इस वक्त इस पर बहस करने में असमर्थ हैं। विधान सभा सचिवालय से जो धारा २ की कॉपी दी गई उससे मालूम होता है कि Clauses (2) and (11) of section 3 को डिलीट करना ही काफी नहीं है क्योंकि जो रीज़न्स माननीय मंत्री ने दिये उस रीज़न में सेक्शन फोरिन के मातहत फोरिन लिकर और कंट्री लिकर दोनो की डेफिनिशन के बारे में गवर्नमेंट समय-समय पर राजस्थान राजपत्र में डिक्लेअर करेगी।

ऐसी सूरत में ये दो ही क्लॉज़ेज़ नहीं कि जिनमें आपत्ति होगी। अगर ओरिजिनल एक्ट को देखा जाय तो पता चलेगा कि क्लॉज़ (१५) ओफ सेक्शन थ्री में भी गवर्नमेंट को इस तरह डिक्लेअर करने के पावर दिये हैं, जैसा कि सेक्शन ४ में है जिसके कारण कि सरकार को दिक्कत आई और कई केसेज़ में सरकार के खिलाफ फैसले भी हुए।

Page No.23

[कु॰ श्री जसवन्तसिंह]

माननीय अध्यक्ष, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि सेक्शन १० में फरमेंटेड लिकर के बारे में गवर्नमेंट को पॉवर्स दी हुई हैं जिनके मातहत गवर्नमेंट डिक्लेअर कर सकती है कि फरमेंटेड लिकर क्या होता है।

इन सब बातों को देखते हुए मेरी समझ में तो इन दोनों चीजों पर कंट्री लिकर और फोरिन लिकर दोनों को डेफिनेशन से हटाया जाय। मैं तो यह कहूँगा कि ये दो ही नहीं हटेंगी बल्कि ४ हटेंगी। कन्ट्री लिकर, फोरिन लिकर, फरमेंटडे लिकर, और इन्टोक्सिकेटेड ड्रग; ये चारों हटेंगी तभी आपका वह मकसद् जिसके लिये कि आप यह अमेंडमेंट ला रहे हैं वह पूरा होगा। अगर इन दो बातों को ही हटायेंगे तो वही गड़बड़ी रहेगी और आपका मकसद जो इस अमेंडमेंट को लाने में है वह पूरा नहीं होगा।

इसलिये मेरे विचार से पूरी तरह फिर से विचार करके इसे सदन के सामने लाया जाय तो ठीक रहेगा। इस तरह पेश करना कोई अच्छा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—Yes, Shri Bhairon Singh.

श्री भैरूँसिह [१६]—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय कल यह संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत हुआ था उस समय विरोधी दल के नेता ने और कई दूसरे सदस्यों ने यह ऐतराज किया था कि हमारे पास ओरिजिनल बिल (Original Bill) नहीं है ऐसी हालत में औरिजिनल बिल प्रोवाइड किया जावे और अगर औरिजिनल बिल प्रोवाइड नहीं किया जावे तो जिस धारा पर यह एमेंडमेन्ट है उस धारा की कोपी सभी सदस्यों के पास भेजी जावे, उसके बाद ही इस पर कुछ कह सकेंगे। आज सुबह ही मैं प्रेस में इस बिल की कॉपी लेने के लिए गया था लेकिन मुझे यह ओरिजिनल बिल नहीं मिला। इसलिए मजबूर हैं इस बारे में कुछ कहने के लिए। इसलिए मेरा यह निवेदन है, कि जब तक उसकी कॉपी न मिले इस पर विचार नहीं किया जावे।

श्री भोलानाथ—माननीय अध्यक्ष, यह बिल कल विचारार्थ लिया गया था और इसलिए आज के लिए स्थगित हुआ था कि असली एक्ट को लाइब्रेरी से लेकर देख लिया जावेगा और इस आवश्यक संशोधन पर विचार किया जावेगा। मैं समझता हूँ कि इस संशोधन पर विचार करने के लिए काफी मौका मिले, इसके लिए आज के लिए स्थगित किया गया था। अभी माननीय लीडर ऑफ ओपोज़िशन ने क्लॉज़ ३ के लिए कहा है। वह कुछ ठीक मालूम होता है। इसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन ही (अश्रव्य) दिया है लेकिन गवर्नमेंट को सेक्शन १५ में भी पॉवर्स हैं।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—क्लॉज़ १४ (४) में भी वही डिफिकल्टी आती है जो इसमें आती है। in toxicating drugs........

श्री भोलानाथ—इस लिकर के सम्बन्ध में नहीं है। यह तो अलग चीज है। यह तो कन्ट्री लिकर और फॉरिन लिकर के बारे में है और दूसरों के......

कु० श्री जसवन्तसिंह—अगर आपने कन्ट्री लिकर और फॉरिन लिकर के सम्बन्ध में ही यह हटा दिया तो मैं समझता हूँ कि इससे समस्या हल नहीं होगी। क्योंकि गवर्नमेंट को जैसा कि इसमें पॉवर्स है उसी प्रकार के पॉवर्स इन्टोक्सीकेशन में भी दिये गये हैं :

Intoxicating drug: (14) [iii] :—What will be an intoxicating drug ? It will be declared in the Rajasthan Gazette.

इसी तरह से फरमेन्टेड लिकर सब सेक्शन (१०) ऑफ सेक्शन ३ में है। आप इसे दो बातों से हटा रहे है तो फिर आपको इसे दूसरी दो बातों से भी हटा देना चाहिये। सिर्फ दो पर से हटाने से यह एमेंडमेंट इन्कम्पलीट (अपूर्ण) रह जावेगा। इन चारों के बारे में गवर्नमेंट को अलग डिक्लेरेशन करने की पॉवर्स दी गई हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इन चारों को हटा दीजिये वरना दो के रहने से फिर वही दिक्कत पैदा होगी।

श्री भोलानाथ—क्लॉज़ १४ (४) के बारे में आपने कहा। ये तो ऐसे ड्रग्ज़ हैं जो काफी माने हुए है और ये ड्रग्ज़ आदि हैं उनको गवर्नमेंट ने अपने कन्ट्रोल में किया है और इसके अलावा इन पर गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की तरफ से भी कन्ट्रोल बराबर रहता है। इसलिए इनकी डेफिनिशन में कोई फर्क नहीं आने वाला है। इसलिए क्लाँज़ १४ रहे तो कोई एतराज नहीं। क्लाज़ १५ में आया है कि सरकार गजट में शाया करा देगी और इससे इसकी कमी पूरी हो जावेगी। इसलिए अगर जरुरत पड़ेगी तो बढ़ाया जा सकता है। इसलिए सेक्शन ४ से कार्यवाही पूरी हो जावेगी।

कु० श्री जसवन्तसिंह--यह कार्यवाही पूरी नहीं होगी अगर......

श्री अध्यक्ष--Let the Government suffer.

कु० श्री जसवन्तसिंह--We ca'nt be a party to a wrorg thing. We do'nt want to look Small in the eyes of Court and the public.

श्री अध्यक्ष—Then move another amendment that this should be deleted.

श्री भोलानाथ---आपका अभी तो कोई इस पर एमेंडमेंट नहीं हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—The intention seems to be, Sir, to pass an incomplete law. Certainly it is not for me to object, if the govt. want to look ridi-

Page No.25

[श्री कुँ० जसवन्तसिंह]

culous. The Government looks ridiculous everyday, but why we should look ridiculous along with the Government ?

श्री भोलानाथ—यह इसलिए किया जा रहा है कि यह आवश्यक है। यदि इसके लिए कोई तरमीन आपकी तरफ से होती तो मन्जूर कर लेते। लेकिन कोई एमेंडमेंट नहीं है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—तरमीन के लिए हमें मौका अभी मिला है, क्योंकि हमारे पास एक्ट नहीं था। एक्ट अभी हमारे पास आया है। जो क्लाज (२) है उसके साथ इन्टोक्सीकेटिंग ड्रग्ज और दूसरे फरमेन्टेड लिकर भी हैं। अगर आप कन्ट्री लिकर और फॉरिन लिकर को डेफिनिशन से हटा दें तो मैं यह कहूँगा कि ये दोनों भी इसके साथ ही जावेंगे। मेरा तो एमेंडमेन्ट यही है कि in that case 'Intoxicating drugs 'and' 'Fermented liquor' should also be omitted from the Definitions. That is my amendment because if you read the wordings, the wordings in toto are the same.

श्री भोलनाथ—इसको हटाने की जरूरत नहीं (अश्रव्य) Any other liquor गवर्नमेण्ट डिक्लेयर कर देगी और उसकी कमी होगी तो उसको पूरा कर देगी और इसी तरह सेक्शन १५ की कमी पूरी हो सकती है क्योंकि गवर्नमेंट को पॉवर्स हैं।

श्री अध्यक्ष—The question is the clause 2 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 2 is added to the Bill.

(विराम)

श्री अध्यक्ष—Now the question is that clause 1 and the preamble of the Bill be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 1 and the preamble are added to the Bill.

श्री भोलानाथ—माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करता हूँ कि यह बिल पास कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष—The question is that the Bill be passed.

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

The Bill is passed.

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्गहण (संशोधन) विधेयक, १६५४

श्री अध्यक्ष—Now we come to the consideration of Shri Mohan Lal Sukhadia.

The Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs (amendment) Bill, 1954.

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मन्त्री)--Sir, I beg to move that the Bill to amend the Rajasthan Land Reforms and Resumeption of Jagirs Act, 1952, be taken into consideration.

अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के साथ मैं कुछ सदन के समक्ष निवेदन करना भी उपयुक्त समझूँगा।

श्री अध्यक्ष–Jagir Amendment Bill, 1954 ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—Yes, 1954.

सन् १६५२ में जागीर रिज़म्पशन के सम्बन्ध में एक कानून पास किया गया था और उस कानून के बाद उस पर अमल करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ नोटिसेज़ जारी किये गये थे। जब नोटिसेज़ जारी किये गये तो जागीरदारों में से बहुत से व्यक्ति हाईकोर्ट में रिट एप्लीकेशन्स लेकर गये। रिट एप्लीकेशन्स (writ applications) पर हाई कोर्ट में विचार चल रहा था उस समय सदन के समक्ष, अध्यक्ष महोदय, सदस्यों को याद होगा कि सरकार के प्रति एक अविश्वास का प्रस्ताव आया था और जब तक वह अविश्वास का प्रस्ताव था उस वक्त तक आपसी बातचीत या और किसी सम्बन्ध में चर्चा करना हम लोगों ने उपयुक्त नहीं समझा और उस पर जो कुछ हुआ था वह सदन के समक्ष है। लेकिन उसके बाद दोनों पक्षों की ओर से इस बात को उचित समझा गया कि राजस्थान के हित में यह अच्छा होगा कि हम जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए आपसी बातचीत के द्वारा अदालत के बाहर फैसला करें और उस पर कार्य किया गया।

राजस्थान में जहाँ तक जागीरों का प्रश्न है इसका एक लम्बा इतिहास रहा है सदियों पुराना, और यदि राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाय तो करीब २/३ हिस्सा जागीरी प्रथा के अन्तर्गत है। अगर इसको गाँवों के लिहाज से देखा जाय तो खालसे के हिस्से में १६,६३८ गाँव हैं जबकि जागीरों के हिस्से में १६६३१ पूरे गाँव हैं और १३२५ के करीब ऐसे गाँव है जिनमें जागीर और खालसा दोनों के हिस्से मिले हुए हैं और यदि काश्त के हिसाब से देखा जाय तो जो जागीरी इलाका है उसकी भूमि में ४१ प्रतिशत भूमि में काश्त होती है और खालसे की जमीन में ३३ प्रतिशत होती है। तो इस प्रकार अधिकतर हिस्सा राजस्थान की जागीरी प्रथा में सदियों से चला आ

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

रहा है। इस सम्बन्ध में बहुत पहले से ये विचार खास तौर पर रहे हैं कि इस प्रथा का उन्मूलन होना चाहिए और इसके बिना राजस्थान प्रगति नहीं कर सकता है। राजस्थान में आने वाले किसानों का जब तक सीधा सम्बन्ध न हो तो रात-दिन बहुत से जागीरदार और किसानों के बीच जो झगड़े चलते हैं वे समाप्त नहीं हो सकते और इसी दृष्टि से उसका (जागीरी प्रथा का) उन्मूलन होना आवश्यक है। लेकिन उन्मूलन के दो तरीके हो सकते हैं। कानून तो हर वक्त आवश्यक होगा ही, लेकिन कानूनी तरीके से एक चीज़ पूरी की जाय और दूसरी तरफ सद्भावना का वातावरण बनाया जा सके और इस चीज़ को आपसी बात-चीत से समाप्त किया जा सके तो मैं समझता हूँ कि उसमें सब को खुशी होगी। इसी विचारधारा को लेकर क्षत्रिय महा सभा, जो राजस्थान के जागीरदारों का प्रतिनिधित्व करती थी उनसे बात-चीत हुई और उन्होंने सन् ५३ की फरवरी को प्रस्ताव पास किया कि हम जागीरी प्रथा की समाप्ति के उद्देश्य से सहमत हैं और आपसी बात-चीत द्वारा इसको हल करना चाहते हैं। जब यह उसूल तय हुआ तो हमने इस उसूल के साथ यह तय किया कि यदि बात-चीत की जाय और यदि आपस में मतभेद हो तो उसके निपटारे के लिए क्या किया जाय? उसके लिए यह तय किया कि पं० जवाहरलाल नेहरू के समक्ष जो आपसी मदभेद हों वे रखे जाँय और वे जो अन्तिमरूप से निर्णय दें उसको दोनों पक्ष स्वीकार करें। जो बात-चीत हुई उसको पंडितजी के सामने रखा गया और पंडितजी ने उस सारे मसले को पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त को इस मामले में हस्तक्षेप के लिए रखा, जो यू० पी० के मुख्य मन्त्री हैं और भारतवर्ष के बहुत माने हुए एक नेता है, अच्छे शासक हैं। किसानो की दृष्टि में भी यू० पी० के अन्दर जितने प्रगतिशील कानून हैं, मैं समझता हूँ कि अन्य राज्यों के अन्दर उतने नहीं। उनके हस्तक्षेप के फलस्वरूप एक निर्णय हुआ और वह निर्णय सदन के प्रत्येक सदस्य के पास, एक रिपोर्ट के रूप में जो कि पन्त रिपोर्ट के नाम से राजस्थान और भारतवर्ष में जानी जाती है, भेजा गया। उस रिपोर्ट के बाद भी एक बात बाकी रही थी। पाँच हजार से नीचे जो जागीरें हैं उनके सम्बन्ध में बात करना आवश्यक समझा गया और खास तौर पर छोटे जागीरदारों को अधिक मुआवजा मिलना चाहिए, इस बात को हमारे सामने रखा गया तो हम यह उपयुक्त समझते थे कि इस प्रश्न पर भी पं० गोविन्दवल्लभ पन्त से राय ले ली जाय और पिछले हफ्ता बात-चीत भी की गई।

जो बिल सदन के समक्ष पेश है उसके देखने से स्पष्ट मालूम होगा कि इसके अन्दर पहले जो कानून था उस कानून में किसानों से, जिसकी जमीन हर वर्ष काश्त के लिए दी जाती है, मतलब इयर टू इयर लीज़ पर दी जाती है उसको लेकर खुदकाश्त पर लाने की उपधारा थी। इसी प्रकार एक उपधारा और थी जिसके अनुसार जिसको लीज़ पर इस एक्ट के बनाने के बाद और कलेक्टर के ऑर्डर देने के पहले नहीं लिया और लीज़ खत्म होती है तो वह जमीन किसानों से ली जा सकती है। तो उन धाराओं में परिवर्तन कर दिया गया है। यह इसलिए किया गया माननीय अध्यक्ष, कि इन धाराओं के अनुसार बहुत से किसान बेदखल किये जा सकते थे। बात-चीत के दौरान में रिपोर्ट से जैसा कि जाहिर होगा कि एक दृष्टिकोण सामने रखा था और वह यह था कि हम नहीं

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

चाहते थे कि जब देश के अन्दर जागीरी प्रथा का उन्मूलन हो तो उसके साथ ही जिस किसान को हमने सन् ४८ के वक्त तक काश्त करने का अधिकार दिया है, प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स एक्ट के जरिये जिसको प्रोटेक्शन दिया गया है उसको बेदखल होना पड़े। अगर किसी कारण किसान को जमीन छोड़नी पड़ती है और खास तौर पर राजस्थान जैसी जगह में जहाँ पर कि जमीन के बारे में राइट्स के कानून बने हुए नहीं हैं और जिसके लिए खास तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि कौन कितने अर्से से काश्त कर रहा है, अगर उसको बेदखल होना पड़ता है तो किसानों के लिए बजाय इसके कि उसको सामाजिक न्याय प्राप्त हो, उसको अच्छे अवसर प्राप्त होने के बजाय, उसके लिए यह उल्टा असर साबित करने वाला हो सकता है और इसीलिए उसमें परिवर्तन किया गया और सदन के सभी सदस्यों ने देखा होगा कि पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्त ने इस बात के लिए कहा कि यह न्यायोचित बात नहीं होगी कि जागीरी उन्मूलन के बाद इस बात को जोड़े कि किसानों की बेदखली हो। उसी चीज़ पर शुरु से अखीर तक जोर दिया गया। यह भी प्रश्न हमारे पास है कि जो जमीन काश्तकारों के पास है उसका बटवारा कर दिया जाय। कुछ जमीन किसानों के पास है और कुछ जागीरदारों के पास। लेकिन जब हमने सिम्पल सर्वे की और खुदकाश्त इन्क्वायरी कमेटी स्थापित की और एक विश्लेषण की दृष्टि से देखा तो ज्ञात हुआ कि यदि हम जमीन के बँटवारे की बात करते हैं तो आखिर हमारे पास जमीन कितनी है जिसका बँटवारा हो। ३१ गाँवों का सिम्पल सर्वे किया गया। उससे जाहिर हुआ कि जो इर्रिगेटेड लेन्ड है भोमियों के पास ६ एकड़ आती है यानि एक एकड़ से कम और काश्तकार के पास जो जमीन है वह एक एकड़ आकर पड़ती।

अगर बारानी जमीन का लिया जाय तो आपको पता चलेगा कि भोमियों के पास ७१५ एकड़ औसत आती है और किसान के पास ८ एकड़ औसत आती है। बटवारा अगर इस चीज का किया जाय जो पहले से ही अनइकोनोमिक होल्डिंग है, तो उचित नहीं होगा और दोनों के बीच में बटवारा संभव नहीं इसलिये हमने बटवारे से सहमति प्रगट नहीं की। साथ-साथ बात यह भी है कि कानून बनाना था। यह कोई नया कानून नहीं था। इसकी पृष्ठभूमि को देखा जाय तो आपको ज्ञात होगा कि जोधपुर में मारवाड़ टीनेन्सी एक्ट पास हुआ था, नये राजस्थान के बनने के अवसर पर वहाँ पर जमीन पर जो काश्त कर रहे थे उनको खातेदारी के हक थे। जयपुर में जयपुर लेन्ड टीनेन्सी एक्ट के अनुसार वहाँ की जमीन पर जो काश्त करते थे उन किसानों को इसी प्रकार के हक दे दिये गये जिनको पुराने हक मिले हुये थे; अगर उसमें दस्तन्दाजी करें तो यह भी संभव नहीं हो सकता। जिन लोगों को पुराने हक प्राप्त हो चुके थे उनको स्वीकार करना होगा। इन सब बातों को ख्याल में रखकर सारी बातों पर विचार किया गया।

जहाँ तक किसानों की बेदखली का सवाल है इन सब बातों का ध्यान रखा गया। साथ-साथ इस बात को स्वीकार किया गया कि जो छोटे-छोटे जागीरदार हैं, जिनके बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार हमें यह मालूम हुआ कि अधिकतर छोटे जागीरदारों के पास भी जमीन काश्त के लिये है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के पास जमीन न हो। उन लोगों को जमीन प्राप्त करने के लिये बराबर जोर दिया जाता रहा कि उनके लिये भी जमीन होनी चाहिये।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

अध्यक्ष महोदय, हम इस बात को मानते हैं कि जो छोटे जागीरदार हैं जिनका मुआवजा कुल मिलाकर इतना नहीं होगा जिससे वे अपनी आजीविका के साधन बहुत अच्छी तरह पूरे कर सकें। अगर किसी प्रकार उनके प्रति सोश्यल इनजस्टिस किये बिना दूसरों के हकूकों पर आघात करते हुये पूर्ति कर सकते हैं तो उसकी पूर्ति करनी चाहिये और अगर हमारे पास जमीन उपलब्ध हो तो उनको प्राथमिकता दें। इस दृष्टि से हमने इस बारे में आपसी बात-चीत का आधार स्वीकार किया। साथ ही साथ हमने यह भी निश्चय किया कि इनको आर्थिक मदद भी दी जानी चाहिये जिससे वे अपने आपको पुनर्स्थापित कर सकें। जहाँ तक जमीन का प्रश्न है हम इस दृष्टि से चले हैं, इसका असर आपको इस कानून की अलग-अलग धाराओं में मिलेगा। जहाँ तक मुआवजे का प्रश्न था इसमें सिर्फ इस बात का ख्याल रखा गया कि मुआवजा भारतवर्ष के अन्य राज्यों के मुकाबले देना पसन्द करेंगे और अगर इसमें कमी है तो इसको ठीक करने का प्रयत्न करेंगे; लेकिन जैसे सौराष्ट्र को लीजिये, सौराष्ट्र में जमीन के मामले इस नीति का अवलम्ब लिया गया है कि जो जमीन वहाँ पर है तो उस सारी जमीन में आधी जमीन काश्तकार के लिये और आधी जमीन जागीरदार को दी गई है; इस प्रकार की नीति का वहाँ अवलम्बन लिया गया। इसके साथ-साथ कम्पेन्सेशन के मामले में भी रियायतें रख ली गईं क्योंकि वहाँ जमीन की बहुतायत है और जमीन का बहुत क्षेत्र था, इसलिये उन्होंने इस दृष्टिकोण को सामने रखा। मैं आपको आंकड़े के जरिये बताऊं कि वहाँ ६। एकड बारानी जमीन के साथ २ एकड़ भूमि ऐसी है जो अच्छी कही जा सकती है। ऐसी अच्छी स्थिति थी इसलिये वहाँ पर यह संभव हो सका। लेकिन इनके साथ कम्पेनसेशन देना तय किया गया। उस हदतक यहाँ की स्थिति में जाने में हम अपने आपको उपयुक्त नहीं पाते। हमने मध्यभारत को सामने रखा। मध्यभारत में अन्तिम रूप से जो हाई कोर्ट द्वारा तय किया गया उसको सामने रख कर देखा, और हमने अन्तिम रूप से यह तय किया कि बड़े-बड़े जागीरदारों के मामलों में हम मध्यभारत से आगे नहीं बढ़ें। हमारा कम्पेन्सेशन हैदराबाद से बढ़कर नहीं जाता। इसी प्रकार मद्रास और बिहार के कम्पेन्सेशन के अलग-अलग आँकड़े हैं, उनको भी हमने सामने रखकर देखा। इस समय इनके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। जब क्लॉज़ वाइज़ बहस होगी उस समय इस पर रोशनी डालूंगा लेकिन यह बात ठीक है कि जो कम्पेन्सेशन की दर पहले रखी गई थी उससे कुछ अवश्य बढ़ाया गया है और ज्यों-ज्यों नीचे जाते हैं तो वह अनुपात बढ़ता ही जाता है। पुरानी अड़चनों को दृष्टि में रखते हुए कम्पेन्सेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ को एक बेसिस पर लाया गया ताकि पुनर्स्थापन की ग्रान्ट को दिया जाय। कम्पेन्सेशन को केल्कुलेट करने के अन्दर हमने जिस केल्कुलेशन को अन्दाज रखा है उससे कुछ स्टेज बढ़ेगा। इन सारी चीजों का, कम्पेन्सेशन में इस बात का ख्याल रखा गया कि हम इतना कम्पेनसेशन न दें जो कि अन्य राज्यों के मुकाबले वह ज्यादा बढ़ जाय और इतना भी न दें जो राज्य के खजाने पर एक प्रकार से भार साबित हो। इन चीजों को लक्ष्य में रखते हुए कम्पेन्सेशन की रकम को बढ़ाने का तय किया गया। मैं इस अवसर पर इतना ही कह देना चाहता हूँ कि बहुत से व्यक्ति जो यह भी कह सकते हैं कि इन सारी बातों के अन्दर साल, सवा साल का अर्सा निकल गया और इस पर भी मुआवजा ज्यादा देने की बात तय हुई तो अध्यक्ष महोदय, जितना बड़ा और व्यापक प्रश्न यह है इस प्रश्न को हल करने में किसान के हित का खास तौर से ध्यान रखा गया। उसकी जमीन व उसके लिये सिक्यूरिटी ऑफ टेन्योर हो सके, इस बात को लक्ष्य में

Page No.30

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

रखते हुए हम आपसी समझौते द्वारा अच्छे वातावरण से इस बात को समाप्त करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह सब से अच्छी चीज हो सकती है। हमारे इस तरीके को देश के बड़े-बड़े व्यक्तियों ने पसन्द किया है। साल भर से अधिक का समय इसमें लग गया, इस कार्य को करने में। किन्तु कार्य की जटिलता को देखते हुए यह समय ज्यादा नहीं कहा जा सकता। यह भी कहा जा सकता है कि इसके जरिये कुछ ज्यादा रुपया मिलने की बात तय की गई। लेकिन राजस्थान के अन्दर जो इस सम्बन्ध में एक प्रकार से कटुता का वातावरण था उस कटुता के वातावरण को समाप्त करके हम आपसी मेलजोल के साथ, अगर हमें इस कार्य के लिये कुछ रुपया अधिक भी देना पड़े, तो भी कोई हानि नहीं होगी। साल भर का समय बात-चीत में निकल गया। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि इतना समय तो कानूनी झगड़ों में भी निकल जाता है। अगर यह तरीका नहीं अपनाते और फरवरी, ५३ में सारी जागीरें लेने का निर्णय भी कर लेते तो यह चीज हाई कोर्ट में जाती और फिर आगे वह सुप्रीम कोर्ट में जाती। इस प्रकार के इसके अमल में हमें देरी हो जाती। अगर हम आपसी बात-चीत के जरिये अच्छे वातावरण में इस बात को समाप्त कर पाये हैं तो मेरा निश्चित मत है और जिसकी सराहना पं० जवाहरलाल नेहरू ने की है, यह हमको मानकर चलना चाहिये कि पं० जवाहरलाल नेहरू यदि किसी बात का समर्थन करते है तो उनके दिल के अन्दर देश का दृष्टिकोण है और वह दृष्टिकोण देश के लोगों के अन्दर क्या असर करता है, यह सर्व विदित है। मैं आपके सूचनार्थ कहना चाहता हूँ कि पंडितजी ने अपनी बात-चीत के सिलसिले में यह कहा कि कुछ लाख रुपया इधर हो जाय तो उसका इतना असर नहीं होगा किन्तु हमें इस चीज को अच्छे वातावरण में समाप्त करना चाहिये। उदाहरण की तौर पर बताया कि एक ऐसा राष्ट्र था और है जो कि बिना मुआवजे के एक चीज समाप्त की गई किन्तु वह कितनी खून-खराबी और कितने झगड़ों के बाद समाप्त हुई। झगड़ों में और खून-खराबी में भी तो खर्च होता है। अशान्ति भी देश में होती है, देश में झगड़े होते हैं; इन सारी चीजों को मिटाकर इस चीज को करते हैं तो ज्यादा वाजिब चीज हो सकती है। ठीक है इसकी पूर्ति के लिये दोनों तरफ से और सब तरफ से एक अच्छे वातावरण की आवश्यकता होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि जो फैसला हमने किया उस फैसले को अधिकाँश व्यक्तियों का, सिवाय कुछ व्यक्तियों के समर्थन प्राप्त होगा ताकि हम जल्दी से जल्दी, जिस काम के बारे में सोचा जा रहा है कि अधिक समय लग गया, मैं सोचता हूँ कि बात-चीत के बाद भी कुल मिला कर जो समय जागीरी प्रथा के उन्मूलन में लगेगा वह समय शायद कम हो जाय। इसके अन्दर हमने ५००० तक की जागीरों की भी समाप्त करने की बात रखी है, यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है पुराने एक्ट में। हम इस पक्ष में थे कि राजस्थान के अन्दर हम अगर एक तहसील को ले लें, उस तहसील के किसी हिस्से में जागीरी न हो, अगर कुछ इस तरह के गाँव रह जायं जहाँ जागीरी प्रथा प्रचलित हो तो यह सामाजिक और आर्थिक ढाँचे के उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है और मैं समझता हूँ कि किसी अन्य दृष्टि से भी यह उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। यह भी बातें कही जायंगी कि कम्पेन्सेशन अधिक दिया गया और खुदकाश्त की समस्या को भी हल नहीं किया गया, जमीन नहीं दी गई; इस प्रकार की बातें भी कही जायंगी।

इस सम्बन्ध में अगर मैं पन्तजी ने जो बातें कही हैं, वे तो आपके समक्ष हैं रिपोर्ट के रूप में; पर पण्डितजी ने जो आखिरी तौर से क्षत्रिय महासभा की तरफ से एक रिप्रेजेन्टेशन उन्हें

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

जो दिया गया और जिस में उन्होंने बहुत सी बातें रखीं, उनका जवाब जो दिया उसका एक हिस्सा पढ़कर मैं आपको सुना दूं तो उपयुक्त होगा —

"The whole approach of our land policy is to remove the intermediaries in land and to give full rights to the actual tillers of the soil." इसमें बहुत बड़ी बात आ जाती है कि हमारा दृष्टिकोण, हमारा लक्ष्य क्या है ? हमारा लक्ष्य इससे साफ जाहिर होता है कि हम जो जमीन पर खेती करता है उसको जमीन देने के बारे में अधिक से अधिक प्रयत्न करते हुए चलना चाहते हैं।

उन्होंने साथ में यह कहा—

"Any widespread ejectment of tenants must be avoided as contrary to public policy."

तो इन चीजों से यह स्पष्ट तौर पर जाहिर होता है कि हमें आज जो करना है और जो जागीरदारी उन्मूलन का कानून हम ला रहे हैं उसके पीछे आम जनता का हित एक तरह से है और और इसी हित को लक्ष्य में रखते हुए हमें इस पर काम करना होगा।

जहाँ तक छोटे जागीरदारों का सवाल है अखबारों में आपके समक्ष वे बातें आ चुकी हैं और सदन के सामने भी आवेंगी कि छोटे जागीरदारों के बारे में कम्पेन्सेशन के लिए काफी रियायत के तौर पर वे बातें थीं, की गई और खास तौर से इसलिए कि जमीन के मामले में अभी जो लगान निश्चित किये गए, केश रेन्ट इन्ट्रोड्यूस किया गया; ये सारे बिल जो सामने आ रहे हैं उनको देखते हुए उन लोगों को उचित मुआवजा मिले जिससे उन लोगों को आगे अपने आपको रिहेबिलिटेट करने में मदद मिल सके। इस दृष्टि से काफी अच्छा दृष्टिकोण हमने अपने सामने रखा है। तो मैं सदन में अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह निवेदन कर दूं कि आज हम जिस चीज को विचारार्थ ले रहे हैं वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, उस पर हम विचार कर रहे हैं और अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निश्चित विश्वास है कि जो कुछ हमने तय किया है आपस में, उस पर अमल होगा। यह विचार करके चलना कि एक बार इस कानून के बनाने के बाद फिर हमें उस सारे दौर में से गुजरना पड़े, फिर वे सारी चीजें आवें, मैं ऐसा विश्वास नहीं करता। जिन लोगों ने बातचीत की, जिन लोगों ने इस सम्बन्ध में एक विश्वास नीचे से ऊपर किया, उस आधार पर मैं भरोसा करके चलता हूँ कि जहाँ कानून पास होगा, ये चीजें हमारे सामने होंगी और इस कानून के आधार हमारे सामने होंगे। उसके आधार पर जब भी हम अमल करना चाहेंगे तो वे लोग कोई रुकावट नहीं डालेंगे क्योंकि यह हमारी आपसी बातचीत का आधार रहा है कि हम अदालत के बाहर आपसी बात के जरिए इस चीज का फैसला करना चाहते हैं ? बातचीत का पूरा अवसर हमने सबको दिया है। तो जिस चीज को कार्यान्वित करने के लिए हम आज गुजर रहे हैं उस पर विचार करने के लिए पूरा पूरा अवसर हमने सबको दिया है और सबकी सद्भावनायें इसके साथ हैं। आज जब सदने में यह आ रहा है तो दोनों पक्ष इसे सद्भावनाओं के अच्छे वातावरण में ही स्वीकार करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। हमारी इन सद्-

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

भावनाओं का असर भी राजस्थान भर में, आगे इस पर अमल होने के समय में, निश्चित तौर पर पड़ेगा ऐसा मेरा निश्चित मत है ।

मेरा खुद का ऐसा विश्वास है कि चाहे सदियों से यह एक प्रथा हमारे यहाँ रही हो और इसका घातक असर हम पर रहा हो, मैं इसका जो पिछला असर रहा है उसके समर्थन के लिए न कहूँ तो अच्छा है और न कहना चाहता हूँ । वे सब भी आज स्वयं, इस प्रथा को समाप्त करने का प्रश्न जब खड़ा हुआ, और जब हम समाप्त करने का तय करते हैं, तो वे दूसरे लोग भी इसकी तैयारी बताते हैं । तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि हमें बहुत सी पिछली बातों को भूलना होगा । इसे भी भूलना होगा कि इस वर्ग ने लम्बे अरसे तक आम जनता का शोषण किया है । इसे भूलकर हमें इस तरह के समाज की रचना करनी होगी जो सही हो, इस प्रकार के शोषण से मुक्त हो । इस आज तक के समाज में जो बीच का वर्ग था जिसको हम जागीरदार वर्ग कहा करते थे और जो गरीब किसान के शोषण पर आधारित था वह वर्ग आज समाप्त होता है । ऐसे अवसर पर अच्छा यह होता है कि हम सारा मामला आपसी बातचीत से, आपसी सद्भावना से हल करें । हमारे भारतवर्ष में तो हमारा समझौते का तरीका रहा है, हमने हमारे बड़े बड़े मसले बातचीत के द्वारा सम्पादन किये हैं । तो आज भी यह जागीरदारी प्रथा हमारे प्रान्त की ही नहीं सारे देश की एक समस्या है । इसको बातचीत से और आपसी सद्भावना से समाप्त करते हैं तो अच्छा है और इसलिए अगर आपसी बातचीत से हमें समाप्त करना है इसको तो इसमें सद्भावना क्यों न पैदा की जावे ? दोनों पक्षों का सद्भावना के लिए तैयार होना पड़ता है । यह अलग चीज है कि आज हम जो चीज करें उसका परिणाम आज हमें न दिखाई दे, पर कल इसका परिणाम निकलेगा । आज, जैसा मैं कहता हूँ अदालत के बाहर फैसला हो जावेगा कि इस संशोधन के बाद यह प्रथा जल्दी समाप्त हो जावेगी, वह न होकर फिर कोई अड़चन पैदा हो और हमें फिर उसी दौर से गुजरना पड़े, उस वक्त अविश्वास की स्थिति पैदा हो तब तो अलग बात है; पर आज जब हम इस विश्वास के साथ चलते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं आने वाली है तो मैं यह निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इन धाराओं में अमेंडमेंट के जो प्रस्ताव हमारे समक्ष आये हैं उन पर हम बहस करें अच्छी स्पिरिट में, हम योग्य हों तो स्वीकार करें । पर लम्बे अर्से तक खींचकर इसे उलझा दें, यह उचित नहीं । इस प्रथा को समाप्त करने के लिए जो एक लम्बी बातचीत चलाई गई और इसके फलस्वरूप जो चीज आज हमारे सामने आई उसके समाप्त होने का अवसर पैदा हो, यह हम नहीं चाहते । इस बिल को हम सिलेक्ट कमेटी के लिये मन्जूर नहीं कर सकते, कारण इसका यह है कि काफी लम्बी चर्चाओं के बाद इसको हम आज ला रहे हैं इस सदन में और इसलिए हम नहीं चाहते कि इसमें और समय जाए ।

दूसरी बात यह है कि इस सदन के सदस्य इतने उत्सुक हैं इस बारे में कि जागीर प्रथा का शीघ्र उन्मूलन हो, जितना जल्दी उन्मूलन हो उतना ही सुन्दर है यह उनका विश्वास है और इस विश्वास के साथ माननीय अध्यक्ष, मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सदन के समक्ष जल्दी से जल्दी क्रियात्मक रूप में आवेगा ।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

इसलिए इस बिल पर गम्भीरता और शान्ति के साथ विचार करने के लिये अगर आप अधिक समय भी चाहें तो मैं इस मामले में यह नहीं कहूँगा कि आप इस पर विचार न करें, आप पूरा विचार करें आप एक एक धारा पर विचार करें, पर करें शान्ति के साथ, अच्छे सद्भावनामय वातावरण में और जैसी स्पिरिट इस मामले में शुरू से दिखाई गई है और बड़े से बड़े व्यक्तियों को, पन्तजी और नेहरूजी सरीखे लोगों को इस बातचीत में बीच में रखा गया है इससे हमारा एक ही मकसद था कि यह मामला चूंकि हमारे प्रान्त का ही नहीं है, सारे देश का है इसलिए देश की आम नीति के खिलाफ न हो। साथ ही हम यह भी चाहते थे कि इसकी वजह से कभी किसी को यह कहने की बात नहीं हो कि ये किसी राजनैतिक स्वार्थ से, किसी राजनैतिक कारण से आपसी मेलजोल तो नहीं कर रहे हैं; इस बातचीत के पीछे किसी प्रकार का लेन-देन का सोदा तो नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने इस बातचीत में पहले से ही देश के बड़े-बड़े व्यक्तियों को रखा है और अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सदन से निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी राजनैतिक ख्याल का किसी भी राजनैतिक सौदेबाजी का, किसी भी वैयक्तिक स्वार्थ का इस समझौते के अन्दर कोई अन्देशा नहीं है। ये जो कुछ भी फैसले किये गए, हमने हमेशा यह ध्यान रखा है कि, इन पर किसी भी प्रकार का राजनैतिक खयाल या राजनैतिक सौदेबाजी का असर न होने पावे। ऐसी किसी भी बात को ख्याल में नहीं रखा गया है। रखी गई है केवल यह बात कि क्या उचित है, जो मुआवजा जागीरदारों को दिया जा रहा है वह उचित है या नहीं, इससे जागीरदारों को भी फायदा है या नहीं, किसानों को भी उचित संरक्षण मिलता है या नहीं, इन दो मुख्य बातों का खयाल रखते हुए सब बातें तय की गई हैं और अन्त में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सदन से निवेदन करूंगा कि इन बाधाओं को और बाधाएं डालने वाले विचारों को इस पर आच्छादित न होने देकर उन चीजों पर विचार किया जावे। इन शब्दों के साथ इस अमेंडमेंट बिल को मैं सदन के सम्मुख विचारार्थ पेश करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—Motion Moved. (विराम) The motion is that the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs (Amendment) Bill, 1954 be taken into consideration.

राजा श्री मानसिंह—On a point of order, Sir, I have......

श्री अध्यक्ष—Order! order!! There is no point of order. You have moved the amendment and you want this to be taken into consideration. First the motion is to be taken and then all subsequent amendments according to rules will follow. The Hon'ble Member should not be so very impatient. I am not going to rule out his amendments.

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्षजी...

श्री अध्यक्ष—No, question. I want to say one thing to the Hon'ble Members. It would be better if we decide on some motion. If the House wants to discuss this Bill on principle, the Amendment Bill on principles, the House can decide to discuss it on principles and subsequently after discussion on the principles we will come to the amendments which have been moved. So I want to know whether the Honse wants to discuss this on principle or not ?

(सदन में ध्वनियें 'On Principles' 'On Principles')

श्री अध्यक्ष—Yes.

Shri Jaswant Singh......

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्षजी,

अभी मेरे परम मित्र, श्री सुखाड़ियाजी ने जागीरदारी उन्मूलन बिल सदन के सामने विचारार्थ रक्खा। वह एक चतुर शासक हैं, एक वक्ता भी हैं और बहुत शान्ति से और जैसा कि उनसे आशा की जा सकती थी उस माफिक सही हालातों के साथ इस सदन के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पेश किया।

इस विषय में जिस प्रकार राजस्थान में जिन-जिन पार्टियों के साथ इस विषय का संबंध था उनसे बातचीत होकर यह विषय जिस स्थिति पर पहुँचा है इस पर भी उन्होंने रोशनी डाली। आपने बतलाया कि सन् १९५२ के अक्तूबर महीने में जिस वक्त कि सरकार का पक्ष और विरोधी पक्ष करीब-करीब संतुलित थे, बहुत कम फर्क था, और एक ऐसा वातावरण हमारे इस सदन में ही नहीं था बल्कि हमारे सारे प्रान्त में एक ऐसा वातावरण था कि जो हमारी रूलिंग पार्टी या समझिये हिन्दी में राजघराना और हम लोग जिनके उन्मूलन के लिए यह राजघराना एक तजवीज़ पेश करने के लिए स्वयं तय्यार थे उन दोनों के बीच में थोड़ा कुछ संघर्ष चल रहा था तो यह एक स्वभाविक ही था। तो अक्तूबर के महीने में वातावरण जैसा कि बाहर था और इस विधान सभा में भी था जिसकी वजह से इस विषय में कुछ ज्यादा बातचीत नहीं हो सकी। अक्तूबर के महीने में जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने बतलाया कि विरोधी पक्ष की तरफ से सरकार के प्रति जो नो कान्फीडेन्स मोशन या अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया गया था, और जैसा कि आपने फरमाया कि जिस वक्त नतीजा निकला उसी वक्त से इस प्रान्त के लिए दोनों पक्षों में बातचीत शुरू हुई। यह बिल्कुल ठीक बात है। यह आपने जो कुछ फरमाया वह बिल्कुल ठीक फरमाया। मैं इसके आगे यह बतलाऊं कि उसी वक्त से ही नहीं बल्कि उसी दिन से यानी २१ अक्तूबर, सन ५२ को अविश्वास का प्रस्ताव गिरा दिन के साढ़े दस या ११ बजे, और ४ बजे, मुझे यह कहने में खुशी होती है, सरकारी पक्ष की तरफ से सद्भावना प्रकट की गई और उसी दिन ४ बजे हम लोगों के कैम्प में, कांग्रेस के हाई कमान्ड के प्रतिनिधि भी शामिल थे, केन्द्रीय सरकार के एक-दो मिनिस्टर भी थे और हमारी कॉंग्रेस पार्टी के बड़े-बड़े नेता भी भी उसमें शामिल थे, आये और हमें इस प्रान्त के हित के लिए यह कहा गया कि इस प्रान्त की भलाई के लिए कुछ बातचीत करें और शाम को ४ बजे हमारे स्थान पर, हमारे से मतलब हमारी

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

पार्टी के स्थान पर, यह बात चीत शुरु हुई और उस बातचीत के दर्मियान सिर्फ जागीरों का विषय ही नहीं बल्कि दो विषय थे और मैं यह समझता हूँ कि दूसरा विषय जो कि आज की विधान सभा के विषय से संबंध नहीं रखता है इसलिए माननीय सुखाडिया जी ने उसको सदन के सामने लाने की आवश्यकता नहीं समझी, मगर मेरे खयाल में थोड़ा बहुत संबंध इस विषय को अच्छी तरह समझने के लिए उससे है, इसलिए उसके लिये कुछ कहने की आवश्यकता है।

उन दोनों विषयों में एक सबसे बड़ा विषय तो कहूँ, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा इस सदन से निवेदन करूं कि हमारे देश और हमारे प्रान्त का हित हमारे दिल में सदा रहा है और इस बारे में इस सदन में हम कह चुके हैं, हमसे मतलब इस पक्ष में बैठे हुए खास तौर से उस वर्ग से है जिस वर्ग का इससे संबंध रहता है, लेकिन जब हम बोलते थे तो कहीं रिएक्शनरी कहलाये जाते हैं, अब भी कहलाये जाते हैं क्योंकि अनादि काल से हमारी आदत रही है कि अगर कटु बात भी हो तो भी कहना जरूरी हो जाता है, लेकिन फिर भी चाहे प्रतिक्रियावादी कहलायें, चाहे रिएक्शनरी कहलायें, या आउट ऑफ डेट कहलायें या आउटमोडेड सिस्टम को पालने वाले कहलायें- लेकिन मैं इस सदन में और बाहर कई दफा कह चुका हूँ कि जहां देश और प्रान्त के हित का सवाल आता है हम हमेशा हमारे साथियों के साथ देश के नेता हैं और देश को आगे ले जाने वाला जो कोई भी समुदाय रहता हो उनके साथ रहे हैं और हमेशा रहेंगे।

(राज-पक्ष की ओर से 'हियर-हियर' की आवाज)

इसी उद्देश्य से जब हम लोगों के सामने यह विषय आया तो तुरन्त बड़ी प्रसन्नता के साथ हमने इसका स्वागत किया और इस मीटिंग में दो विषय इस प्रान्त के हित के लिए लाये गये। सबसे पहला विषय इस प्रान्त के लिए जो लाया गया इस मीटिंग में कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के नेता भी सिर्फ राजस्थान प्रान्त के ही नहीं, बल्कि केन्द्रीय सरकार और भारत के नेता भी उसमें शामिल थे और हम लोगों की तरफ से भी प्रतिनिधियों के रूप में ७-८ आदमी थे। तो सबसे पहला विषय जो आया वह यह है कि इस प्रान्त के हित की बात सोची जाय, यह कटुता जो इस प्रान्त में फैल रही है उसको मिटा दिया जाय। हमने उसका स्वागत किया और सहर्ष स्वागत किया। ऐसी बात बनाने के लिए दो विषय सामने आये। एक तो जैसा कि प्रतीत ही है कि इस सदन के सब माननीय सदस्यों को और सब मानने को तैयार हैं और ठीक भी हो सकता है कि भारत भर में अगर कोई पोलीटिकल बोडी जो है कि देश का संचालन कर सकती है तो वह एक कॉंग्रेस पार्टी ही है। इसमें दो मत नहीं है।

(राज-पक्ष की ओर से 'हियर-हियर' की आवाज)

अगर मैं यह कहूँ कि दूसरी पार्टी इस भारत के राज्य को चलाने के लिए समर्थ है तो यही समझा जायगा कि मैं इस सदन में बैठने के काबिल नहीं हूँ, मगर यह स्थिति कब तक चलेगी? यह क्या गारन्टी है कि कॉंग्रेस हमेशा के लिए रह सकती है? हम क्या देखते हैं कि राजनैतिकता की

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

अदला-बदली होने में कुछ समय नहीं लगता है। पाकिस्तान को किसने बनाया ? पाकिस्तान को मुस्लिम लीग ने बनाया। हमारे बड़े बड़े नेता, इस राष्ट्र के पिता गांधीजी भी इस बात का स्वप्न नहीं देख सकते थे कि इस देश का बंटवारा होगा और उनके यह शब्द भी हैं कि देश का बंटवारा उनकी लाश पर होगा, उनके जिन्दे-जागते नहीं हो सकता, लेकिन वातावरण राजनीति का बदला और उनको भी मानना पड़ा कि देश के दो हिस्से हों, देश के टुकड़े हों। उस पाकिस्तान में आज मुस्लिम की क्या स्थिति होगई है ? तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो स्थिति कांग्रेस की आज से ४-५ साल पहले थी, देश के इलेक्शन में और बाई इलेक्शन में चाहे कुछ भी हो, जनता की भावनाएं वह नहीं रही हैं। यह जो उनका क्लेम है, जो मोनोपोली है कि आज जो कांग्रेस की स्थिति है वह हमेशा के लिए रहेगी, तो राजनीति को देखते हुए मैं यह कह सकता हूँ। मेरे मित्र, जो मेरे विपक्ष में हैं, यानि सरकार की तरफ बैठे हैं, वे भी इस बात को मानेंगे कि राजनीति में अदला-बदली होना स्वाभाविक है और मुमकिन है कि दूसरी पार्टी भी टक्कर में आ सकती है। उस वक्त हम लोगों के सामने यह सवाल आया था कि देश की कोई पोलीटिकल पार्टी हित कर सकती है और देश का संचालन करने के लिए कोई भी एक पार्टी जो क्लेम कर सकती है तो वह कांग्रेस ही हो सकती थी। उस वक्त जो बात हुई उसके दो पहलू थे। राजस्थान में राजपूत जाति as a body कांग्रेस में शामिल नहीं थी, यह एक बिल्कुल वाकाया है। सदियों से शासन से उनका किसी न किसी रूप में संबंध रहा है। उनका ट्रेडीशन और बैकग्राउन्ड बन चुका है तो हम लोगों के सामने जो विषय रखा गया था कि कांग्रेस सरकार के हाथ मजबूत करने के लिए, इस बिल के हाथ मजबूत करने के लिए, देश का हित करने के लिए यह अच्छा हो कि राजपूत जो हर तरह से उस वक्त अलग रह रहे हैं उनको इस रूलिंग पार्टी के साथ सहयोग लिया जाय, और इसके साथ-साथ आज के मोजूदा समय में, चेन्ज्ड कन्डीशन्स में, जो (स्वॉइल के टिलर्स हैं) खेती करने वाले हैं उनके कब्जे में जमीन रहे इस सिद्धान्त को मानते हुए यह जो फ्यूडल सिस्टम है, यह जागीरी सिस्टम है जो आॅडर मोडेड हो गया है उसके उन्मूलन में सरकार के पास ताकत है, वह इसको पास कर सकती है; फिर भी जागीदारों के सहयोग से यह सुधार किया जाय।

इन दोनों बातों को सहर्ष स्वीकार किया और उस दिन से, जिस दिन अविश्वास का प्रस्ताव ड्रोप हुआ, यह बातचीत शुरू हुई जिसमें करीब-करीब डेढ़ वर्ष हो गये। मैं यह भी, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा सदन में निवेदन करूं कि इसके लिये हम सिर्फ राजस्थान के नेताओं से ही नहीं, राजस्थान सरकार से ही नहीं, बल्कि भारतवर्ष के सब बड़े व्यक्ति और कॉग्रेस पार्टी के हाई कमान्ड तक से हमारी बातचीत हुई और हमारी सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हम गये और उन नेताओं का हमें आशीर्वाद मिला और सब जगह से यह कहा गया कि आजकल के वातावरण के अनुसार तब्दीली करके एक नये चेप्टर का शुरुआत किया जाय और उसमें बहुत हद तक प्रगति हुई और उन्हीं शर्तों के आधार पर हम लोग पंतजी के पास गये, नेहरुजी के पास गये और इतने अच्छे वातावरण में बातें हुई कि उसके लिये मैं खुलेआम सदन में कहूँ कि हमारे बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं मुख्य मन्त्री जी और रेवेन्यू मन्त्री जी श्री सुखाडिजी जी। ऐसा होते हुए भी आज का विषय सदन के सामने जागीर उन्मूलन का है। राजस्थान क्षत्रिय महासभा की निगोशियेटिंग कमेटी ने जिसका मैं भी सदस्य था,

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

अब उसका काम करीब-करीब खतम हो गया है इसलिये मैं कहूँगा कि उसका मैं भी सदस्य था, हर संभव सहयोग देने की कोशिश की और वातावरण अच्छा बना रहा। यह विषय अब सदन में आ गया है इसलिये में इस विषय पर आता हूँ। यह होते हुए भी यह आज ऐसा विषय है कि इसमें कोई कंट्रावर्सी होने की न तो जरुरत है और न होनी चाहिये। लेकिन थोड़ा दुःख होता है आजकल के वातावरण को देख कर। इसके बारे में थोड़े से शब्दों में कुछ कहना चाहूँगा। यह विषय बड़ी सुन्दरता के साथ आज तक प्रोसीड कर रहा था, लेकिन आखिरी स्टेज पर पहुँच कर उसमें थोडी किरकिरी पड़ गई है। हमारे मारवाड़ में यह अक्सर देखने में आता है कि आंधी आती है तब रेत उड़ती है और मकान में अच्छा प्रबन्ध न होने से खाने में रेत और किरकिर पड़जाने से सारा खाना बिगड़ जाता है, जो स्वादिष्ट खाना बना था उसमें किरकिर पड़े जाने से सारा मजा चला जाता है। उसी तरह से आखिरी स्टेज पर पहुँच कर उसमें किरकिर पड़ गई है। बड़े-बड़े नेताओं की सलाह से जिनमें प्रान्तीय नेता, भारतीय नेता और देश के बड़े-बड़े नेता भी शामिल हैं, आज जागीर उन्मूलन का विषय हमारे सामने आ गया। प्रान्त के हित में कई तरह की समस्यायें सुलझाने के लिये हमने हाथ बढ़ाया। यह बात नहीं है कि रूलिंग पार्टी की तरफ हमने ही केवल हाथ बढ़ाया हो या उनके दरवाजे पर स्वयं ही पहुँचे हों, लेकिन दोनों तरफ से हाथ मिलाने की कोशिश की गई। किरकरी यह हुई कि कुछ विधान सभा के सदस्य हमारी पार्टी छोड़ कर रूलिंग फेमिली में शामिल होने के लिए आगे आये थे। एक तरफ हमने वह दिन देखा था जिस वक्त अविश्वास का प्रस्ताव आया था उस समय इन्हीं सदस्यों को, जो प्रतिक्रियावादी कहलाये जाते थे, उन रिएक्शनरीज़ को इस स्वच्छ राजनैतिक दल में लाने के लिये काफी दौड़-धूप की गई थी। कुछ सदस्यों को उड़ाने की भी कोशिश की गई थी......

श्री अध्यक्ष—Are these details very relevant?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—These are conneeted with Jagir abolition. They are inter-changeable and inter-crnnected. मुझे दो-चार मिनिट तक ही इस पर थोड़ा कुछ कहना है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो आज हमारे कुछ मित्रों की दशा ऐसी हो रही है जैसी कि हमारे पुराणों में एक कथा है कि एक राजा कभी हुए थे जिनका नाम त्रिशंकु था। वे इन्द्र का स्थान ग्रहण करना चाहते थे किन्तु उनकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी और वे बीच में ही लटकते रह गये थे (करतल ध्वनि)। मैं मेरे मित्रों से यह चाहूँगा कि जिस सद्भावना से जागीर उन्मूलन बिल ला रहे हैं वही मनोवृत्ति अन्त तक रखें। इसके साथ-साथ उनके सामने यह सवाल आया था कि उनको भी इतना ही देश प्रेमी समझें जितना अपने आपको समझते हैं और उतना ही सहयोग दें। मैं आशा करता हूँ कि उतना ही सहयोग देंगे देश-हित के लिये। ये दोनों सवाल ऐसे हैं कि जिनसे अब तक वातावरण सुन्दरता से चल रहा था लेकिन आखिर में आँधी आई और किरकिर उड़ी और किराकर और रेत खाने में पड़ गई और सारा स्वाद बिगड़ गया। इस पर यदि माननीय मित्र और गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे तो यह और भी सुन्दर बन जायगा। मैंने ये दो-चार-शब्द इस विषय में कहे हैं।

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

अब मुझे जागीर उन्मूलन के विषय में थोड़े शब्द कहने हैं जो ये हैं कि जहाँ तक बड़े जागीरदारों का प्रश्न है आज तक सद्भावना से जो बात-चीत हुई है वह सराहनीय और सुन्दर रही है और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि जागीर उन्मूलन बिल विधान सभा में पेश है। अपनी स्पीच के दौरान में श्री सुखाड़ियाजी ने यह फरमाया कि वे आशा करते हैं कि जब क्षत्रिय महासभा की तरफ से इसके लिये रजामन्दी जाहिर कर दी गई है तो अब कोई बाधा इसमें उत्पन्न नहीं होगी लेकिन हर एक का ठेका तो नहीं ले लिया है। हर एक की अलग-अलग राय हो सकती है। जहाँ तक पार्टी का सम्बन्ध है वह मदद करेगी। बड़े जागीरदारों के विषय में मुझे ज्यादा नहीं कहना है। लेकिन बड़े जागीरदार, मैं बतलाना चाहता हूँ, राजस्थान में बहुत थोड़े हैं। उनके ठिकानों की आमदनी ज्यादा से ज्यादा चाहे कुछ भी हो लेकिन उनमें से अधिकांश की माली हालत या दशा सोचनीय है। हिन्दुस्थान में राजस्थान एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा प्रान्त है, सबसे बड़ा प्रान्त कहूँ तो इसमें अत्युक्ति नहीं होगी; थोड़े सौ माइल्स की कमी हो सकती है लेकिन फिर भी राजस्थान बहुत बड़ा प्रान्त है और इसमें जागीरें भी बहुत हैं। फिर भी ३०-४० जागीरदार ऐसे पाये जायेंगे जो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, और इस बिल के द्वारा वे एक प्रतिष्ठित और अच्छे सिटिजन इस रियासत के बनने के काबिल हो सकेंगे। मगर बहुत तादाद में जागीरदारों को रिहेबिलिटेट होने की आवश्यकता रहेगी और ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेशन अलाउन्स के नाम से अलग सुविधा दी गई है; लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सुविधा से उनका कोई काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान बनने के बाद हजारों की तादाद में रिफ्यूजीज़ अपना देश और घरबार छोड़कर हिन्दुस्तान में आये हैं और उनकी आज जो दशा है वही दशा इन ४०-५० बड़े जागीरदारों को छोड़ कर और जागीरदारों की हो जायगी, यह मैं साफ बताना चाहता हूँ। चाहे हमारे प्रान्त पर कितना ही बोझा पड़ेगा, यह तो सरकारी आंकड़ों द्वारा ही कहा जा सकता है और सरकारी आंकड़े कितने दुरुस्त हैं और प्रेक्टिकल एक्सपीरियेंस से कितने दुरुस्त पाऐंगे यह तो दूसरी बात है, परन्तु सरकार यदि यह ख्याल कर सकती है कि जागीरदारों को जो कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट दी गई है वह काफी है तो यह ख्याल सही नहीं है। हमारा खयाल दूसरी तरफ यह है कि ४०-५० जागीरदारों को छोड़ कर लाखों की तादाद में जो जागीरदार कहे जाते हैं वे किसान ही हैं। मगर अभी समय की तब्दीली से एक वर्ग विशेष ही किसान बन गया है और राजपूत किसान होते हुए भी किसान नहीं कहे जाते, किसानों के हक से वंचित रखे गये हैं, ऐसे लाखों राजपूत रिफ्यूजीज़ की हालत में जरूर आ जायेंगे। ४०-५० जागीरदारों के अलावा लाखों दूसरे छोटे छोटे जागीरदार होंगे उनकी भी हालत सोचनीय होगी और उन्हें रिफ्यूजीज़ बनना पड़ेगा। इनके बाद आते हैं भोमिये और आड़े राजपूत। वे किसान के सिवाय और कुछ नहीं कहे जा सकते। वे सदियों से खेती करते आये हैं, पर दुर्भाग्य से उन्हें किसान होने से वंचित रखा गया है, समय के फेर से वे किसान नहीं कहलाये जाते और किसान नहीं कहलाये जाने के कारण उनकी जो दुर्दशा होने वाली है वह मैं सदन के सामने, माननीय अध्यक्ष, आपकी मार्फत रखना चाहता हूँ।

मैं यह भी मानता हूँ कि हमारे मुख्य मन्त्री हमारे साथ हमेशा सद्भावना रखते आये हैं, वे ब्राह्मण हैं और राजपूत और ब्राह्मण होने के नाते उनका और हमारा गुरु और शिष्य का भी सम्बन्ध है और यही नहीं बल्कि हमारा उनके साथ बहुत पुराना सम्बन्ध है और हमारे साथ

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

सद्भावना रखते आये हैं, तो अगर वे यह खयाल करते हों कि इस जागीरी उन्मूलन बिल से जिनको इतनी बड़ी तादाद में घरों से उखाड़ा जायगा, जिनका उन्मूलन होगा उनको कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट दे देने से उनको काफी मदद मिल जायगी, तो यह उनका खयाल गलत है।

अब तक तो हम भी थ्योरी में बोल रहे हैं और हमारे मित्र भी थ्योरी पर बोल रहे हैं, लेकिन प्रेक्टिकल एक्सपीरियंस से मालूम होगा कि एक-दो साल में यह बड़ी भारी समस्या हो जायगी जिसको पता नहीं हम कहाँ तक हल करेंगे?

माननीय अध्यक्ष, अभी जब राजस्थान बना उस वक्त जो राजस्थान की रियासतों की फौजें थीं, इस विषय पर इस सदन में पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है, एक मिनिट में ही कहे देता हूँ, वे फौजें किन्हीं कारणों से टूटीं और एक वर्ग विशेष के लोग ही उन फौजों में जो नौकर थे, वे १७-१८ हजार व्यक्ति नौकरी से हटाये गये। आज चार-पांच साल होने का आये हैं किन्तु उनकी समस्या कैसी खराब हो रही है, कैसी सोचनीय हो रही है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। वे किसान थे, वे जागीरदार और भोमियें जरूर कहे जाते थे पर सिवाय किसान होने के और कुछ नहीं कहलाये जा सकते थे। उनकी स्थिति आज क्या है? उनके खेत, घर, बाड़े, कूए आज उनके कब्जे में नहीं हैं और इस जागीरी उन्मूलन के द्वारा एक कानूनी छाप इस पर लगा दी जायगी कि आयन्दा भी उनकी जमीन, उनके कूए, उनके घर उनके नहीं रहेंगे। अब तक तो यह समस्या सिर्फ १८००० आदमियों की थी पर इस बिल के पास होने के बाद में अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने आपके जरिए नम्रता के साथ अर्ज करूं कि अट्ठारह से बीस लाख व्यक्ति घर बार हो जावेंगे।

श्री अध्यक्ष—बे घरबार हो जाँयगे।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—धन्यवाद, बे घरबार हो जाँयगे। उनको कभी स्वप्न में भी यह खयाल नहीं था कि उनकी जमीनें, जिन पर वे लोग सदियों से काश्त करते आए हैं, एक साल के लिए किसी को ठेके पर देने से (with all good intentions देने से) उनकी जमीन उनसे छीन ली जायगी और जिसने ठेके पर ली उसे भी कभी यह ख्याल नहीं था कि एक साल के लिए ठेके पर लेने से वह जमीन उसकी हो जायगी। इसी बुनियाद पर उन्हें इस जागीर उन्मूलन बिल के द्वारा किसान की परिभाषा से हटा दिया गया है।

मेरे माननीय मित्र पालीवालजी जब मुख्य मन्त्री थे तो इस सदन में कहा करते थे, "विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग विशेष"। आज एक साल के समय में समय ने ऐसा पलटा खाया है कि वह विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग शिकार बन रहा है और वह विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग विशेष जो मामूली किसान था, उसे आज एक किसान के पद से भी हटा दिया गया है और उसके स्थान पर एक दूसरा वर्ग आ गया है और माननीय पालीवालजी के शब्दों में वह वर्ग विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग के स्थान पर आया है। वह विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग बन गया है। इसमें हमें कोई अफसोस नहीं है। हमारे

[कु॰ श्री जसवन्तसिंह]

राजस्थान का कोई भाई आगे बढ़े, तरक्की करे, तो हमें इसमें खुशी ही होगी, इससे राजस्थान का अच्छा होगा।

हमारे जागीरदारों के लिये यह पहला ही समय नहीं है कि हमें ऐसी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। इतिहास बताता है कि हमने ऐसी कई मुसीबतें झेली हैं। हमारे राजा लोग थे उन्होंने कई समय जगह-जगह जागीरें लीं और हमें कई बार एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह जाना पड़ा। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये सदन को यह भी बता दूं कि हमें यह भी देखना पड़ा है कि हमारी पाँच-पाँच, सात-सात पीढ़ियां एक ही दिन में रणक्षेत्र में काम आई हैं, हमें यह भी देखना पड़ा है कि हमारी बहिनों-बेटियों और माताओं ने एक ही दिन में हजारों की तादाद में हंसी-खुशी से जलती हुई आग में प्रवेश किया है।

आज हमारे भाई खुशी में हैं कि वे हमें एक वर्ग विशेष न रख कर हमसे बदला लेंगे। तो माननीय अध्यक्ष, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हमें इसमें कोई दुख नहीं है। आप में ताकत है, आपके पास हुकूमत है, हुकूमत की ताकत है, आप हमारे साथ जो जी में आये वह कीजिये। मुसीबत में जो घबड़ा जाय वह मनुष्य नहीं कहा जा सकता। हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, जिस प्रकार हमारे रिफ्यूजी भाई पाकिस्तान में सब कुछ छोड़ कर आये हैं, फिर भी जिंदा हैं और इज्जत के साथ जिन्दा हैं।

इस बिल में जितनी तस्वीरें दिखाई गई हैं उससे बहुत ज्यादा बुरी हालत हमारी होगी। फिर भी हम भिखमंगों की तरह माँगते नहीं फिरेंगे। हम पुरुषार्थ से कमायेंगे और इज्जत के साथ जिन्दा रहेंगे।

श्री अध्यक्ष—कितना समय और लेंगे?

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—आप कितना टाइम और देंगे?

श्री अध्यक्ष—five minutes more.

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेन्ट विषय है। इस पर टाइम लिमिट नहीं रखें तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष—This will be very diffnoult. But then the Members will have to take the responeibility to state what they have got to state in brief.

श्री वेदपाल त्यागी—कोशिश की जायगी।

श्री अध्यक्ष—Half an hour is more than sufficient to say what a Member has to say.

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

माननीय अध्यक्ष, मैं ज्यादा समय न लेकर सिर्फ अपने विषय पर यह कहना चाहता हूँ कि यह समस्या एक मामूली समस्या नहीं है। मैं माननीय चीफ मिनिस्टर से, जो सरकार के हेड हैं, और हमारी राजस्थान सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि इस समस्या को वे, इस बिल को पास करके यह नहीं समझें कि यह समस्या एक बहुत मामूली समस्या है और इस बिल को पास करने से यह आसानी से हल की जा सकती है। मैं कहूँगा कि कहीं यह समस्या गंभीर न बन जावे और इस तरह की गंभीर न हो जावे ऐसी रोम में हुई थी और जिस समय रोम जल रहा था उस समय नीरो अपनी बाँसुरी की धुन बजा रहा था और आगे की बात नहीं सोच रहा था, उसी तरह की हालत यहाँ न हो जावे। इस लिए मैं अपने परम मित्र चीफ मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर से अर्ज करूं कि इस समस्या पर वे खास तौर से ध्यान दें। आप जो करने जा रहे हैं इससे ४०-५० जागीरदारों को ही फायदा होने जा रहा है, ४०-५० जागीरदार ही इससे अपने पैरों पर खड़े रहने वाले हो सकते हैं। जहां हजारों और लाखों की तादाद में छोटे जागीरदार जड़ से उखाड़ कर फेंक दिये जावेंगे और उनके लिए जो तजवीज इस बिल द्वारा राहत की सोची गई है वह मेरी राय में काफी नहीं हैं। अगले दिन तक हमारे जोधपुर डिवीजन के बुद्धिमान नेता लोग इस प्रश्न पर सोच रहे थे कि ५००० से कम की जागीरों को एक साथ लेना बुद्धिमत्ता नहीं होगी। मगर कुछ हमारे बड़े-बड़े नेताओं का यह खयाल था कि ५००० की जागीरें और उससे कम आमदनी वाली जागीरों को एक साथ लेना बुद्धिमता नहीं होगी। यदि किसी कारण से हमारी गवर्नमेंट इनको एक साथ लेने को बहुत उत्सुक है और तत्पर है और यह सोचती है कि जागीरदारी सिस्टम जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाय तो अच्छा है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार के पास सामर्थ्य है, ताकत है और वह ऐसा कर सकती है क्योंकि उसके पास बहुमत है; मगर इसके साथ-साथ मैं यह कहूँगा कि वह ऐसा करके एक ऐसी समस्या पैदा करने जा रही है जिसकी संभावना है कि जहाँ हमारी सरकार को मुमकिन है कई रातें बगैर नींद लिये हुए भी बितानी पड़े। माननीय अध्यक्ष, मैं यह बता रहा हूँ कि यहाँ जो थोड़े दिनों पहले डकैतियें हो रही थीं, डाके लूट मार होनी शुरू हो गई थीं वे सिर्फ १८ हजार या १७ हजार फौज के सिपाहियों को बेकार कर दिया गया था, उनकी वह समस्या थी और वह समस्या अब हल होने लगी है तो मैं यह कहूँगा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे इस प्रकार की समस्या को एक के बाद दूसरी खड़ी नहीं करते। मैं यह कहूँगा कि जो १७ १८ हजार सिपाहियों की समस्या थी उससे कई हजार गुना बड़ी समस्या हम लोगों के सामने इस बिल द्वारा पेश कर दी गई है। ईश्वर न करे, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कहीं हमें एक दिन ऐसा शायद देखना न पड़े कि ये भुखमरे, अपनी जमीन से हटाये गये लोग, क्या कर बैठें और क्या न कर बैठें। यह भी एक समस्या है। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि बेशक उनके पास बहुमत है, वे बगैर कम्पेन्सेशन दिये ही, बगैर खेती के लिए जमीन दिए और बगैर किसी तरह का जागीरदारों को मुआवजा दिये भी ऐसा कर सकते हैं, मगर इसका नतीजा क्या होगा? माननीय अध्यक्ष, मैं थोड़े शब्दों में यह कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा कि हम लोगों के खयाल में यह छोटे-छोटे जागीरदारों के लिये जो कुछ भी कम्पेन्सेशन रखा गया है और जो पंतजी से बातचीत हुई है, वह किसी भी हालत में उनको रिहेबिलीटेट नहीं कर सकता। आप कहेंगे कि रिफ्यूजीज़ को भी कम्पेन्सेशन मिला है मगर उनकी हालत और रिफ्यूजीज़ की हालत में बहुत बड़ा अन्तर है। शरणार्थी काफी पैसा लेकर पाकिस्तान से हिन्दुस्तान में आ चुके हैं, लेकिन

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

छोटे-छोटे जागीरदारों के पास सिवाय कर्ज के कोई चीज नहीं होगी और ऐसी हालत में कोई नई समस्या पैदा न हो जाये, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है । मैं तो माननीय चीफ मिनिस्टर से और सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वह इस प्रकार पैदा हुई समस्या के लिए तैयार रहे ताकि कहीं देश की स्थिति खराब नहीं हो पावे ।

अभी माननीय मित्र सुखाड़ियाजी ने यह कहा था कि राजस्थान सरकार ने दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में जागीरदारों के साथ बहुत लिबरल व्यू दिखाया है । मैं यह निवेदन करता हूँ कि उनके इस कथन से मैं इतफाक नहीं करता । मध्यभारत में जहाँ कम्पेन्सेशन दिया गया है वहाँ आपसी झगड़े से कम्पेन्सेशन तय हुआ है । आपने भी यहाँ १६५२ में बिल पास किया था । वही बिल इस वक्त भी आ सकता था, लेकिन जब किसी वर्ग के साथ बातचीत करके समस्या को हल किया जा रहा है तो ऐसी बातचीत के बाद जो मुआवजा दिया गया है वह उसके माफिक नहीं है और वह उसके माफिक ही दिया जाना उचित था । इसके अलावा राजस्थान के अलावा जहाँ जहाँ पर जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने की समस्या को हल किया गया है और यह समस्या हल हुई है उस तरफ यदि आप देखें तो आपको मालूम होगा कि राजस्थान सरकार के मुकाबले वहां ज्यादा सहूलियतें दी गई हैं । इस प्रकार की समस्या एक तो सौराष्ट्र और दूसरी हैदराबाद में हल हुई है ।

सौराष्ट्र प्रान्त अपने राजस्थान से बड़ा नहीं है, मगर फिर भी छोटे छोटे जागीरदारों के साथ, आप देखेंगे कितना लिबरल बर्ताव उन्होंने किया है, वह इसलिए कि वे जानते थे कि यदि उनके साथ लिबरल बर्ताव नहीं किया जावगा तो यह समस्या देश के हित की नहीं होने वाली है, वह देश के हित को नुकसान पहुँचाने वाली चीज होगी । अंग्रेजी में एक कहावत है—

"Small minds and big Empires go altogether"

उसी माफिक हमारी सरकार कोई उसूल दिखाती । मैं यह कहूँगा कि छोटे जागीरदारों को कागजों पर बहुत अच्छी तसवीर दिखा दी गई है लेकिन प्रेक्टिकल रूप में और दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में, मसलन सोराष्ट्र के मुकाबले में यदि सरकार यह कहे कि हमने जागीरदारों को बहुत कुछ दिया है तो में यह कहूँगा कि सरकार का यह कहना ठीक नहीं है । मैं यह कहूँगा कि छोटे जागीरदारों के प्रति जो सहृदयता अभी सदन में दिखाई देती है और जो कुछ उनके लिए कहा जा रहा है वह सहृदयता समाप्त हो जावेगी जब वे अपने घरों से फेंक दिये जावेंगे क्योंकि यह एक राजनैतिक चाल है और राजनैतिक मामलों में ऐसा ही हुआ करता है । जहाँ राजनैतिक दल होते हैं वहां हमेशा ऐसा ही हुआ करता है । राजनैतिक दलों में जहाँ अपना काम निकला कि उनकी सहृदयता समाप्त हो जाती है । इसलिए मैं यह कहूँगा कि हमारे लाखों छोटे छोटे जागीरदार भाइयों के लिए क्या गारन्टी है ? यह तो हम मानते हैं कि थोड़ा बहुत किया जा रहा है, वह हैदराबाद और सौराष्ट्र के मुकाबले में बहुत कम दिया गया है । मगर जो कुछ भी दिया जायगा उसके इम्पलीमेंटेशन का प्रश्न आवेगा तब

[कुं॰ श्री जसवन्तसिंह]

पता लगेगा कि किस तरह से हमारी सरकार की रोयल फेमिली बर्ताव करती है। मैं यह कहूँगा कि जिन जागीरदार किसानों ने सदियों से जिस जमीन को अपने बच्चे की तरह पनपाया और उस पर पेड़ आदि लगाए, कुए बनाए जब अपना घर छोड़कर शरणार्थी की तरह पैसा पास न रख कर अपनी जागीर से दूसरी जगह बेघरबार होकर जावेंगे उस समय पीछे से हमारे ये साथी जो आज सद्भावना दिखा रहे हैं किस तरह से दिखावेंगे, यह तो हम भली भांति जानते हैं। अभी हमारे कुछ जागीरदार साथी इस पक्ष को छोड़कर उनके बुलाने पर उधर चले गए हैं और जो सद्भावना उनके साथ इस वक्त दिखाई गई है मैं यह कहूँगा कि वह सद्भावना उस समय नहीं रहेगी जो आज दिखाई देती है। अंग्रेजी में कहावत है—

"Morning shows the day."

यह सिलसिला तो हम अभी से देख रहे हैं कि सद्भावना कहाँ तक है और हमसे यह बात छुपी नहीं है कि इम्पलीमेंटेशन के समय वे हमारे साथ क्या बर्ताव करेंगे। मैं कहूँगा कि लाखों की तादाद में हमारे राजपूत भाइयों पर इसका असर पड़ेगा इस निगोशियेशन में हम लोगों ने इनकी जिम्मेदारी ली है और वास्तव में हर एक शख्स को जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए लेकिन जब हम घर में जाते हैं तो हमें किस तरह के शब्द उनसे सुनने पड़ते हैं और जब इम्पलीमेंटेशन का वक्त आवेगा और सद्भावना नहीं दिखाई जायेगी तो जब हम अपने घरों से बाहर निकलेंगे तब मालूम होगा कि इतने बड़े तादाद के समूह के भाग्य के साथ खिलवाड़ करने का क्या नतीजा होता है। उस समय यह समस्या और भी गंभीर हो जावेगी और वह और ही रंग लावेगी।

तो किस तरह पोलिटिकल पार्टीज़ पर हमारे नेता लोग काबू करेंगे? शुरूआत में ही ऐसी चीज़ बन गई है जो दुखप्रद है और सब खाने में किरकिर पड़ गई। इसका इम्पलीमेंटेशन किस तरह से होगा, हमें इससे न्याय मिलेगा या नहीं, कहाँ तक हम लोगों को रिप्रेज़ेन्टेट कर सकेंगे, उनको न्याय मिलेगा या नहीं, कहीं इससे देश की हानि न हो जाय, ईश्वर ऐसा न करे, इन बातों को सोचते तो अच्छा था।

इन जनरल रिमार्क्स के साथ मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी, जो कि सरकार के हेड हैं, और अन्य माननीय मन्त्री और अन्य मित्रों से जो कि उस पक्ष में बैठे हैं निवेदन करूं कि इस समस्या को सहृदयता के साथ, विशालता के साथ और खूबी के साथ हम लोगों को प्रतिक्रियावादी या रिएक्शनरी न समझ कर किन्तु इस देश के पेट्रियोटिक सिटिजन (देशभक्त नागरिक) समझकर, वे इस समस्या को अगर हल करने की कोशिश करेंगे तब तो इस प्रान्त का हित होगा, नहीं तो माननीय अध्यक्ष, एक दिन वह देखना पड़ेगा कि राजस्थान की जनता को दुख होगा कि किस दिन इस समस्या को लिया था कि आज हमको यह दिन देखना पड़ा।

श्री वेदपाल त्यागी—अध्यक्ष महोदय,......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, अच्छा यह हो कि जो अमेंडमेंटस और मोशन आये हैं उनको भी ले लिया जाय।

श्री वेदपाल त्यागी—पहले जनरल बातें ले ली जाँय।

श्री अध्यक्ष—मोशन्स पर बोलने वाले मोशन्स पर बोलेंगे और जो सपोर्ट में बोलने वाले हैं वे सपोर्ट में बोलेंगे।

श्री तनसिंह।

(अनुपस्थित)

Then Raja Shri Man singh.

(इस समय श्री तनसिंह ने सदन में प्रवेश किया)

श्री तनसिंह—May I be permitted to move my amendment motion?

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री तनसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन रखा है—

"That the Bill be circulated for eliciting public opinion thereon, by 31st August, 1954."

अध्यक्ष महोदय, मेरा इस संशोधन को रखने का यह मतलब कभी नहीं है कि जो जागीरें समाप्त करने का सरकार का उद्देश्य है उसके मार्ग में रोड़े अटकाऊँ और मैं जानता हूँ कि मेरे इस प्रस्ताव के उत्तर में माननीय मन्त्री महोदय यही बतावेंगे कि यहाँ इस प्रस्ताव द्वारा ऐसी अड़चन पैदा की जा रही है जिससे इस प्रकार के उसूल को कार्यान्वित करने के लिए रोड़ा अटक जाय। मैं स्पष्टतया पहले बतला देना चाहता हूँ कि यह तो अमेन्डमेन्ट बिल है और इससे पहले राजस्थान लैंड रिफोर्म्स एण्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स एक्ट, ५२ पहले ही से लागू है। यदि यह कहा जाय कि जागीरों को समाप्त करने के लिए कानून बनाना आवश्यक है और उस एक्ट के द्वारा जागीरदारी प्रथा समाप्त की जा सकती है तो मैं यह कहने के लिए तैयार हूँ कि वह कानून पहले से ही लागू है और यदि जागीर समाप्त करने की ही नीयत सरकार की है तो उस कानून के अन्तर्गत आज तक वे समाप्त कर दी गई होतीं। यह दलील दी जाती है कि रिट पेश हो गई थीं और इसके कारण उन्मूलन के सिद्धान्त कार्यान्वित नहीं किये जा सके। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि क्या वे निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि इस समझौते के बाद और अमेन्डमेन्ट बिल पास हो जाने के बाद यदि हाई कोर्ट में रिट्स आवेंगी तो क्या वे विदड्रा कर ली जावेंगी। यदि उनका खयाल है कि रिट्स वापिस ले ली जावेंगी तो मैं उनको सावधान कर देना चाहता हूँ कि वे धोखे में हैं और यदि राजस्थान क्षत्रिय महासभा की ओर से उनको कोई आश्वासन दिया गया है कि रिट्स वापिस ले ली जावेंगी तो मैं यह कहूँगा कि उन्होंने अधिकारों का अतिक्रमण किया है, परिस्थितियों से नावाकिफ रखने के लिए जानबूझ कर इस प्रकार की परिस्थितियां अपनाई हैं। यह विधेयक, जो सदन के विचारार्थ रखा गया है, उसका विरोध इस नीयत

[श्री तनसिंह]

से नहीं करता हूं कि जागीरों का उन्मूलन न किया जाय बल्कि इसलिए करता हूँ कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए जिन सिद्धान्तों को अपनाया गया है और जागीरों की समाप्ति के लिए जो आधार बनाया है वह बिल्कुल इमानदारी से परे है और मैं कह सकता हूँ कि यह समझौता ऐसा है कि जिसको विधान सभा या कोई व्यक्ति वाजिब नहीं मान सकता है।

इसका कारण जो है वह मैं आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने उपस्थित करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि कोई समझौता होता है तो वह सिद्धान्तों के आधार पर नहीं हो सकता है। जो भी समझौता होगा वह स्वार्थों पर होगा और उसमें लेन-देन की भावना निहित होगी। जागीरी उन्मूलन के सम्बन्ध में जो समझौता किया गया है वह गलत है। जो कोई समझौता होता है उसमें लेने और देने की भावना रहती है; चाहे वह हमारे सामने प्रकाश रूप में आये या न आये किन्तु समझौते में यह निश्चित है कि कुछ लेने और देने की भावना दोनों ओर से हो और इस लेने और देने की प्रवृत्ति को विधान सभा के सदस्य ठीक नहीं समझते और इसलिए ठीक नहीं समझते कि सरकारी समझौते से उत्पन्न फल को चाहे पहले अमृत के रूप में ही ग्रहण कर लिया जाय और प्रारम्भ में उस फल का स्वाद कितना ही अमृत के समान क्यों न लगे आखिर में यह विष के समान ही है क्योंकि वह समझौता स्वार्थों के ऊपर आधारित है।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि जो समझौता काँग्रेस और जागीरदारों, अब तो सरकार और जागीरदारों के नाम से ही कहा जाय, के बीच हुआ वह दोनों पक्षों के लिए नैतिक दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं था कि इस प्रकार का समझौता इस विधान सभा के निर्माण के बाद राजस्थान से बाहर बैठ कर करते। आवश्यक तो यह था कि इस विधेयक को विधान सभा में रखते और विचार करने का मौका सदस्यों और बाहरी जनता को देते। लेकिन मैं निवेदन करूँ कि इस प्रकार का समझौता जो हुआ वह ऐसे हुआ कि लोगों के सोचने और न सोचने के पहले, उसका नतीजा सामने आ गया और वह नतीजा ऐसा है कि जिस पर कुछ लोग गर्व कर सकते हैं किन्तु मैं उसको गौरव की दृष्टि से नहीं देखता, मैं तो उसको हेय दृष्टि से देखता हूँ। जो लोग त्याग और उदारता का राग अलापते थे, देश भक्ति का राग अलापा करते थे, राजाओं की देशभक्ति का राग अलापा करते थे और यदि ऐसा समझते हैं कि समझौता करके हम भी उदारता और त्याग का परिचय दे रहे हैं तो मैं यह निवेदन करूँगा कि यह त्याग नहीं है। जब उन्हें त्याग की भावना से ही प्रेरित होकर जागीरें देनी थी तो स्पष्ट रूप से सामने आकर कहते कि हम बिना किसी समझौते के अपनी जागीरें आपको समर्पित करते हैं और उसके बदले में हम कुछ नहीं लेंगे। त्याग तो वह कहलाता है जो बिना किसी स्वार्थ के या लेने और देने की भावना से परे हो। यदि कुछ लेकर त्याग किया

[श्री तनसिंह]

जाता है तो वह त्याग नहीं, वह तो व्यापार है और मैं समझता हूँ कि जो किया गया है वह बहुत विपरीत किया गया है और त्याग के नाम पर कलंक लगाया जा रहा है और बाहर यह बताया जा रहा है कि राजपूत आज तक सरकार के विरोधी नहीं है और हमेशा से उसके पक्षपाती रहे हैं और यह तथ्य इस बात का पोषक है कि हम अधिक से अधिक सरकार का समर्थन करें और इसके लिए इनकार नहीं करें कि उस ओर जागीरदार जाकर बैठें, ये सरकार का समर्थन करें। उनका कांग्रेस की नीति से विरोध नहीं है। वे कांग्रेस की ओर जाकर उसका समर्थन कर सकते थे और आज भी हम चाहें तो ईमानदार व्यक्ति जाने से रुक नहीं सकता किन्तु अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के समझौते के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां घटीं, कुछ ऐसी घटनायें घटीं कि चाहे समझौते को कितना ही पवित्र बताया जाय किन्तु स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि उससे विधान सभा की स्थिति में रद्दोबदली हुई है और कुछ घटनायें ऐसी हैं जो निश्चित रूप से बताती हैं कि यह सब कुछ समझौते के परिणामस्वरूप है और ऐसा काम करके इतना ही नहीं कांग्रेस पार्टी ने इसको महत्व दिया। कांग्रेस पार्टी के सब व्यक्ति जानते हैं कि जो बातें हुई हैं उनके अनुसार जागीरी एक्ट अनुदार था। उदार इसलिए बनाया गया कि कुछ लोगों का समर्थन प्राप्त हो। तो यह भी एक सिद्धान्तों के परे की बात है और अपने सिद्धान्तों में विश्वास करने वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं है। सिद्धान्तों को मानने के लिए हृदय की जितनी आवश्यकता है अगर वह स्वार्थों के कारण मिल गया है तो वह आपके पक्ष का समर्थन नहीं कर सकते और वे अपने पक्ष का ही समर्थन करेंगे।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो जागीरदारों द्वारा समझौता-नीति अपनाई गई है वह उचित नहीं थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिये था। अगर वे लोग समझौता करने के लिये तैयार हैं, अगर वे इस प्रिन्सिपल को मानते हैं कि जागीरी-प्रथा समाप्त करनी है तो उनको इस प्रिन्सिपल को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिये। इसके बदले में कोई भीख माँगने न जाय कि हमारे पास अमुक सुविधायें नहीं, अमुक साधन नहीं। जब एक समझौता किया और आपने समाज को बतलाया कि हम सारे समाज के प्रतिनिधि हैं इसलिये समझौते में इस प्रकार की बातें रखीं, जो एक व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिये करता है। उन्होंने इतना तक ही नहीं किया बल्कि यह भी किया कि जो जागीरी प्रेमिसेज़ मंजो स्कूलें हैं वे भी जनता के लिए न दी जाकर उन्हीं की रहेंगी। इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिये उन्होंने इन छोटी-छोटी बातों का भी ध्यान रखा। उन्होंने अपने लिये तो सब कुछ ले लिया, कुछ अपने पीछे चलने वाले लोगों के लिये, जिनका कि वे प्रतिनिधित्व नहीं करते उनकी कीमत करना चाहिए जो उन्होंने नहीं किया। अतः नैतिक दृष्टि से यह अच्छा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने छोटी-छोटी जागीरें समाप्त करने के लिए स्वीकृति दी। छोटी जागीरों की समाप्ति की स्वीकृति जागीरदारों ने जो अपने ऊपर ली थी वह उनको अपने ऊपर नहीं लेना चाहिये था। मेरा यह संशोधन प्रस्ताव है कि इस बिल में जो यह रखा गया है कि

[श्री तनसिंह]

छोटी जागीरों के लिये सरकार और कॉंग्रेस पार्टी में जो समझौता-वार्ता की गई वह उन छोटे जागीरदारों के प्रतिनिधित्व पर की गई, यह बिल्कुल गलत बात है। इसके अलावा मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज तक किसी भी जागीरदार ने प्रतिनिधित्व नहीं किया और न वे ऐसा कर सकते हैं। वे प्रतिनिधित्व सिर्फ अपने स्वार्थ का कर सकते हैं और ऐसा उन्होने किया भी है। इसके अतिरिक्त उनमें यह सामर्थ्य भी नहीं कि वे सारे जन-समूह और समाज का समर्थन कर सकें। इसके लिये यह बताया जाता है कि राजस्थान क्षत्रिय महासभा ने आकर हमसे, राजस्थान सरकार से समझौता करने का सुझाव दिया। जिसने आपस में बैठकर इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा की हैं, इस प्रकार का वातावरण पैदा किया है जिसके जरिये हम अच्छी तरह काम कर सकें, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार जो अपने आपको साम्प्रदायिकता विरोधी बताती है और कहती है कि हम अपने राज्य में किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिकता पनपने देना नहीं चाहते, हम किसी भी ऐसी शिक्षण संस्था को जो साम्प्रदायिक संस्था के रूप में चल रही हो या किसी सम्प्रदाय या जति विशेष द्वारा संचालित हो रही हो उसको ग्रान्ट इन एड नहीं दे सकते, लेकिन अपने इस उसूल का पालन इस समझौता-वार्ता में नहीं किया। इस तरह से कॉंग्रेसी सरकार जो अपने आपको साम्प्रदायिकता से परे मानती है, यह जो क्षत्रिय महासभा को जागीरदारों का प्रतिनिधित्व मानकर उसका समझौता-वार्ता में सम्मिलित करना एक प्रकार से साम्प्रदायिदता को पोषण देना है। राजस्थान क्षत्रिय महासभा जागीरदारों की सभा है, यह गलत बात है। क्षत्रिय नाम को वे साम्प्रदायिक मानते भी आ रहे हैं। ऐसी साम्प्रदायिक संस्था को किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधि मानकर जो यह समझौता-वार्ता की गई है उसके लिये मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जो हमें आगे की घटनायें बता रही हैं राजपूत महासभा ने क्षत्रिय महासभा का विरोध किया, फिर भी ऐसे प्रतिनिधियों को लेकर जो समझौता-वार्ता की गई उसका प्रतिकार किया गया। इस हकीकत से हमारी सरकार की आँखें बन्द नहीं हो सकतीं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन जागीरदारों ने समझौता-वार्ता में भाग लिया वे आज तक जो यह कहते थे कि हमने क्षत्रिय महासभा का प्रतिनिधित्व किया वे किसी भी वर्ग विशेष के प्रतिनिधि नहीं रहे। इतिहास हमें बताता है कि ये जागीरदार लोग हमेशा शोषक रहे है, छोटे जागीरदारों और राजपूतों के नाम पर जो आज अपने आपको स्वयंभू नेता मान बैठे हैं, जो उनके प्रतिनिधित्व का ढोंग कर रहे हैं हमेशा शोषण करने का और पैरों तले दबाने का इन्होंने प्रयत्न किया है। इसका नतीजा देख रहे हैं कि सब कुछ सुविधा प्राप्त समुदाय आज प्रतिनिधि बन बैठा है और इसके पीछे शोषित हजारों लोग ऐसे आ गये जो आज मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। अगर आज तक किसी वर्ग में वैमनस्य पैदा किया गया तो इसका मुख्य कारण है हमारे ये स्वयंभू नेता जो अपने स्वर्थ हित की रक्षा के लिये हमेशा इस समाज को शोषित करते आए हैं इस बात को तो स्वयं कॉंग्रेस के माने हुए नेताओं ने स्वीकार किया है और मैं तो जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, हमारे हाउस के नेता ने इस प्रकार की बात कही थी कि ये लोग गुमराह करने की आदत रखते हैं। इनसे हमेशा सावधान रहना चाहिये, मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि अगर कॉंग्रेसी सरकार को इस प्रकार कहा गया कि हम सारी जागीरों को सुपुर्द कर देंगे, अगर इस प्रकार की सुविधायें हमें दे दी जाँय तो हमारे पीछे जो

[श्री तनसिंह]

सारा बल है वह एकत्र हो जायगा, ऐसा नहीं होगा तो असन्तोष फैलेगा, हम लोग कम्युनिस्ट हो जायेंगे; ऐसी बातें अखबारों द्वारा हमें पढ़ने को मिलीं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जिनका धन्धा ही शोषण का रहा हो कभी कम्युनिस्ट बन सकते हैं, यह एक बड़ी विडम्बना की बात है। ये लोग सब कुछ कर सकते हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिये कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं कर सकते।

अब अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातें, इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करते समय हमारे माननीय मन्त्री ने जो कही थीं वे बातें वस्तुतः मेरे संशोधन के विरुद्ध होने के कारण, उनका स्पष्टीकरण आवश्यक है। मैंने जैसा कि पहले बताया मैं यह नहीं चाहता कि मैं इस नीति का विरोध करूँ। मैं तो यह चाहता हूँ अनुदार ही हो, जो पहले बिल पेश किया गया था वह बिल्कुल ठीक था। अगर वह गलती हुई तो क्या सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार है कि उसने ऐसा बिल पेश किया, ऐसी जल्दी में पेश किया जब कि देश में चुनाव हो रहे थे, तो पेश नहीं किया जाना चाहिये। मैं इस बात को मानता हूँ कि वह वाजिब एक्ट था और आवश्यक था। उस वाजिब एक्ट में गैर-वाजिब तौर पर यह समझौता किया गया। इसलिये अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट के अन्दर इस प्रकार के प्रतिनिधियों ने आकर जो कुछ बातें बताई हैं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी उनके द्वारा बताया गया वह सच्चे मायने में प्रतिनिधित्व नहीं किया, केवल उन्होंने अपने स्वार्थ का प्रतिनिधित्व किया। इस विधेयक को जनता का मत प्राप्त करने के लिये प्रसारित करने का संशोधन प्रस्ताव मैंने रखा है उससे मैं यह आशा करता हूँ कि जब हम अगली बार यहाँ उपस्थित होंगे तो हमारे पास इस प्रकार की विचार धारायें, आ जायेंगी हमारे पास इतना मैटर कलेक्ट हो जायगा जो हमारे इन स्वयंभू नेताओं ने अपने आपको प्रतिनिधि मानकर, प्रतिनिधित्व के भूलावे में आकर किया, उसका खण्डन करने में पर्याप्त होगा। इससे कई अधिक विलष्ट समस्यायें हो सकती है जिनका उल्लेख इस समझौते में न हो। अगर हम समझते हैं कि इस विधेयक में संशोधन करने के बाद भी बहुत से विचारों को आवश्यकता है, ऐसी परिस्थिति में नैतिकता हमें यह कहती है कि काँग्रेस ने जिस समझौता-वार्ता में आगे बढ़कर भाग लिया है उसे चाहिये कि स्वयं अपना दिमाग न लगाकर यह आवश्यक है कि इसको जनता के दिमाग पर छोड़ा जाय कि क्या वह निर्णय को ठीक समझती है या नहीं। जनता यदि यह चाहती है कि पहले वाला बिल ठीक है तो मैं समझता हूँ कि हम नैतिकता पर आचरण कर रहे हैं।

तो मैं निश्चयपूर्वक कह रहा हूँ कि वे हकीकत की तरफ आँखें बन्द कर रहे हैं और एक दिन इसका नतीजा सामने आवेगा, स्पष्ट रूप से आवेगा और तब उसको समझने–सोचने का समय भी आपको नहीं मिलेगा।

इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थिति आवे उससे पहले ही निश्चयपूर्वक हम यह मान लें कि जिन्होंने इस समझौते में भाग लिया है, वे ही इससे सम्बन्धित पक्षों के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं हैं बल्कि इनके अतिरिक्त भी बहुत से हिस्से

[श्री तनसिंह]

ऐसे हैं जिनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता यह बिल। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे जनमत के लिए प्रसारित किया जावे। अगर यह जनमत के लिए प्रसारित किया जाता है तो यह मैं विश्वास-पूर्वक कह सकता हूँ कि ऐसी बहुत सी बातें आपके ध्यान में आवेंगी जिनके आधार पर आपके निर्णयों पर गहरा असर पड़ सकता है।

क्या हुआ यह कह दिया गया हो कि हमने मुआवजा पहले दस गुना था उसे कम करके सात गुना कर दिया है। मैं तो नहीं समझ सकता कि यह किस आधार पर आप ला रहे हैं। जब उनके पास इतनी बड़ी-बड़ी जागीरें पीढ़ियों से थीं और जिनको वे भोग रहे थे वे क्यों दस गुना की अपेक्षा सात गुना ही माँगें, क्यों नहीं पाँच गुना ही मांगे? क्यों जबान रुक जाती है उनकी कि जो हमारे से छोटे हैं और आज जिनकी संख्या असंख्य है, कि सुविधाओं का इन्तजाम करें। इस तरह का कथन करने का प्रयास हो नहीं किया और न वे कर ही सकते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वह गलत है, उन्होंने अपने निज के स्वार्थों को देखा है, अपने से छोटे लोगों की बात नहीं देखी। इसलिए यह एमेंडमेन्ट सही प्रतिनिधित्व तभी कर सकेगा जब यह जनता के मत के लिए प्रसारित होगा।

अभी यह भी बताया गया था कि हमने आपस में जो समझौता किया है उसके बदले में किसी प्रकार की कोई भी चीज अपने स्वार्थों के लिए नहीं की है और इसलिए उस दलील के द्वार को बन्द करने के लिए सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने कोशिश करते हुए पहले ही बतला दिया कि हमने ऐसा समझौता नहीं किया पर जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है माननीय श्री पन्तजी द्वारा उसमें स्पष्ट रूप से राजस्थान क्षत्रिय महासभा द्वारा जो मेमोरेन्डम श्री जवाहरलालजी नेहरू के पास भेजा गया उसमें स्पष्ट है :

"Given time and opportunity we assure you, Sir, that we can prove to be of a great service to the country."

एक बात। दूसरी बात..."The present move that we have made is solely with the motive of serving the best interest of the nation and we hope that it will be appreciated as such."

और तीसरी, "We have always been loyal and faithful supporters of the Government of the time, but due to the force of circumstances over which we had little control, we find ourselves pitched against the administration." सिर्फ इस बात के लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में निभ नहीं सकता क्योंकि उनकी जागीरी का मसला है। यह शर्मनाक चीज है और मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि मेमोरेन्डम में जो यह लिख रक्खा है उससे भी स्पष्ट बात और भी स्पष्ट हो जाती है, जब विरोधी दल के नेता ने अभी

[श्री तनसिंह]

बतलाया हमारे सामने। उस समय समझौता करने से पूर्व जागीरदारों के मौरूसी हक देखने थे। यहाँ पर उससे भी महत्वपूर्ण मसला था। जो राजपूत कौम आन-बान वाली कौम थी, देश-भक्त थी, हमेशा सरकार का साथ दिया करती थी आज विरोधी है। मैं यह कह देना चाहता हूँ कि जो राजपूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह कहते हैं कि हम सिर्फ इसलिए साथ में नहीं हैं कि उनकी जागीरों का सवाल ठीक तरह से सोल्व (solve) नहीं किया गया है तो मैं समझता हूँ कि वे राजपूतों के लिए कलंक है और वे यह कहें कि जागीरों का प्रश्न ठीक तरह से सोल्व हो जावे तो राजपूत आपके लिए वफादार रहेंगे तो भी कहुँगा कि राजपूतों की संस्कृति की दृष्टि से उत्तम बात कतई नहीं करते हैं। राजपूत हमेशा स्वार्थ के लिए नहीं परार्थ के लिए लिया करते हैं, वे हमेशा परार्थ के लिए पलता चला आया है। मैंने संक्षेप में अपनी इन दलीलों को व्यक्त किया है।

मैं यह जानता हूँ कि यह विधेयक जो पारित होने के लिए आया है उसके उपर मन्त्री महोदय यदि थोड़े ठंडे दिल से सोचने का प्रयास करेंगे और उस पक्ष की ओर बैठने वाले लोग भी ऐसा करेंगे तो उन्हें मेरी दलीलें और मेरा यह संशोधन वाजिब लगेगा। मैं जैसा पहले कह चुका हूँ फिर कह देता हूँ कि मैं यह संशोधन इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि यह बिल पास नहीं किया जावे और उससे जागीरों को रिज़र्व रखा जावे पर यह कहना चाहता हूं कि सरकार जिसे कहती है कि उसने यह उदार प्रोवीजन रखा है तो क्या पहले जो एक्ट था वह अनुदार था और वह अनुदार था जिसको आप उदार कर रहे हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको ऐसी आवश्यकता नहीं कि वे इसे उदार करें। वे इसे अनुदार ही रहने दें क्योंकि इसे अनुदार कहने वाले वे होते कौन हैं? इसे अनुदार वे ही लोग कहते हैं जो स्वयं जागीरदार हैं; लेकिन आप, जिन्होंने स्वयं ने यह कानून पेश किया है यह कहने लगे कि यह अनुदार है तब तो यह दलील उनके विरुद्ध पड़ती है। इसलिए मैं तो यह समझता हूँ कि इसे अनुदार उन्होंने कहा है जो स्वयं जागीरदार है और जो समझौता हुआ है वे उसमें शामिल थे, इसलिए अब वे इसे उदार करना चाहते हैं। वे तो ऐसा कहेंगे ही क्योंकि इसमें उनका स्वार्थ है। मेरी राय में तो पहिले वाला एक्ट बिलकुल सही है और अगर आप इसे पेश करना चाहते हैं तो पेश करने से पहले इसे जनमत के लिए प्रसारित किया जावे। जो समझौते में आपके साथ शामिल हुए उनका प्रतिनिधित्व गलत है और उन्होंने अगर कोई प्रतिनिधित्व किया है तो केवल निज का किया है बल्कि प्राइवेट और व्यक्ति गत स्वार्थों का है उनकी जैसी दस हजार की पचास हजार की जागीरों का भी नहीं किया है। उन्होंने अपनी-अपनी व्यक्तिगत जागीरों का प्रतिनिधित्व किया है, उन्होंने अपने निज के प्राइवेट स्वार्थों का ही प्रतिनिधित्व किया है इसलिए इसे जन-मत के लिए प्रसारित किया जावेगा तो आपको बहुत अधिक अच्छी-अच्छी चीजें, अच्छे-अच्छे सुझाव उपलब्ध होंगे और इन्हीं कुछ चन्द शब्दों के साथ मैं अपना कथन समाप्त करते हुए आशा करता हूँ कि सदन मेरे इस संशोधन को जनमत के लिए प्रसारित करने के प्रस्ताव को एकमत से स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—राजा श्री मानसिंह।

Shri Raja Man Singh:—Mr. Speaker, Sir, to the motion that the Bill be considered, I have moved an amendment. My amendment is, Sir, that the Bill be referred to a Select Committee, whose report is to be submitted to the House before the 1st, August 1954.

My reasons for putting forward this amendment, Sir, are that in the Statement of Objects and Reasons of the Bill it is clearly stated that the Government have, after careful consideration, agreed to liberalise the provisions of the principal Act. This liberalisation of the provisions of the Act now involves a financial liability on the State amounting to nearly Rs. 20 crores. There is no doubt that after various other amendments to resume Jagirs of less than Rs. 5,000/- this amount will be increased. This liberalisation also affects lacs of people. Therefore, I feel, Sir, that if the Bill is to be considered at all, it should be considered extremely carefully and it should be referred to a Select Committee:

My other reason for delaying the passage of the Bill is that the Tenancy Bill has been introduced in this House, which is a general land reform provision for Rajasthan. Before we consider or pass a particular land reform, it is necessary that the general Bill should first be pilotted through, There is no doubt, Sir, that many clauses of the Tenancy Bill and this particular Amendment Bill are complimentary and contradictory to each other. After we have passed this particular Bill, it will be necessary to amend it, in other words to bring up an amendment to the Amendment which is now being proposed, after the Tenancy Bill has been passed. These are my reasons for putting forward the amendment.

Speaking on the general principles of the proposed Bill, again I refer to the objects and Reasons stated in the Bill:

"Since the Principal Act was passed, the Jagirdars made representations to the Government for some concessions in respect of compensation and other matters. Government have, after careful consideration, agreed to liberalise the provisions of the Act. The Bill is intended to give effect to the agreement reached between the Government and the Jagirdars."

There is no provision here for the common man. The Government, Sir, does not represent the common man. The Congress Party represent only

Page No.52

[श्री राजा मानसिंह]

40% of the people. They do not represent the other 60% of the people. As such, Sir, they have no right to sponsor a Bill which in fact is only an agreement between the Congress Party and the Jagirdars.

However, Sir, I would like to throw some light on the principles and objects of the principal Act, so that we can understand this amendment more clearly. The Principal Bill was sponsored by the Hon'ble Chief Minister when he was a nominee of the Congress Party which took over the reins of Government from the British. It was sponsored and hurriedly enacted just prior to the elections, mainly to influence the General Elections. Even so, the general public who were to be affected by the Bill felt extremely relieved that their difficulties and their grievances would be redressed. However, Sir, after taking into consideration and passing the principal Bill before the initial sitting of this House two and a half years back, nothing whatsoever has been done to enforce the Principal Act. It has also to be pointed out, Sir, that a heavy expenditure has been incurred during the past one and a half years for maintaining the Jagir Commissioner's Office. Even so not a single agriculturist nor the Government has yet been benefitted by the provisions of the Principal Act.

I had put, Sir, one year ago a question in this House to the Government, as to whether they intended to bring about any negotiations between the Jagirdars for benefits to the Jagirdars. The answer given to me was in the negative. Not only was this gross inexactitude stated in this House, to which I take exception, but the Congress Party Government has even sponsored a Bill to provide more liberal provisions for the benefit of the Jagirdars.

There is no doubt, Sir' that like the Principal Act was enacted to influence politics outside this House, this Amendment is equally being brought to influence politics within the House.

There are many land reforms, which have been enacted, Sir, in this Country. In the neighbouring Provinces like Uttar Pradesh, they have provided a certain figure for compensation. Further we have got Kashmir, where land reforms have been enacted without compensation...all to the benefit of the tillers. I see no reason, Sir, looking at the Principal Act, why an amendment whatsoever is necessary for liberlsing the compensation to the Jagirdars. However I would have appreciated it if the Gongress Government had sponsored

[राज श्री मानसिंह]

an amendment to the Principal Act to resume jagirs of Rs. 5,000/- and under.

Finally, Sir, I should like to draw your attention to Rule 99 of the Rules of Procedure concerning the disqualification of members from voting on grounds of pecuniary interests. Each and every Jagirdar, who is a Member of this House, will derive direct and personal pecuniary interest from the provisions of the Amendment, and therefore. Sir, they should be debarred from voting at any stage of the Bill.

(राज्य पक्ष द्वारा 'हियर-हियर' की ध्वनियें)

श्री वेदपाल त्यागी—अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ हमारे मित्र सुखाड़ियाजी ने व कुँ० जसवन्तसिंहजी ने कहा उनको बड़े गौर से सुना। बहुत दिनों से प्रतिक्षा थी कि यह बिल हाउस के सामने आयेगा और राजस्थान, जो कि इस समय सबसे पिछड़ा हुआ प्रान्त है और देश के सब प्रान्तों में जागीरें उन्मूलित हो चुकी हैं. यहाँ अभी तक नहीं हुआ है उसको अब पूरा करेंगे और वह प्रान्तों के बराबर आकर खड़ा होगा, जहाँ कि यह मेजर (measure) सबसे पहले ले लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो प्रिन्सिपल एक्ट था उसमें संशोधन करने के लिए जो बिल पेश हुआ है उसके ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स की तरफ राजा मानसिंहजी ने हाउस का ध्यान दिलाया है और माननीय सुखाड़ियाजी ने जो कुछ कहा उसको भी लोगों ने गौर से सुना, लेकिन जिस तरह की स्पीचेज़ माननीय सुखाड़ियाजी की स्पीच के बाद हुई हैं उनको देखते हुए जो सद्भावना का वातावरण जो कि बहुत से लोग आशा करते थे वह नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह के वातावरण में यह हो रहा है और जिस तरह का वातावरण क्रियेट (creaet) हुआ है, पैदा हो चुका है, उस वातावरण में, मैं समझता हूँ कि इस तरह के बिल लाने से कोई फायदा नहीं होगा और जो आशा की जाती है उस आशा के विपरित हम लोगों को और उस तरफ (राज्य पक्ष) में बैठने वाले बहुत से लोगों की है, उनसे मुझे बहुत तथ्य नजर आ रहा है।

कहा यह जाता है कि जिस वक्त नो कान्फीडेन्स का मोशन आया था उससे पहले वह बातचीत आपस में सद्भावना के द्वारा और आपस में एक दूसरे से बात करके उस प्रिन्सिपल एक्ट को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता था, उसके बाद ही ऐसा वातावरण बना, उसको कार्यान्वित करने के लिए आपस में बातचीत शुरू हुई। इसके बाद यही सुनने में आ रहा है कि जो कुछ बातचीत हुई थी वह यह है कि इस प्रथा को हटा दिया जाय और उसमें उन लोगों के लिए जो उस प्रथा के अन्तर्गत सदियों से अपना एक जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं इस प्रकार की व्यवस्था देना था कि जिसके आधार पर प्रान्त के अच्छे नागरिक बन सकें। लेकिन कुँ० जसवन्तसिंहजी ने जो भाषण दिया है उसके सुनने से पहले जो शंका लोगों के मन में उत्पन्न हुई थी उसकी पुष्टि होती है कि यह केवल इस तरह का वातावरण बनाने की बातचीत नहीं थी, बल्कि एक राजनैतिक सौदा था और

[श्री वेदपाल त्यागी]

वह राजनैतिक सौदा आज बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि यह बिल यहाँ पेश हो रहा है और आज कुछ लोग जो कि इस बिल को लाने के लिए जिम्मेदार हैं, उसमें से कुछ लोग उस तरफ बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय मैं यह कहूँगा कि जिस वातावरण में यह सब चीजें शुरू हुई और जिस प्रकार इसका अन्त किया जा रहा है वह प्रान्त के हित में नहीं, बल्कि वह कुछ लोगों के हित में मान सकते हैं। इसलिए प्रिन्सिपल्स पर बोलने के लिए खड़े होते समय में आज, अध्यक्ष महोदय, यह सौदा जो किया गया है इस बिल को पेश करने के लिए, उसके ऊपर सदन का ध्यान दिलाना चाहूँगा। वह अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की चीज है कि जिसके आधार पर यह कह सकते हैं कि हम लोगों की भलाई के लिए इस एक्ट को अमेन्ड करने के लिये यह बिल पेश नहीं किया गया है बल्कि राजनैतिक सौदा करने के लिये यह ऐमेंडमेन्ट पेश हो रहा है। वह इसलिये कि उससे कुछ लोगों को फायदा हो। और उसका बोझ जनता पर पड़े। मैं यह निवेदन करूँगा कि इस प्रकार की सौदेबाजी न इधर के लोगों को शोभा दे सकती है, न इधर के लोगों को शोभा दे सकती है। सौदेबाजी करना और इस प्रकार की सौदेबाजी करना जिससे राजनैतिक फायदा उठाया जाय और उसका बोझ हमारे कोष पर पड़े और उसका बोझ अन्त में जाकर गरीब किसान पर पड़े, यह शोभा की बात नहीं है। मैं ज्यादा दोष उन लोगों को नहीं देना चाहता जिन लोगों ने अपनी परम्परा से जो चीज चली आ रही थी उसको खतम करने में अपना इरादा जाहिर करते हुये ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश की क्योंकि यह मनुष्य स्वभाव से ही फायदा उठाना चाहता है। लेकिन मैं दोष उन लोगों को देना चाहता हूँ जो ऐसी परम्परा हमारे अन्दर डाल रहे हैं। यह जनतन्त्रवाद की सुन्दरता है कि हम कृत्यों से परम्पराओं को जन्म देते हैं जिनसे जनतन्त्रवाद पनपता है। मैं यह कहूँगा कि जनतन्त्र में आज आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं जिसे देख कर आगे आने वाली सन्तान कहेगी कि यह जनतन्त्रवाद की चीज नहीं थी, लेकिन यह अपने आपको जीवित रखने के और चन्द लोगों के स्वार्थ को पूरा करने के लिये सौदेबाजी की गई है। यही कारण है कि हमारा प्रान्त आज सबसे पिछड़ा हुआ प्रान्त है। जब कि तमाम प्रान्तों में यह प्रथा बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है तब भी हम यह कहते हैं कि यह जो बिल आया है उसे पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जाय या इसे प्रवर समिति को सौंपा जाय; इससे पता चलता है कि यह प्रथा इतनी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं हैं। जो रिपोर्ट पंतजी ने दी है उसमें भी उन्होंने लिखा है कि यह बिल भले ही पास हो जायगा लेकिन बिल के पास होने से ही इस प्रथा का अन्त होने वाला नहीं है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट के पेज ३९ में लिखा है :

"The resumption of Jagirs in Rajasthan will be a gradual process. It is only after settlements have been made that it will be possible to resume all the Jagirs. The process may have commenced immediately, but is likely to take more than five years to complete."

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूँगा कि आज हम जिस बिल पर यहाँ विचार कर रहे हैं उससे जागीर प्रथा आज ही समाप्त होने वाली नहीं है। उसे समाप्त होने में कम से कम

[श्री वेदपाल त्यागी]

पाँच वर्ष और लगेंगे और वह भी तब जब कि आज हम जिस बिल को पास कर रहे हैं उसे ईमानदारी के साथ कार्यान्वित किया जायगा। जैसा कि राजा मानसिंहजी ने बताया था, यदि उस प्रकार के लोग उस पार्टी को डोमिनेट (dominate) करेंगे जिससे कि उसका हित होता है तो मुझे डर है कि जो कुछ हो रहा है वह प्रान्त के हित में नहीं हो रहा है और जनता के हित में नहीं हो रहा है। जैसा कि सुखाड़ियाजी ने कहा था कि हमने एक प्रगतिशील बिल पेश किया है जो जनता और काश्तकारों के हित में है। हो सकता है कि उनके दिमाग में इससे काश्तकारों का हित हो लेकिन जो प्रिन्सिपल एक्ट सन् ५२ में पास किया था उसको कार्यान्वित न करने से लोगों को जो नुकसान हुआ है उसको देखते हुए इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। सन् ५२ से आज तक जिस प्रकार की बेदखलियां की गई हैं, जिस प्रकार जमीन बेचकर फायदा उठाया गया है और जिस प्रकार का कम्पेन्सेशन उनको मिलेगा उसको देखते हुए यह पता चलता है कि यह किसी वर्ग विशेष के लिये ठीक है, न कि आम जनता के लिये। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को प्रगतिशील बिल नहीं मानता कि सद्भावना का वातावरण पैदा हुआ है। जैसा कि तनसिंहजी ने बताया कि जो लोग इसे इस रूप में पास करवाने के लिये तैयार हैं और जिन लोगों ने जागीरदारों का प्रतिनिधित्व किया है वे असल में उनके प्रतिनिधि नहीं थे। यह तो समय बतायेगा कि दर असल में वे प्रतिनिधि थे या नहीं? लेकिन यह जरूर है कि जो रिट्स सन् ५२ में पेश हुई थी उनमें से बहुत सी अब भी जेर कार है हाई कोर्ट में। इस बिल के पास होने पर उन रिट्स का नतीजा क्या होगा, क्या नहीं होगा यह देखने की चीज है। इसलिये जो सद्भावना कायम रखने के लिये सद्भावना से इस प्रथा के उन्मूलन का बिल पेश किया जा रहा है उसकी जो कीमत देनी होगी उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि यह राजस्थान के हित में नहीं है और जिनका उन्मूलन हुआ है उनके हित में भी नहीं है, जो इस प्रथा में बँधे हुए हैं और जो अब भी सम्बन्ध कायम रखना चाहते हैं उनके हित में भी यह नहीं है। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने समय की चाल को पहचाना और आगे आकर कहा कि आप इस प्रथा को समाप्त करिए। लेकिन इसके साथ-साथ जो वातावरण प्रान्त में बनना चाहिये था वह नहीं बना। श्री जसवन्तसिंहजी ने कहा कि हो सकता है कि इस बिल के पास होने के बाद ऐसी स्थिति पैदा हो जाय, जो गैर जरूरी है। श्री तनसिंहजी ने कहा कि हो सकता है कि हम कॉम्युनिस्ट हो जाँय। मैं कहूँगा कि यदि इस प्रकार की भावना लेकर अब भी हम चल रहे हैं और जो इस प्रकार जिम्मेदार हैं उनके कहने से यह बिल पेश हुआ है और कॉंग्रेस पार्टी के मन्जूर करने पर पेश हुआ है तो मैं कहूँगा कि इसे पास करने से कोई फायदा नहीं होगा।

यह ठीक है कि कम्पेन्सेशन देना चाहिये क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला इस प्रकार का हुआ है कि जागीरदारों के प्रोप्राइटरी राइट्स हैं इसलिये जब तक कम्पेन्सेशन नहीं दिया जायगा तब तक जागीरें नहीं ले सकते। परन्तु जो लोग नये समाज का निर्माण करने के लिये वातावरण पैदा करना चाहते हैं वे तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि उनके सामने नये समाज का नक्शा न हो

[श्री वेदपाल त्यागी]

कि वे कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं। हैं यह कहूँगा कि कम से कम कॉंग्रेस पार्टी के सामनें तो इस प्रकार का कोई नक्शा नहीं है क्योंकि खुद काश्त वगैरह के जो प्रोविज़न्स रखे हैं वे इस बात के द्योतक हैं कि कांग्रेस के सामने कोई नक्शा नहीं है कि वे किस प्रकार के समाज की रचना करना चाहते हैं। यही कारण है कि खुदकाश्त की शरह मुकर्रर की है, उसमें कम्पेन्सेशन मुकर्रर किये हैं। यह बात सत्य है कि उनके पास कोई नक्शा है नहीं। जब तक नक्शा नहीं है तब तक उन्हें समाज में उचित स्थान पर लाने के लिये जागीरदारों को रिहेबिलिटेशन अलाउन्स देना चाहिये था, लेकिन जिस प्रकार की सौदेबाजी हो रही है, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। यह तरीका हम लोगों को शोभा देने वाला नहीं है। इसलिये कम्पेन्सेशन के विषय में हमारे मंत्रीजी ने यह बताया कि दूसरी रियासतों को देखते हुए हमारे यहां कम्पेन्सेशन न तो अधिक है और न कम। मैं निवेदन करूँगा कि मैंने एक्ट देखा नहीं है और न वहाँ से तुलना ही की है मगर जैसा कि कुँवर साहब ने बताया था वे कम्पेन्सेशन से सन्तुष्ट नहीं हैं, खास कर छोटे जागीरदारों के लिये वे असन्तुष्ट हैं। मेरी जानकारी पूरी नहीं है कि इन जागीरदारों की स्थिति कैसी है लेकिन यह कह सकता हूँ कि कुछ तो खुशहाल हैं और कुछ बेघरबार हो जायेंगे। आपने कम्पेन्सेशन सात गुना देने का तरीका रखा है और बाकी रिहेबिलिटेशन अलाउन्स देंगे। मैं इसकी घोर मुखालफत करता हूँ। रिहेबिलिटेशन अलाउन्स आप हरेक को नहीं दे सकते। यह तो उसी को दे सकते हैं जो वास्तव में रिहेबिलिटेट कराना चाहते हैं। इस तरह से चाहे बड़े जागीरदार हों या छोटे जागीरदार हों या कितने ही बड़े-बड़े या छोटे-छोटे क्यों न हों, इस बिल के मातहत हरेक को अलाउन्स दिया जायगा। निवेदन करूँगा कि जिस प्रिन्सिपल को लेकर इसका निर्माण किया गया है वह बेसिस गलत है, फन्डामेंटली यह गलत है। कम्पेन्सेशन देना, रिहेबिलिटेशन अलाउन्स देना और कन्सेशन देना हैं, वह ठीक नहीं है। प्रिन्सिपल एक्ट में एक जो सिद्धान्त माना गया था उससे इधर-उधर होने के लिये कांग्रेस पार्टी के पास कोई दूसरा सिद्धान्त होना चाहिये था कि हम इस आधार पर मूल सिद्धान्त छोड़ रहे हैं। केवल यह कहना कि सद्भावना का वातावरण बनेगा, सम्बन्धित पार्टी और लोगों के कहने पर मूल उसूल को छोड़ देना, मैं गलत मानता हूँ। जिस प्रकार का एक्साइज़ का मुआवजा मिल रहा है उसे और कस्टम का मुआवजा मिल रहा है उसे भी दिया जायगा, जो लैंड बेच दी है उसको भी कम्पेन्सेशन में दाखिल किया जायगा और २० साल की आमदनी की एवरेज निकालकर कम्पेन्सेशन दिया जायगा। मैं निवेदन करूँगा कि जब दुनिया में और हमारे देश में उथल-पुथल मची तब समाज में तब्दीलियें आई। हमने देखा कि बड़े-बड़े राजा-महाराजा जो दूसरी दुनिया में विचरण करते थे उन्होंने भी सरदार पटेल के कहने से अपनी-अपनी रियासतें सौंप दीं।

हमने देखा है कि बड़े-बड़े जागीरदार जिनको करोड़ों रुपया सालाना आमदनी होती थी, उन्होंने हँसते-हँसते अपनी जागीरें सुपुर्द कर दीं। वास्तव में यह एक बड़ी अच्छी बात है और जागीरदार भी चाहते हैं कि उनकी जागीरें वापिस ले ली जायें परन्तु जिस सौदेबाजी के साथ जागीरें ली जा रही हैं वह हमें किसी प्रकार शोभा नहीं देता।

[श्री वेदपाल त्यागी]

इसलिये मैं निवेदन करूँ कि कम्पेन्सेशन का जो आधार बनाया गया, वह इस तरह का आधार है जिससे न केवल हमारी करेंसी फेल होगी बल्कि उन्हीं लोगों को जिन्होंने गलत तरीकों से जमीनें बेची, नजराने लिये, किसानों को बेदखल कर उनकी जमीनों को अपने खुद काश्त में लिया, अपने हवाले में लिया, कानून की अवहेलना की उन्हीं लोगों को इससे फायदा पहुँचा रहे हैं। हमारी सरकार को इस बारे में बहुत कोशियस (Conscious) होकर काम करना चाहिये। जिन्होंने कानून की खिलाफवर्जी की उन्हें फायदा हर्गिज नहीं मिलना चाहिये था।

यह कहा जाता है कि जागीरदारों की, जागीरी के उन्मूलन करने से उन काश्तकारों को, जिनके लिये पुराने एक्ट में प्रोविजन था बेदखल नहीं होना पड़ेगा। ठीक है इस कानून के अनुसार उनको बेदखल नहीं होना पड़ेगा परन्तु जो बेदखल हो गये हैं उन्हें तो नुक्सान भोगना पड़ेगा। इसके लिये कोई प्रोविजन इस बिल में नहीं पाते। जब आप लैंड रिफोर्म करना चाहते हैं तो आपको इसमें केवल एक वर्ग विशेष का ख्याल नहीं रखना चाहिये, बल्कि लैंड से ताल्लुक रखने वाले सभी वर्गों का ख्याल रखना चाहिये, उन लोगों का जिनको पिछला एक्ट बनने के बाद और जिन लोगों को, इस प्रकार का सद्भावना का वातावरण बनाने वाले व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि हमने ऐसा सद्भावना से भरा वातावरण बनाया, वैसा वातावरण बनाने के आधार पर जिन लोगों को नुक्सान हुआ है, उनके लिये इस बिल में कोई प्रोविजन नहीं है।

अच्छा होता कि सरकार की ओर से सन् १९५२ के बाद जिन काश्तकारों को बेदखल किया गया है, उनके लिये यह प्रोविजन रखा जाता कि उन्हें जमीनें वापिस दी जायंगी और यह भी प्रोविजन होता कि सन् १९५२ के बाद जिन-जिन लोगों ने जमीनें बेच कर, नजराने लेकर अपनी आमदनी को बढ़ाया है वह आमदनी उनके उस कम्पेन्सेशन की ग्रोस इन्कम में और नेट इन्कम में शामिल नहीं होगी।

माननीय अध्यक्ष, मैं तो यह कहूँगा और यह कहने का आधार भी है; आज के इस लेजिस्लेशन को प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन कहा जाता है, परन्तु मैं तो, माफ कीजिये यही कहूँगा कि यह एक रिट्रोग्रेड लेजिस्लेशन है। खुदकाश्त की पहले जो डेफीनिशन थी उससे यह भिन्न है। अब जो जमीन हवाले में शामिल है वह खुदकाश्त गिनी जायगी।

जागीरों में जितने रेकर्ड्स ऑफ राइट्स थे वह उन्हीं के हाथ में थे। जब उन्होंने देखा कि अब उथल-पुथल मच रही है, जागीरें नहीं रह सकतीं तो कई लोगों ने ऐसी कार्यवाहियें की हैं कि बहुत सी जमीनों को, जिनको सदियों से काश्तकार काश्त करते थे किसानों से छुड़ा दिया और उसे खुदकाश्त में लिखा दिया और जिसको खुदकाश्त में नहीं ले सके, उसको हवाले में लिखा दिया। इस

[श्री देदपाल त्यागी]

डेफिनेशन के मुताबिक हवाले में लिखी हुई चीज का वे लोग फायदा उठायेंगे और वह जमीन इसके माफिक खुदकाश्त में गिनी जायगी।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सदन से अर्ज करना चाहता हूँ कि इस तरह का कानून बना कर जो सद्भावना का वातावरण पैदा किये जाने का कहा जा रहा है वह वातावरण पैदा नहीं हो रहा है और आशंका बढ़ रही है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूँगा कि वे जब उत्तर दें तो इन आशंकाओं का निराकरण करें, जो आज लोगों के दिलों में पैदा हो रही हैं।

एक बात की तरफ मैं जरूर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, वह है पंत की रिपोर्ट। पंत की रिपोर्ट में बहुत-सी ऐसी बातें मालूम हुई हैं जो न लोगों को मालूम थीं, न अखबारों में छपीं थीं और न लोगों को बताई गई थीं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है जैसा कि बिल से जाहिर है कि जितने भी जागीरों के नौकर थे उन्हें गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और जिनको प्रोवाइड नहीं करेगी उन्हें पेन्शन देगी। मैं निवेदन करूँ अध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार का समझौता सरकार के लिये हितकर नहीं हो सकता क्योंकि सरकार में उन्हीं लोगों को नौकर रखना चाहिये जो सरकार में नौकरी कर सकते हों। इस प्रकार का समझौता कर लेना ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं कि अक्लमन्दी से भरा हुआ नहीं है।

दूसरी बात जिसके ऊपर मुझे ध्यान आकर्षित करना है सदन का, वह यह है कि इस बिल में इस प्रकार का भी प्रोविजन रखा गया है कि जागीरों के एरियर्स जो किसानों पर निकले हुए हैं उन ५ साल पुराने एरियर्स को सरकार वसूल करके उनको (जागीरदारों को) देगी। मैं अर्ज करूँ कि जब तक जागीरें रिज़्यूम नहीं होती हैं तब तक किसानों और जागीरदारों के बीच में सम्बन्ध है, इस बीच के अर्से में एरियर्स का लेना उचित कहा जा सकता है। परन्तु जागीरें रिज़्यूम करने के बाद आप उन्हें कम्पेन्सेशन देने, रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट देने का प्रोविजन कानून में रखते हैं, कम्पेन्सेशन दे रहे हैं, रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट दे रहे हैं, ऐसी सूरत में अगर उनका कुछ लेना-देना किसानों में बाकी है तो अदालतें खुली हुई हैं, जिनसे वे ले सकते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार किसानों से उनका रुपया वसूल करके उनको दे, यह कभी न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये सदन से निवेदन करूँ कि जिस प्रकार यह बिल तैयार किया गया है और जिन बातों का समावेश, नई-नई बातों का समावेश इसमें किया गया है, वह न्यायसंगत नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जागीरें खत्म होनी चाहिये, इस बात में कोई सन्देह नहीं कि जागीरों को खत्म करते समय उनके जो वाजिब हक हो सकते हैं उनसे उनको वंचित रखना समाज के लिये अहितकर है, परन्तु इन दोनों चीजों को कार्यान्वित करने के लिये जिस डिस्क्रिशन (discretion) व नैतिकता का इस्तेमाल किया जाना चाहिये था वह नहीं है; न नैतिकता है और न डिस्क्रिशन। केवल यही ख्याल

[श्री वेदपाल त्यागी]

रखा गया है कि हम राजनैतिक फायदा उठा लें और दूसरी पार्टी ने यह ख्याल रखा है कि ये लोग राजनैतिक फायदा उठाते हैं तो हम आर्थिक फायदा उठा लें।

माननीय अध्यक्ष, इस बिल को कन्सीडर करने में सरकार को चाहिये कि इन बातों को हटा कर एक तरफ फेंक दे और वास्तव में जो बातें हितकर हों, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिये, उन्हीं को बिल में समाविष्ट रखे।

एक बात जो मेरे मित्र श्री तनसिंहजी ने कही और सदन का ध्यान उस ओर दिलाया कि इस बिल को बनाते वक्त बहुत छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा गया। इन छोटी-छोटी बातों पर, जैसा कि मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने सदन का ध्यान आकर्षित किया मैं भी सदन का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ और वह यह है कि जिन बिल्डिंगों में जहां स्कूलें और दूसरी प्रकार के ऑफिसेज़ जागीरदारों के रखे हुए थे उन बिल्डिंगों के लिये यह लिख दिया गया था कि अगर वे स्कूलों आदि के मकान हैं तो वे दिये जावेंगे। माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अब तक की लगान वसूली की जो प्रथा थी उसके अनुसार जागीरदार अपने यहां के लोगों को ऊँचा उठाने के लिये, उनके हित के कामों के लिये कुछ रकम लगान जो वसूल होता था उसमें से खर्च करते थे। इस तरह खर्च करके यदि उन्होंने किसी प्रकार की इमारत, गढ़ आदि बना लिये हों और उन बिल्डिंगों में उन्होंने पब्लिक को राहत देने के लिये स्कूल आदि खोल दिये हों तो आज एक प्रकार का वातावरण बनाने के लिये उनसे वे बिल्डिंग्ज़ छीनना मैं समझता हूँ कोई न्याय संगत नहीं होगा।

इसलिये मैं निवेदन करूँगा कि हमारी सरकार को इस बारे में अवश्य विशाल हृदयता दिखानी चाहिये।

(घंटी)

मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार और यह सदन इस सम्बन्ध में अपनी विशाल हृदयता का परिचय देंगे और जो छोटी-छोटी बातों को इस बिल में लिया गया है उनको निकालने में मेरे जागीरदार सदस्य और दूसरे सदस्य अपना सहयोग देंगे और विशाल हृदयता का परिचय देंगे।

श्री अध्यक्ष—Shri H. K. Vyas. The same amendment has already been moved.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Same, but the time is different, Sir.

श्री अध्यक्ष—That Spirit is the same.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Do I move it or not?

श्री अध्यक्ष--You will speak in support of that.

श्री हरिकृष्ण व्यास--माननीय अध्यक्ष, मैं यह राय सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि यह जो जागीर पुनर्ग्रहण एमेंडमेंट बिल, १९५४ सिलेक्ट कमेटी के सामने पेश किया जावे जो एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट इस सदन के सामने प्रस्तुत करे। मैं यह राय क्यों प्रस्तुत करना चाहता हूँ इसके बारे में प्रस्ताविक तौर पर मैं दो बातें कहना चाहूँगा।

जिन माननीय ने यह बिल प्रस्तुत किया है उन्होंने खुद ने यह कहा है कि जागीर पुनर्ग्रहण करने का जो कानून १९५२ में पास हुआ था उसके बाद जागीरदारों ने सरकार के सामने कुछ शिकायतें पेश कीं और सरकार के बीच और जागीरदारों के बीच में जो समझौता हुआ उसको कानूनी रूप देने के लिये यह बिल प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में मेरा यह अर्ज करना है कि सरकार के लिये चाहे वह सरकार किसी भी प्रकार की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसके लिए इस प्रकार से कानून पास करना मैं समझता हूँ कि एकांकी पूर्ण है, क्योंकि उन्होंने जमीन से सम्बन्ध रखने वाले एक ही वर्ग के लोगों से बातचीत की है। जागीरदार ही केवल जमीन से सम्बन्ध रखने वाले नहीं हैं। इनके अलावा दूसरे भी हजारों व्यक्ति हैं जो जमीन से सम्बन्ध रखते हैं। सरकार को चाहिये था कि राजस्थान में जमीन से सम्बन्ध रखने वाले जितने तत्त्व हैं और जो जो लोग हैं उनकी राय जानती। आप कोई समझौता इस बिल पर करने चलें, इससे पहले जमीन से सम्बन्ध रखने वाले हर वर्ग से सलाह करके समझौता करना सरकार के लिये आवश्यक था और क्योंकि सरकार ने केवल एक ही वर्ग (जागीरदार) से बात-चीत करके यह समझौता किया है, यह उचित नहीं है। इसका नतीजा यह होगा कि पुराने बिल में, जो बातें असूलन ठीक थीं उनको इस एमेंडमेंट बिल द्वारा हटा कर जागीरदारों को ज्यादा सहूलियतें दे दी गई हैं। जागीरें समाप्त होनी चाहिये, जागीरों का पुनर्ग्रहण होना चाहिये; इस बारे में किसी भी प्रगतिशील एवं दिमाग वाले व्यक्ति की दो रायें नहीं हो सकतीं। माननीय मंत्री का यह कहना कि पुराने बिल में कई जगह पर संशोधन करने की आवश्यकता थी इसलिये संशोधन किया गया है। मगर मैं यह कहूँगा कि वास्तव में हुआ यह है कि जहां पर संशोधन होना चाहिये था वहां नहीं हुआ और जहां नहीं होना चाहिये था वहाँ (संशोधन) किया गया है। और जिस-जिस जगह पर संशोधन हुए हैं उससे जागीरदारों को ज्यादा रियायतें मिली हैं। अतः मैं यह निवेदन करूँगा कि ओरिजिनल एक्ट में ही संशोधन किया जावे। जिस प्रकार का यह एमेंडमेंट बिल हमारे सामने आया है इसमें जो संशोधन करने चाहिये थे, उनके विपरीत संशोधन किये गये हैं। इसलिये मैंने यह बात सदन के सामने रखी है कि इसको पहले सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जावे जो ७ दिन के अन्दर इसके मोटो को तय करके अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करे। मैं समझता हूँ कि ७ दिन का समय बहुत काफी है। यह बिल जो हमारे सामने पेश है, जागीर पुनर्ग्रहण के बिल के बजाय जागीरदारों को एक के बाद दूसरी कठिनाइयों को दूर करने वाला बिल बनाया जा रहा है। मैं यह चाहता हूँ कि यह बिल ऐसा बिल बने जो भूमि से सम्बन्ध रखने वाले सभी व्यक्तियों के हित में हो और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर मैंने यह बात आपके सामने रखी है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने यह रखा है कि अगर जागीर की रकम बकाया रह गई हो तो सरकार वसूल करके उसको दे देगी। मुझे यह पढ़ने के बाद बड़ी हैरानी हुई कि जब आप कानून में बकाया के बारे में न्याय करने चले हैं तो ५ वर्ष पहले जागीरदारों का और किसानो का जो लेना-देना रह गया था उसका नाप तोल करके उसका भी आप निपटारा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हो सकता है कि कुछ किसानों पर जागीरदार की बकाया रकम जबरदस्ती निकाल कर दिखाई गई हो, हो सकता है कि जागीरदारों की तरफ से किसानों पर ऐसे मुकद्में भी चल रहे हों जिनमें कानून के कागजी तौर पर जागीरदारों की बकाया रकम किसानों में दिखाई देती हो, जो वास्तव में किसान ने उन्हें दे दी हो और कोई रकम न निकलते हुए भी उसके भोलेपन का फायदा उठाकर उस पर मुकद्मा चल रहा हो। जागीरदारों की बकाया रकम को दिलाने के लिये सरकार ने बिल में प्रबन्ध किया है, लेकिन क्या यह बात सरकार के ध्यान में नहीं आई कि जब सरकार ने किसानों से चौथे बाँटे का कानून लागू किया था उस समय उस कानून का जागीर एरिया में अमल नहीं हो सका और किसानों से ज्यादा बाँटा लिया गया। उसके बाद सरकार ने १/६ बाँटे का कानून बनाया, मगर फिर भी उस कानून की जागीरदारों द्वारा पाबन्दी नहीं की गई और इस सम्बन्ध में किसानों की तरफ से सैकड़ों शिकायतें सरकार के पास आई। कानून में तो १/६ बाँटा लेने की बात थी मगर जागीरदारों ने १/४ बाँटा लाटा। क्या सरकार के अधिकारियों के दिमाग में ऐसी बात नहीं आई कि जिन जागीरदारों ने १/६ बाँटे का कानून होते हुए भी किसानों से १/४ बाँटा वसूल किया और ज्यादा रकम कानून के खिलाफ किसानों से वसूल की, उस ज्यादा वसूल की हुई रकम को जागीरदारों से वापिस किसानों को क्यों नहीं दिलाई जावे। बिल में ऐसा एमेंडमेंट क्यों नहीं किया गया कि आज से ५ वर्ष पहले जो जागीरदारों ने ज्यादा लगान किसानों से वसूल कर लिया उसको वापिस जागीरदारों से वसूल करके किसानों को दिलाया जावे?

आपको मालूम ही है कि किस प्रकार जागीरदारों ने उदयपुर में लाखों लोगों से पैसा ले कर पट्टे करके दे दिये, हालांकि उनको ऐसा करने का कोई हक नहीं था और उन पट्टों की कोई कानूनी वकत नहीं, लेकिन फिर भी पट्टे किसानों को दिये गये और किसानों के भोलेपन का नाजायज फायदा जागीरदारों ने उठाया। जागीरदारों ने उन भोले किसानों से पट्टे करने के पैसे लिये। एक किसान से नहीं हजारों किसानों से पैसे लिये और लाखों रुपये लिये गये। उन्होंने ५) या १०) रुपये ही नहीं बल्कि १००) और २००) रुपये तक लोगों से पट्टे करने के लिये। क्या कोई किसान आकर यह नहीं कह सकता कि जागीरदारों ने हमसे गैर कानूनी तौर पर और धोखा देकर और ४२० का धन्धा करके हमसे रुपया वसूल किया है, वह रुपया हमें वापिस दिलाया जावे? आप लेने-देने का नतीजा निकालने चले हैं। किसानों को भी आपको आकर कहने का हक है कि आप हमसे जागीरदारों को पैसा दिलाते हैं तो हमें भी उनसे हमारे पैसे जो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर हमसे ४२० का धन्धा करके लिये हैं, वापिस दिला दीजिये।

इसके अलावा पुराने जमाने में जहाँ जागीरों के सिलसिले में कोई कानून नहीं था वहाँ पब्लिक युटिलीटी के कार्यों के नाम से अलग लगान लिया जाता था। मेरे इस प्रस्ताव को किशनगढ़

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

से आये हुए माननीय मित्र से पता चलावेंगे तो वे इस बात की तसदीक करेंगे कि पुराने जमाने में ऐसा लगान लिया जाता था और स्कूलें आदि के लिये इस प्रकार का लगान सारी जगह बाँधे हुए थे। जागीरदार तो अपना हिस्सा देते थे। लेकिन आज आप तो तसफिया करने चले हैं, लेन-देन का हिसाब करने और लेन-देन की वसूली करने चले हैं तो फिर समझ में नहीं आता कि आप कितने वर्षों तक किसान को लूटते रहेंगे। स्कूलें, होस्पिटल आदि जो बिल्डिंग्ज़ बनाये गये हैं उनको भी आप उन्हें देने के लिए तैयार हैं। आप कहेंगे कि सब पुरानी बातों को भूल जाइये और अच्छा वातावरण बनाइये, हम लोग पुरानी बातों को कैसे भूल सकते हैं? लोगों की जाने गई हैं, लोगों ने मारें खाई हैं, लकड़ियें लोगों पर पड़ी हैं। पुराने जमाने की बात को छोड़िये; अभी कुछ ही महीने पहले ऐसी वारदातें हुई हैं। आप कहेंगे कि इन सब को भुला दिया जावे। लेकिन इन बातों को कब भुलाया जा सकता है? इन सब को तभी भुलाया जा सकता है जब आगे के लिये हमें पूरी तसल्ली हो जावे कि सदियों से जिस प्रकार का अन्याय हम लोगों पर होता आया है आगे कभी नहीं होगा। अब हम उन्नति की ओर चले हैं तो मैं समझता हूँ कि शायद उसे भुला भी दिया जा सकता है लेकिन जब कानून में ऐसी बाते हों जो जागीरदारों के ही हित की हों और किसानों के लिये कुछ न हो तो कैसे भुलाया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि नये तरीके से जब आप काम करने चले हैं तो इस प्रकार का कानून चालू रहना वाजिब नहीं और जब तक ऐसा कानून रहे हम कैसे भुला सकते हैं? अपने नौनिहाल बच्चे का खून किस तरह भुलाया जा सकता है और भुलाया भी जावे तो कब? वह तभी भुलाया जा सकता है जब हमें ऐसी तसल्ली हो कि आयन्दा के लिए इस प्रकार की कोई वारदातें कभी नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि इस बात का खयाल इस बिल में नहीं रखा गया है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि सदन के उन सदस्यों की, जिनको जमीन से दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तियों से दिलचस्पी है, उनकी राय ली जावे और इसमें संशोधन किये जावें जो किसानों के हित के हों और न्याय के संशोधन हों।

मेरे माननीय मन्त्री ने इसके उसूलों के बारे में जिक्र किया और मैं उनको धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने हमें बहस में विचार प्रकट करने का मौका दिया लेकिन, मुझे अफसोस है कि उन्होंने अधूरी बातें कहीं और वास्तव में जो तथ्य था उसको तोड़-मरोड़ कर कहे हैं और राजस्थान के लोगों को ऐसा बताने की कोशिश की कि वे कोई राजस्थान में क्रांतिकारी परिवर्तन करने चल रहे हैं और वह भी नये तरीकों से।

उन्होंने कहा कि केवल एक देश में विपरीत तरीका अपनाया गया है और वह खून-खच्चर का तरीका था, उसमें समय लगा, खर्चा हुआ और खून-खच्चर हुआ। मुझे नहीं मालूम कि उनका किस देश की तरफ इशारा था। मैंने इतिहास की तरफ नजर दौड़ाई और नजर दौड़ाने के बाद में इस नतीजे पर पहुँचा कि हिन्दुस्तान में अभी जो कानून बन रहे हैं उनमें से पुराने जमाने के कुछ प्रतिक्रियावादी देशों को छोड़ कर कोई ऐसा देश नहीं जिसने मुआवजा देकर जमीनों का सवाल हल किया हो, और मुआवजा देने के कानून-कायदे बनाये हों। सन् १७८८ में फ्रान्स में राज्य क्रान्ति हुई

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो इक्विलिटी, लिबर्टी, फेटर्निटी को मानने वाली फ्रांस सरकार ने यह नारा लगाया कि भूमि के हल के लिए मुआवजा देना जरूरी नहीं। उन्होंने यह कानून पास किया कि जमीन के मालिक किसान होंगे जो कि जमीन जोतते हैं। अमेरिका में जिससे कि बड़ा प्यार है, सन् १८ में राज्य-क्रान्ति हुई और उन्होंने भूमि-व्यवस्था को नये रूप से परिणत किया। पुराने जमाने की सामन्ती सरकार को बदल कर इन्डीविजुअल पीजेन्ट प्रोप्राइटरीशिप को कायम किया और मैं माननीय मित्रों की सूचना के लिए बता दूँ कि वह तब्दीली कानून के जरिये से हुई और वह कानून ऐसा था कि जिसने मुआवजे के बोझे को कुबूल नहीं किया किन्तु उसने कुबूल किया कि भूमि पर अधिकार किसानों का है, जमीन को जोतने वालों का उस पर अधिकार है।

(एक सदस्य द्वारा बोलने के लिये प्रस्तुत होने की स्थिति में)

मैं आपको बता रहा हूँ, आप धैर्य रखिये।

मैं उधर के बैठने वाले मित्रों को, जिस देश के अन्दर दिलचस्पी है उसका नाम बताऊँगा। जिस देश के लिए उनको काफी दिलचस्पी है, उस देश का नाम है चीन। चीन के अन्दर भूमि सुधार हुये। यह बात सही है कि चीन के अन्दर राज्य-व्यवस्था को बदलने के लिए क्रान्तियाँ हुई, कुर्बानियाँ हुई, बलिदान हुए। हिन्दुस्तान में भी कुर्बानियाँ हुई थीं। हिन्दुस्तान ने बीसियों वर्षों तक कुर्बानियाँ दीं, बलिदान दिये और अन्त में सन् ४६ में नाविकों ने विद्रोह करके ऐसी हालत पैदा को कि साम्राज्यवादी ताकतें थर्रा उठीं, साम्राज्यवादी ताकतें लड़खड़ा गईं। ये ऐतिहासिक बातें हैं। नव जनवादी सरकार ने चीन में कानून बनाये कि भूमि जमीन जोतने वालों की होगी, और मुआवजे का कोई सवाल नहीं उठेगा। नई जनवादी सरकार ने यह भी किया कि जो पुराने जागीरदार हैं, जितनी किसानों को जमीन मिलेगी उतनी ही उनको भी मिलेगी, बशर्ते कि वे खुद खेती करने के लिए आगे आवें और पड़ौसी किसानों के साथ ब्रादराना (भाइयों का) बर्ताव करें। और अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनको समाज में स्थान नहीं मिलेगा। इसी प्रकार का कानून रूस में भी बना और जिसको लेन्ड डिक्री कहते हैं : "that from today land belongs to the tiller." गाँव-गाँव में पंचायतें चुन लीजिये और उन लोगों को जमीनें दे दीजिये, उनका रिकार्ड तैयार करके सरकार के पास भेज दीजिये और फिर उस पर सरकार की मोहर लगेगी, सरकार की छाप लगेगी। तो इस प्रकार के इतिहास हमारे सामने हैं। क्यों कहा जाय कि हिन्दुस्तान के अन्दर जो तरीका अपनाया गया है वह एक देश को छोड़कर सब जगह ऐसा ही तरीका अपनाया गया है? ऐसा नहीं अपनाया गया है।

अगर हम उन उद्देश्यों पर चलें तो मैं माननीय मित्रों को करांची के अन्दर जो काँग्रेस अधिवेशन हुआ और जयपुर के अन्दर जो काँग्रेस अधिवेशन हुआ और उन काँग्रेस अधिवेशनों में जो जमीन सम्बन्धी प्रस्ताव पास हुए उनका हवाला देकर बताना चाहूँगा कि मूलभूत सिद्धान्त क्या थे। यह माना कि हिन्दुस्तान के अन्दर सामन्ती और अर्धसामन्ती व्यवस्था है और इसका तात्पर्य न सिर्फ राज्य और किसानों के बीच किन्तु दूसरे वर्गों के बीच भी अन्तर डालना है। उस प्रस्ताव का तात्पर्य यह था कि पैदावार के ऊपर, किसानों के ऊपर मशीनरी बोझा न डाले और एब्सोल्यूट ग्राउन्ड

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

रेन्ट मुकर्रर किया जाय चाहे पैदावार कितनी ही क्यों न हो। चाहे होल्डिंग इकॉनोमिक हो या न हो, गरीब परिवारों के भरण-पोषण के लिए पूरा हो या न हो किन्तु लगान देना पड़ेगा और इसी प्रकार के लगान का जरिया हमारे राज्य में चल रहा है और इसीलिए देहातों के किसान गरीब हैं, जिनकी टेक्नीक बेकवर्ड है और खेती की पैदावार लगातार गिरती जा रही है। मेरे माननीय मित्रों को भूलना नहीं चाहिए कि करांची के अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुआ था उसमें दर्ज किया गया था कि यदि इकानोमिक होल्डिंग्ज़ कम हो गई हैं, या किसान गरीब हो गया है, वह अपना और परिवार का भरण-पोषण नहीं कर सकता है तो उसको लेन्ड रेवेन्यु से एग्ज़ेम्प्ट कर देना चाहिए। यह प्रस्ताव हमारी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी, दोनों ने मिल कर जो राष्ट्रीय पार्टी थी, पास किया था। बोलने के लिए बहुत कुछ है और उसको भुलाया नहीं जा सकता। उसके पीछे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं, उसके पीछे देश के आन्दोलन हैं। तो मैं यह कह रहा था कि हम यह देखें कि यह एक उसूलों का प्रश्न है, एक वैयक्तिक प्रश्न नहीं है, यह एक समाज-व्यवस्था का प्रश्न है। जागीरों का जो प्रश्न है वह जागीरदारी व्यवस्था का प्रश्न है, भूमि सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न है। यह हमें देखना है कि जो कानून हम बना रहे हैं उससे किसको फायदा हो रहा है? यदि सही माने में मानें तो इसका सम्बन्ध चार वर्गों से है। मैं उनका वर्गीकरण करके बताना चाहूँगा। वह यह है कि :

१. किसान।

२. जागीरदार।

३. आम जनता, देश को और राजस्थान की।

४. राज्य सरकार समझ लीजिये।

भूमि सुधार से यदि सही माने में हल निकालना हो तो एक जागीरदार वर्ग को छोड़ कर सभी को फायदा होना चाहिए और यह सही माने में तभी भूमि सुधार है। किसानों पर बोझा न पड़े और जागीरी जमीनें उनके लिए बोझा न बने, एक व्यक्ति विशेष से जो शोषण होता है उससे उसको राहत मिले, जमीन पर जो अधिकार है वह सुरक्षित रहे? ये तीनों चीजें किसान चाहते हैं और अगर ये तीनों चीजें कानून करता है तो वह किसानों के हित का है, ऐसा कहा जायगा। आम लोग चाहते हैं कि जमीन की आमदनी से जो पैसा आये वह राज्यकोष में आना चाहिए लेकिन वह कुछ विशेष लोग रख लेते हैं और यदि आमदनी राज्य के पास न आवेगी तो राज्य के कल्याणकारी कार्यों के लिए पैसा कहां से आवेगा। हो यह रहा है कि जो कानून-कायदे हम पास कर हैं उसके अन्दर यदि हम जावेंगे तो मैं कहूँगा कि इससे न तो किसानों का और न राजस्थान स्टेट का हित हो सकता है और अगर किसी का हित हो सकता है तो वह हो रहा है राजस्थान के जागिरदारों का और बड़े-बड़े जागीरदार अपनी हित रक्षा के लिए डेढ़ वर्ष से लगातार दौड़धूप कर रहे है और हम देखते हैं कि क्या किया जा रहा है? सात गुना उनको कम्पेन्सेशन दिया जायगा और उसके अलावा तीन गुना रिहेबिलिटेशन के लिए मुआवजा मिलेगा।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इस तरह खर्च का जो शिडयूल बनाया गया है उसको देखें तो नेट आमदनी का दस गुना मुआवजा के रूप में जागिरदारों को मिल जायगा। मैंने हिसाब लगाने की कोशिश की, माननीय अध्यक्ष और वह यह है कि जो शिड्युल खर्च का दिया गया है उसके मुताबिक ५० हजार के रेशियों वाली जागीर का १५ प्रतिशत खर्च के रूप में चला जायगा और उस हिसाब से ३५ हजार नेट इनकम बच जायगी और उस ३५ हजार का दस गुना ३॥ लाख रुपया मुआवजे के जागीरदार को मिलेगा।

उदयपुर राज्य, भूतपूर्व राजस्थान में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उन जागीरदारों के रेवेन्यू पॉवर्स ले लिये गये और जहां तक मुझे ध्यान है रेवेन्यू पॉवर्स लेते समय राज्य सरकार ने कलेक्शन चार्जेज़ ४० प्रतिशत तब भी लगाये उन जागीरों के सिलसिले में और उसके कुछ अर्से बाद, या दो वर्ष बाद इस राजस्थान सरकार के प्रधान थे वेन्कटाचार। ऐसा सुना है कि, स्टेट मिनिस्टरी के पास उन्होंने रिपोर्ट पेश की कि इतना खर्चा लेने के बाद भी वसूल के लिए जो खर्चा करना पड़ता है उसमें घाटा हो रहा है इसलिए यह नीति किसी काम की नहीं है।

इस नीति के अमल होने के बाद और घाटा होने लगेगा। ५० हजार की जागीर के १५ हजार वार्षिक लेंगे और एक लाख की जागीर के वे लगभग ४० हजार रूपये खर्चे के रुप में काटेंगे और उसकी एवज में पटवारी मुकर्रर करना पड़ेगा, दूसरा रेवेन्यू स्टाफ मुकर्रर करना पड़ेगा राज्य सरकार को, इसके सिवा दूसरा चारा नहीं; इसके अलावा हरजाना भी देना पड़ेगा। मुझे सूचना मिली है कि राजस्थान सरकार ने अपने अधिकारियों द्वारा पता लगवाया कि हमें कितना हरजाना देना होगा? ऐसा पता चला है कि उन्होंने यह बात कही है कि अमेन्डेड एक्ट के मुताबिक १३॥ करोड़ रुपयों का हरजाना राजस्थान सरकार को देना पड़ेगा। ऐसा केल्कुलेशन राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने लगाया है, ऐसा कहा जाता है। अब इसके बाद में कस्टम का पैसा दिया जायगा, उसके बाद नमक का पैसा दिया जायगा, उसके बाद दारू के ठेके का पैसा दिया जायगा, उसकी आबादी की जमीन को बेचने का और उसकी आमदनी का हरजाना भी गिना जायगा। नतीजा उसका यह होगा कि सवा तीन करोड़ रुपया वार्षिक हमें देना होगा पांच हजार से ऊपर वाले जागीरदारों को। शेडूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्डिचर आज राजस्थान सरकार को कम से कम २५ करोड़ और तीस करोड़ के बीच मुआवजे के रुप में देना पड़ेगा। इस प्रकार ढाई करोड़ रुपया सालाना राजस्थान सरकार पर बोझ होगा। हिसाब लगाकर देखा जायगा तो पता चलेगा कि इस प्रकार १४ वर्ष तक हम जो यह रुपया देते रहेंगे, तो उससे दो बातें होंगी एक तो हमारे राज्य के कोष में पैसा नहीं बचेगा, हमेशा राज्य की रेवेन्यू डेफिसिट रहेगी और १४ वर्ष के बाद बड़े अमन और चैन की हालत होगी। लेकिन माननीय अध्यक्ष, १४ वर्ष के बाद क्या होगा, देश की राज्य व्यवस्था क्या होगी, आज इस बिल को रखने वाले कहाँ होंगे और किसके हाथ राज्य की बागडोर होगी यह हम अभी नहीं कह सकते, किन्तु १४ वर्ष तक राजस्थान सरकार के सामने एक दृष्टिकोण रहेगा, उस दृष्टिकोण से किसानों के ऊपर लगान का बोझ कम नहीं होगा, दूसरी ओर राज्य के खजाने में आमदनी नहीं बढ़ेगी बल्कि हर साल ढाई करोड़ रुपया हरजाने के रूप

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मैं देना पड़ेगा। इसका असर जो होगा आम जनता पर वह यह कि नये नये टेक्स का बोझ लगेगा। बाकी इसके सिवाय सरकार के पास दूसरा चारा नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मन्त्री से अर्ज करना चाहता हूँ कि आप मुझे यह बताइये कि १४ वर्ष तक किसानों का क्या हित होगा, आम लोगों का क्या हित होगा, राजस्थान सरकार का क्या हित होगा। अगर किसी का हित होगा तो केवल जागीरदारों का होगा और हुआ है। उन लोगों को बैठे राज्य के खजाने से पैसा मिलता रहेगा। आज यह कहा जा रहा है कि जागीरदारों ने अपनी जागीरें छोड़ने में उदारता का परिचय दिया है। राजस्थान सरकार बड़ी भावुक है, जिसकी प्रेरणा से जागीरदारों ने जो नीति अपनायी है वह गलत बात है। अगर आप इसके इतिहास को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन जागीरदारों को यह पता लग गया था कि किसान लोग अब लगान देने में आनाकानी करते हैं, लगान देने से इन्कार करते हैं, लगातार इन्कार करते जायेंगे; तो आखिर वे किससे लगान वसूल करेंगे; लड़ाइयाँ होंगी, संघर्ष होंगे। इसलिये उन्होंने यह बहाना ढूंढा और सोचा कि हमें राहत मिल सकती है तो केवल इस चीज से कि हम राजस्थान की सरकारी नीति के मातहत अपनी जागीरों का समर्पण कर दें और उन्होंने उसी के मातहत अपनी जागीरों को छोड़ने का तय किया और उसके एवज में मुआवजा चाहा और नमक के एवज में पैसा चाहा, शराब के एवज में पैसा चाहा, कस्टम के एवज में पैसा चाहा। पाँच साल का बकाया चाहिये सेटलमेंट का जो खर्चा उन पर पड़ा है वह वसूल नहीं हो, लगान में रियायत कर दें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह जो बिल रखा गया है यह भूमि-सुधार नहीं है बल्कि इसके जरिये जागीरदारों को मुंह मांगा पैसा दिया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है और चाहिये तो और लीजिये और मांग लो हम नैनीताल जाकर और तय कर लेंगे और दिल्ली जाकर और तीसरा समझौता कर लेंगे। क्या आपने कभी इस बात को सोचते समय यह ध्यान दिया कि आप किसानों के हित में क्या नीति अपना रहे हैं? क्या आप प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं? आज इससे साफ जाहिर होता है कि आज की राजस्थान सरकार प्रगति की ओर नहीं बढ़ रही है बल्कि एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिये सौदेबाजी कर रही है। यह जो अमेंडमेंट बिल की बात है, बहुत खतरनाक बात है। इस तरह से माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये इस बिल पर अपनी आपत्ति पेश करता हूँ। इस इस बिल में, पुराने बिल में जो खामियां थीं, उनसे और वृद्धि की गई है। इस नये अमेंडेड बिल में जो खुदकाश्त की परिभाषा की गई है उसमें यह कहा गया है, चेप्टर ४ के मातहत खुदकाश्त न माना जाय बल्कि यह कहा गया कि रेवेन्यु रेकर्ड के अन्दर जो दर्ज है उसको खुदकाश्त माना जाय। क्या आप यह मानते हैं कि जो रेवेन्यु रेकर्ड बने हैं, जो सेटलमेंट के ऑफिसरों ने इन्हीं जागीरदारों के गद्दों में बैठकर इनके यहाँ दूध-दही खाकर रिश्वतें लेकर जो रेकर्ड में दर्ज कराये हैं वे सब गलत हैं। माननीय मन्त्री को भी इस बात की जानकारी है। इनके पास भी शिकायतें लेकर हजारों व्यक्ति आये हैं। लाखों झगड़े इस प्रकार के हुए कि किसानों के हित के खिलाफ इस प्रकार के रेकर्ड दर्ज किये गये। क्या इस अमेंडेड बिल के मातहत, क्या जिन लोगों ने रिश्वतें देकर इस प्रकार रेकर्ड में अपने नाम दर्ज कराये क्या वह उनकी जमीन हो गई? प्लानिंग कमीशन का भी प्रस्ताव है कि जमीन का सीलिंग मुकर्रर होना चाहिये। सदन में भी इस प्रकार बयान दिया गया कि राजस्थान भी प्लानिंग कमीशन के डाइरेक्टिव के अनुसार उन्नति का मार्ग अपना रहीं है और हम राजस्थान में जल्दी ही सीलिंग का प्रश्न हल कर रहे हैं और इस प्रकार इसका आखिरा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अध्याय पूरा करेंगे। जो सरकार इस प्रकार सीलिंग का प्रश्न हल करने चली है, प्लानिंग कमीशन के डाइरेक्टिव के अनुसार वह दूसरी तरफ खुदकाश्त की परिभाषा करता है कि जो भूमि रेकर्ड में, जिसके नाम दर्ज हो उसी की रहेगी। इस तरह से सीलिंग में खुदकाश्त नहीं हो सकती, अगर राजस्थान सरकार खुद काश्त की परिभाषा में यह रखती कि सीलिंग के ऊपर की जमीन खुदकाश्त नहीं रह सकती। आज कानून बना है जो टू दैट एक्सटेन्ट (to that extant) रद्द किया जाता है तो कुछ बात समझ में आ सकती है। दूसरा यह लिया गया कि खुद काश्त की जमीन उतनी रहेगी जिसके लिए आगे चल कर कहा गया कि जो जमीन चार साल तक आर. पी. टी. ओ. के मातहत रह गई उसकी अवधि खत्म होने के बाद में जागीरदार बेदखल कर सकता है, नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं। यह एक तरह से ट्रेसपास ही हुआ। एक नहीं लाखों अर्जियाँ आयेंगी इस प्रकार बेदखली की। इस कानून को बनाने की बात कहते हुए माननीय मन्त्री ने कहा है कि पहले मारवाड़ में टीनेन्सी एक्ट के उसूल लागू किये गये। जयपुर में जयपुर लैंड टीनेन्सी एक्ट था उसके अनुसार लागू किया गया, दूसरा यह कि जितने भी जमीन के एक्ट बने थे उसी दिन से जिस दिन से काश्त करते थे लोग उनको खातेदारी के हक माने गए थे उनसे भी ज्यादा तरक्की करके यह बिल प्रस्तुत किया गया है; नया टीनेन्सी बिल ला रहे हैं, जागीरी पुनर्ग्रहण बिल आ रहा है, आज भी पुराने खातेदारी के हक सुरक्षित हैं, जागीरदारों को खुदकाश्त की जमीन दे रखी हैं। जिनके पास अच्छी जमीन है रियायतें लेकर, एग्रीमेंट करवा कर या भूमि के नक्शे लेकर कानूनी प्रभुत्व हासिल कर लिया है, डर और धौंस से जिन्होंने अपने कब्जे में जमीन कर रखी है। आज वे किसान यह बाट देख रहे हैं कि उनको जमीन मिलेगी किन्तु उल्टा इसके जरिये जागीरदार लोगों द्वारा नोटिस दिया जायगा, शिकायत और पुकार की सुनवाई नहीं क्योंकि जागीर कमिश्नर की तरह एक खुदकाश्त कमिश्नर भी मुकर्रर होगा जो खुदकाश्त के लिए जमीन दिलवायेगा। लेकिन जो इतने बड़े जागीरदारों ने रियायतें लेकर बड़ी बड़ी जमीनों को अपने कब्जे में कर रखा है, खुदकाश्त के नाम पर आज हजारों बीघा जमीन ले रखी है, जिन्होंने अपना बड़ा स्टेटस बना रखा है उन जागीरदारों के लिए क्या जरूरत है खुदकाश्त जमीन की। लेकिन इस बिल द्वारा उनको कायम रखने का रास्ता कर रहे हैं।

इस बिल के अन्दर एक बहुत खतरनाक क्लॉज रखा गया है। आने वाले पांच वर्षों तक जागीरदारों की खुदकाश्त करने की आदत नहीं पड़ेगी तो वह उस जमीन को सब लेट कर सकेगा। इससे होगा यह कि जागीरदार के पास जो खुद काश्त की जमीन रहेगी बाकायदा उस पर जागीरदार खेती चालू रखेगा। तो उसको रुपये में १२ आना मिलने में तो कोई टंटा नहीं रहेगा। इस प्रकार कई वर्षों तक इनको सरकारी खजाने से हरजाने के रूप में खनाखन रुपया मिलता रहेगा और आम लोगों पर नये नये टैक्स का भार पड़ेगा। ऐसे कानून के जरिये हम आखिर क्या करना चाहते हैं और क्या करने जा रहे हैं, यह बड़े विचार का विषय है।

यह बिल जो हमारे सामने आ रहा है, यह खुदकाश्त के सवाल में हो या टीनेन्ट के अधिकारों के बारे में हो, इसमें भी यही धाराएं हैं कि जागीरदारों की खुदकाश्त का हल अगर नहीं होगा और जब तक नहीं होगा तब तक किसी भी किसान को किसी भी आदमी को नये खातेदारी के

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हकूक नहीं मिलेंगे। खुदकाश्त का सवाल पहले है, मुआवजे का सवाल फिर है और किसान की बहबूदी का सवाल अन्त में रक्खा है, प्रान्त की आर्थिक तरक्की का सवाल बाद में है। इसमें किसी भी सवाल पर एक ही रुख अपनाया गया है और वह रुख तात्विक नहीं है, एक सौदेबाजी का रुख है।

यह बात सही है कि राजस्थान की सरकार लगातार यह कहती जा रही है कि हम क्या करें, हमारा संविधान ही ऐसा है, संविधान की ३१ वीं धारा हमारी आड़ में आती है। अगर यह ३१ वा धारा हमारी आड़ में नहीं आती तो हम इस प्रान्त को चमन कर देते, इस राजस्थान की धरती पर शायद सुख-चैन की धारा बहा देते और इस बारे में संविधान के अलावा और दूसरे-दूसरे देशों का, दूसरे-दूसरे प्रान्तों का भी जिक्र करके असल बात को टालने की भी कोशिश करते हैं। पर वे एक बात भूल गये। उन्होंने सौराष्ट्र का नाम लिया, हैदराबाद का भी उल्लेख करने से नहीं चूके और साथ ही मध्यभारत का नाम भी उन्होंने नहीं छोड़ा: पर क्या कारण है कि तीन-तीन जगहों के नाम लेने वाले लोगों को काश्मीर याद नहीं आया। काश्मीर में भी बना है ऐसा कानून और उसको बनाने वाले उधर मेरे साथ कुछ हद तक चलने वाले लोग नहीं, लेकिन राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी के एक बहुत उम्दा साथी, कई कई माने में तो उनके बड़े भाई, कन्धे से कन्धा मिला कर लगातार काम करने वाले शेख अब्दुल्ला स्वयं हैं। यह बात छोड़िये कि आज उनकी क्या परिस्थिति है, यह सवाल अलग है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

चन्द मिनिटों में खतम करूँगा। आज के बख्शी गुलाम मुहम्मद ने उन नियमों को बनाया, नेशनल कॉन्फ्रेन्स ने इसको अपनी मन्जूरी दी और उसे लागू किया है। यह धारा वहाँ भी रोढ़ा थी। वे भागे-भागे गये भारत सरकार के पास, उन्होंने चिल्ल-पौं मचाई और कहा कि हमारा काश्मीर गरीब है, वहाँ की हालत बड़ी गरीबी की है, वहाँ की बड़ी पिछड़ी हालत है, सारा हिन्दुस्तान चाहे तो भले ही वह इस विधान की ३१ वीं धारा को अफोर्ड करले पर काश्मीर गरीब है, वहाँ की हालत इस लायक नहीं कि इस धारा को अफोर्ड नहीं करले, काश्मीर इस धारा को आफोर्ड नहीं कर सकता। उन्होंने जोर देकर कहा और आखिर में भारत सरकार ने तब्दीली की उनके लिए। वहाँ मुआवजे का प्रश्न नहीं आया। उन्होंने साफ-साफ एलान किया कि जमीन जोतने वाले की है। यही वसूल वहाँ माना गया है। अब हम कहते हैं तो कानून की आड़ ली जाती है। जहाँ काश्मीर ऐसा कर सकता है वहाँ किसने रोका राजस्थान सरकार को ऐसा करने से, किसने हाथ पकड़ा इन कॉंग्रेस के एम. एल. एज़. का, किसने मना किया हमारे मुख्य मन्त्रीजी को? वे भी काश्मीर की तरह जाकर सेन्टर से कहते कि राजस्थान सदियों से दुहरी गुलामी में पिसा हुआ प्रान्त है, काफी पिछड़ा हुआ है, किसान के रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, वह पिसा हुआ बेकस और महा गरीब है, वह सदियों से भूखा चला आ रहा है, वह अब अधिक भूखा नहीं रक्खा जा सकता, वह सदियों से पिसता चला आ रहा है, आज उसकी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हालत ऐसी नहीं कि इस मुआवजे को और इस धारा ३१ के अन्याय को बर्दाश्त कर सके, उसे न्याय मिलना चाहिए; आप धारा ३१ को तब्दील करिये और मैं दावा करता हूँ कि मेरे उधर बैठने वाले, दूसरे किसानों के प्रतिनिधित्व का दम भरने वालों को तो मैं नहीं कहता पर सही माने में किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो हैं, किसान सभा के कार्यकर्ता हैं, दो-चार-पाँच जितने भी हैं वे निश्चय ही इसमें सरकार का पूरा-पूरा साथ देते और कहते कि इस धारा ३१ को संशोधित करो, इस कानून को अगर राजस्थान में आपको लागू करना है तो यह तभी किया जा सकता है जब यह धारा नहीं रहे, संविधान की ओर राजस्थान सरकार और किसान पर और किसान की जमीन पर इसका बोझा न पड़े। और मैं तो यह भी कहना चाहता हूँ कि यही नहीं, यह तो कानून की गलती है, इसे हम दुरुस्त कर सकते थे। जमीदार और जागीरदार में तात्विक फर्क समझा गया है। राजस्थान की राज्य सरकार इसे माने या नहीं माने, पर वास्तविक बात तो यह है कि जागीरी इन जागीरदारों की पर्सनल प्रापर्टी नहीं है। यह राज्य की चीज थी और है। इनको किन्हीं सर्विसेज़ के एवज में उन्हें दिया गया था। इससे उन्होंने काफी अर्से तक जायज या नाजायज फायदा उठाया है, काफी फायदा उठाया है। अब आज अगर राज्य अपनी उसी चीज को वापिस लेने जा रही है तो यहाँ तो कम्पेन्सेशन का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि इसके लिए कोर्ट में रिट आए और रिट करने वाले यह तर्क दें तो ऐसी स्थिति में हम महीने, दो महीने, तीन महीने और चार महीने लगातार बैठते और हर व्यक्ति के कम्पेन्सेशन का अलग-अलग निर्णय करते, इसको सदन में रखते और एक-एक के कम्पेन्सेशन के मामले पर अलग-अलग निर्णय करते। इसके बाद कोर्ट को हक नहीं था कि वह इसमें दखल देती। कोर्ट, की दिक्कत को कोर्ट के रोड़े को इस तरह से आप दूर कर सकते थे। "Either the legislative determines the amount of Conpensation or it fixes the principles on which it shall be paid" यह है।

अगर राजस्थान विधान सभा कुछ डिटर्मिन करती है और ईछ केस (each ease) के अन्दर ऐसा करती है तो कोई उसे नहीं रोक सकता। हम ऐसा कर सकते थे। यह भी तरीका हम अपना सकते थे।

अगर इसको भी टालते तो हम और बीसों तरीके अपना सकते हैं।

आगे यह कहा गया है कि कॉंग्रेस से ऐसा कोई समझौता हुआ है जागीरदारों का, उसको पूरा करने के लिए कानून बनाया जा रहा है। मैं कहूँगा कि जागीरदारों से आपने समझौता किया है। किसानों से बगैर पूछे आप जो कानून का रूप बनाना चाहते हैं तो वह भी उनके खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में इसके खिलाफ किसान विद्रोह करेगा, इस कानून को तोड़ने के लिए। इसकी धज्जियाँ उड़ाने के लिए राजस्थान का बच्चा-बच्चा आगे बढ़ता रहेगा और अगर आवश्यकता हुई इस एक पार्टी रूल को राजस्थान से हटाने की तो उसको हटाकर कल आकर इसके स्थान पर नई प्रकार की हुकूमत कायम करेंगे। फिर एक दिन आवेगा कि जब किसान को पूरा पूरा संरक्षण मिलेगा उसको

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उसका हक मिलेगा। इतना कहते हुए मैं प्रस्ताव पर जो अपनी राय है वह सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय,.........

(विरोधी पक्ष से 'हियर-हियर' तथा 'बहुत दिनों से खड़े हुए' की आवाज)

माननीय अध्यक्षजी, मुझे इस बिल के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए कुछ संकोच ज़रूर होता है क्योंकि यह मुझ पर खुद पर भी लागू होता है, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी कि शंका का समाधान होना इस सदन के सामने, अध्यक्ष महोदय, मैं आवश्यक समझता हूँ और इस वजह से मैं सदन का कुछ समय इस बारे में लूँगा।

इससे पहले कि मैं यह जो अमेन्डिंग बिल आया है उसके बारे में कुछ कहूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह बतलाना चाहता हूँ कि जो जागीरदारी प्रथा है वह राजस्थान की एक बहुत पुरानी प्रथा है। इस प्रथा को खतम करने के लिए मैं आज भी यह कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार जिस वातावरण से उसको खतम करने जा रही है या जिस तरह से खतम करने जा रही है उस तरीके को छोड़कर अगर सरकार कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहेगी तो राजस्थान की शान्ति और व्यवस्था भंग अवश्य होगी।

मेरे साम्यवादी मित्र ने यह कहा कि अगर इस प्रकार से कोई समझौता कर लिया गया या ऐसी वैसी कोई बात की गई तो राजस्थान में क्रान्ति आवेगी, यह आवेगी, वह आवेगी। इस प्रकार से मैं उन मित्र से कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने इस प्रकार का जो रवैया अख्तियार किया है वह ऐसा है कि जिससे उन्होंने कुछ हद तक राजस्थान में आपकी जड़ को काट दिया है।

मुझे वह बात याद है कि करीब ६ महीने पहले इन्हीं मित्र ने मुझसे यह कहा था कि महार, जागीरें तो खत्म होने जा रही हैं, अब तो तुम्हारे लिए एक ही चारा है और वह यह है कि तुम कॉम्युनिस्ट हो जाओ और राजपूतों को भी कॉम्युनिस्ट बनाओ। उन्होंने यह भी कहा, जिसे मैं सदन में कहना चाहता हूँ कि तुम कॉम्युनिस्ट पार्टी के लिए जागीरदारों से चन्दा भी दिलवाओ।

(राज्य-पक्ष द्वारा "हियर-हियर" की आवाज)

मैंने उन्हें फिर यह जवाब दिया कि जिस पार्टी की रूस से पूर्ण मित्रता हो उसको चन्दा दिलाने वाला मैं राजस्थान का आखिरी प्राणी होऊँगा।

(राज्य-पक्ष द्वारा "हियर-हियर")

तो इस प्रकार से मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बिल के बारे में जो दलीलें दी हैं

[श्री मानसिंह महार]

उन दलीलों को तो मैं बिल्कुल तथ्यहीन मानता हूँ और उनके अन्दर ज्यादा जाना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन कुछ खामियां इस बिल के अन्दर जो रही हैं, कुछ प्रोसीजर की खामियां और कुछ और प्रकार की खामियां रही हैं उनके बारे में इसके सिद्धान्त पर बोलता हुआ सदन और आप लोगों के सम्मुख जिन्होंने सद्भावना के वातावरण में इस बिल को पास कराने की कोशिश की है, उनके सामने अवश्य रखूँगा।

माननीय अध्यक्षजी, इस बिल के बारे में बोलते हुए मैं सबसे पहली बात जो कहना चाहता हूँ वह यह है और इस बात को मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इस बिल के अन्दर जो निगोशियेशन हुआ है उसके अन्दर छोटे जागीरदारों का जिस प्रकार का रिप्रेज़ेन्टेशन होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। इस प्रकार की बात मैंने जिस समय लैन्ड रेवेन्यु के बारे में बजट पर बहस हो रही थी तब भी कही थी और आज भी कहता हूँ। माननीय अध्यक्षजी, मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूँ कि जिस समय ओरीजिनल एक्ट पास हुआ और फिर निगोशियेशन कमेटी बनी और सरकार से बातचीत की उस समय मैंने इस बात को रखा था हमारे साथियों के सामने कि निगोशियेशन कमेटी अगर बनाते हो तो वह ऐसी नहीं हो जो कि आम जागीरदारों का रिप्रेजेन्टेशन नहीं करती हो। इसका मुझे जवाब यह मिला था कि, "भाई, ५००० से कम वालों का इस एक्ट से ताल्लुक नहीं है इसलिए ५ हजार वालों को हम कैसे लें? हम नहीं चाहते कि उनको इस बिल के मामले में ड्रैग किया जाय।" इस प्रकार पांच हजार से कम वाले मेरे साथी थे वे इस बिल के सम्बन्ध में जो निगोशियेशन हो रहे थे उनसे बंचित रहे और इसके बारे में मैं खास तौर से, माननीय अध्यक्ष, आपके जरिये हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी से अपील करूँगा। इसके बाद में क्या होता है कि जब आम राजपूतों के अन्दर, आम जागीरदारों के अन्दर इस प्रकार की शंका खड़ी होती है तो हमारा जो आखिरी डेपूटेशन पं० पन्त के पास गया तो उसमें एक, दो, पांच हजार से कम वाले जागीरदार इसी नियत से बढ़ा लिये गये कि आम राजपूतों का नेतृत्व उसके अन्दर हो। किन्तु माननीय अध्यक्षजी, मैं सदन से यह निवेदन करूँगा कि आम राजपूतों को इस बिल से उतना संतोष नहीं है जितना कि होना चाहिए। विरोधी पक्ष के नेता ने जो कुछ फरमाया वह बात भी बहुत कुछ ठीक है कि राजपूतों को सब को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष, यह कहा जा सकता है कि इस बिल से सात गुना रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट देंगे, किसी को ११ गुना देंगे; किसी को पांच गुना देंगे; किन्तु वस्तुस्थिति कुछ और ही है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन जागीरदारों की सही स्थिति इस सदन को बताना चाहता हूँ जिनको आप उखाड़कर फेंकना चाहते हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, जो कुछ बात कहूँगा उसकी एक-एक मिसाल देकर भी इस सदन को कन्विन्स कराने की कोशिश करूँगा कि वास्तव में हालत क्या है। मेरे साम्यवादी मित्र ने यह कहा कि जो कुछ हो रहा है वह बहुत है, जरूरत से ज्यादा है, लेकिन मैं यह बताना चाहूँगा कि जो कुछ किया जा रहा है उसमें जागीरदार वर्ग को बहुत बड़ा नुक्सान हो रहा है।

मैं इस बात को बता दूँ कि सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि बड़े जागीरदार लोग जो हैं वे पढ़े-लिखे भी हो सकते हैं। वे इस लायक भी हो सकते हैं कि इसके बाद

[श्री मानसिंह महार]

व्यवसाय कर सकें। उनके पास पैसा है और न होगा तो जो कुछ उनको जागीर के मुआवजे के रूप में थोड़ा बहुत मिलेगा उससे वे बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक छोटे जागीरदार को लीजिये जिसकी आमदनी ढाई सौ रुपये होगी। उसको आप लेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि उसको जो आप रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट के रूप में देंगे उससे न तो वह इस प्रकार व्यवसाय कर सकता है, न और कुछ कर सकता है। अगर आप उनको खेती के लिए काफी जमीन दे देते हैं तो हो सकता है कि वह २-४ बैल लेकर खेती ठीक ढंग से कर सके, लेकिन वह चीज भी यहां पर नहीं है। अब इस खेती के, खुदकाश्त के, बारे में मेरे कुछ मित्र यह कह सकते हैं कि आपके पास यहां जमीन नहीं है तो भाखरा में चले जाइये, रायसिंहनगर चले जाइये, चम्बल प्रोजेक्ट में चले जाइये। उसके लिए भी मैं निवेदन करूंगा कि वहां भी बड़े जागीरदार ही जा सकते हैं क्योंकि वे वहां, ट्रेक्टर लेकर खेती कर सकते हैं, यह कर सकते हैं, वह कर सकते हैं। छोटा जागीरदार जिसका गांव में पक्का मकान है, दस हजार की लागत का है, जो वहां पीढ़ियों से रहता आ रहा है, जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह भाखरा-नांगल में जाकर इतना खर्चा बरदाश्त कर सके। अगर आप वहां जमीन भी देते हैं तो वह जमीन उसके लिए बेकार होती है। इसलिए, माननीय अध्यक्षजी, इस बिल को जो महानुभाव पाइलोट कर रहे हैं उनसे मैं यह निवेदन करूंगा कि उनके दिमाग के अन्दर जो यह चीज है कि, "हम नहरों के किनारों पर जमीन दे रहे हैं। इस बात से छोटे जागीरदारों का भी भला हो सकता है।" इसके लिए मैं यह कह सकता हूं कि आप जिस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं, आज जिस प्रकार की व्यवस्था आप करना चाहते हैं, उससे वे लोग वहां पर जाकर लाभ नहीं उठा सकते हैं।

और एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आज जो छोटे जागीरदार हैं उनका अपनी जमीन के नाज से कहीं भरण-पोषण होता है। कई जागीरदारों की तो आज भी यह हालत है कि वे महाजन के यहां से नाज लेकर अपना भरण-पोषण करते हैं और जो फसल होती है तो वह परबारी उस महाजन को दे दी जाती है। इस तरह वह हेन्ड टू माउथ (hand to mouth) हैं। यह विचार करें कि जागीरदार मालदार है, जागीरदार-लोगों के पास पैसा है, यह सरासर गलत है। यह बात १० हजार से ज्यादा जागीरदारों के लिए या १० हजार से ज्यादा जागीरदारों के लिए लागू हो सकती है, लेकिन छोटे जागीरदार जो कि आम जागीरदार हैं, जो कि इस वर्ग की मैजोरिटी हैं, उन पर यह चीज लागू नहीं होती है। हमको ज्यादा ध्यान उस वर्ग की ओर देना चाहिए था, वह ध्यान आज तक नहीं दिया गया है।

इसके अलावा उन लोगों के बारे में जो कुछ भी सरकार सोचे वह जल्दी ही सोचना चाहिए क्योंकि जागीर उन्मूलन हो जाने के बाद उनके जो अख्त्यारात वसूलात करने के हैं उनके ले लेने के बाद उनके सामने रोटी और रोजी की समस्या आ जायगी। उनके सामने यह समस्या आयेगी कि वे अपने दूसरे दिन का खर्चा किस प्रकार चलायें। तो उससे यह भी हो सकता है कि किसी भी प्रकार कुछ लोगों के बुलावे में आकर वे ऐसा काम करें जिससे प्रान्त में अराजकता फैले। अगर अराजकता प्रान्त में फैलती है तो उससे प्रान्त की शान्ति-व्यवस्था को भी नुकसान हो सकता है। तो उस सूरत में सरकार को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। उसको (सरकार को) आम जागीर-

[श्री मानसिंह महार]

दारों के लिए कुछ न कुछ जरूर सोचना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको किसी प्रकार की नौकरियाँ या और किसी प्रकार के साधन जरूर मिलें।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक विचित्र स्थिति से गुजर रहा है। राजस्थान की आज ऐसी स्थिति है कि राजपूत लोग जो थे वे फौज के अन्दर भर्ती हुआ करते थे। आज राजस्थान में फौज का डिस्बेण्डमेण्ट (disbandment) होने से बहुत ज्यादा लोग तो उनमें से बेकार हो चुके हैं और जो नवयुवक हैं उनको फौज में जगह मिलने में कठिनाइयां पैदा हो चुकी हैं। सर्विसेज़ के अन्दर तो आज के युग में राजपूतों के लिए बहुत कम जगह रह सकती है। ऐसी सूरत में अगर इस बिल में जागीरदार और उनके बच्चों के लिए इस प्रकार का सेफगार्ड (safeguard) रखा जाता सकता है। उनको ५ या १० साल किसी प्रकार का सेफगार्ड दिया जायगा या कुछ दिया जायगा या उनको कोई कन्सेशन दिया जायगा तो वह बात भी ठीक समझी जाती, योग्य था। (नौ बजे का भोंपू बजना प्रारम्भ हुआ) माननीय अध्यक्ष........

श्री अध्यक्ष—Finish.

श्री मानसिंह महार—अभी तो बहुत है। शुरू ही किया है।

श्री अध्यक्ष—Go on.

श्री मानसिंह महार—यह (भोंपू) बन्द हो जाय।

श्री अध्यक्ष—आपकी आवाज सुनाई देती है।

श्री मानसिंह महार—मेरी पीस ऑफ माइन्ड डिस्टर्ब्ड हो जाती है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—कितना समय आप और लेंगे ?

श्री मानसिंह महार—१५ मिनिट तो कम से कम चाहिये ही।

श्री अध्यक्ष—Order ! Before we adjourn, I want to inform the Hon'ble Members that the same list of business may be taken for tomorrow and those Members who have not got the Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952, to which the Amending Bill has come, with them, can take it from the Notice Office.

Page No.74

[श्री अध्यक्ष]

So we adjourn for tomorrow at 7. or 7.-30 ?

कुछ माननीय सदस्य—(आश्चर्य में) In the morning ?

श्री अध्यक्ष—Yes.

कुछ माननीय सदस्य—Evening, Sir.

श्री अध्यक्ष—All right, 5.00 P. M.

(सदन की कार्यवाही ९ बज कर ५ मिनट रात्रि पर दिनांक २ जून, १९५४ के ५ बजे सांय तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर.
दिनाँक—१ जून, १९५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।